खण्ड-130, अंक-6
शुक्रवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(26 फरवरी, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय				पृष्ठ-संख्या
आय-व्ययक काल में कार्य स्थगन प्रस्ताव की वैधता का प्रश्न			...	३४३
२ मार्च, १९५४ को सदन की बैठक स्थगित करने का सुझाव	...	...		३४३
विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	...	...		३४३–३४४
१९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २७–लेखा शीर्षक ४३–उद्योग (स्वीकृत)	...	...		३४४–३६१
१ मार्च, १९५४ को सदन की बैठक स्थगित करने का सुझाव			...	३६१–३६२
१९५४–५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या ३७–लेखा शीर्षक ५६–लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि–सरकारी छापाखाना (स्वीकृत)			...	३६२–३७१
अनुदान संख्या–३८–लेखा शीर्षक ५७–विविध व्यय (स्वीकृत)			...	३७१–३८१
अनुदान संख्या ४४–लेखा शीर्षक ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	...	...	..	३८१–३९०
आगामी कार्य-क्रम में परिवर्तन	...	...	...	३९०–३९१
नत्थियां	...	...	...	३९२–४०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९५४

बिधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

इसमान सिंह,श्री
अक्षयवर सिंह,श्री
अजीजइमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्र हास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डाल चन्द, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़जलुल हक, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मौतल श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री

बेचन राम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज्ज्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणन्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री

रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिव पूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी, महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगावार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरूजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

क्लाइड रोड, लखनऊ में एक लड़की का अपहरण

*१—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४,५ और ६ दिनांक १६-१२-५२ तथा उनके उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में जो जांच की गयी उसका क्या नतीजा निकला ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—इस मामले की पूरी तौर पर जांच की गयी। लेकिन इस जांच के बावजूद मामले की असलियत या जो लोग इसमें शामिल थे उनके व्यक्तित्व के बारे में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचना संभव न हो सका।

*२—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार इस जांच की एक कापी मेज पर रखने की कृपा करगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के विचार में ऐसा करना जनहित में न होगा।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह पार्लर कार जिसमें लड़की भगायी गई थी जोकि एक ऊंचे पुलिस अधिकारी की थी, वह कार वहां कैसे पहुंची और इसका क्या सबब है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह उस रास्ते से कहीं जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई इसलिये उसको वहीं छोड़ दिया।

श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि जिस समय यह घटना हुई उस समय मुहल्ले वालों ने पुलिस को इत्तला दी और तमाम मुहल्ले के अन्दर इस बात पर सनसनी हो गई और वहां पर सैकड़ों बड़े-बड़े आदमी जमा हो गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वहां सैकड़ों आदमी जमा हो गये, मुहल्ले वालों ने शोर मचाया और वहां सनसनी फैल गई, इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है ?

श्री नेकराम शर्मा—(जिला अलीगढ़) क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो जांच कराई थी वह विभाग के द्वारा कराई गई थी या किसी विशेष आफिसर के द्वारा कराई गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सी० आई० डी० के एक विशेष आफिसर के द्वारा कराई गई थी।

श्री बीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके विरोध में यह अपराध लगाया गया था वह कौन सज्जन थे, अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अपराध तो किसी के विरोध में लगाया नहीं गया था लेकिन इस सिलसिले में पुलिस के एक आदमी हैं श्री इस्लाम अहमद उनका नाम कुछ लोगों ने लिया, वह अब भी सर्विस में है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर यह पीली कार वैसे ही छोड़ दी गई थी तो हजरतगंज पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करके क्यों ले जाई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गिरफ्तार करके तो पुलिस स्टेशन में कोई गाड़ी गई नहीं ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि वह पीली कार किसकी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पहले सवाल के जवाब में मैं इस बात की बाबत कह चुका हूं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि यह घटना एकलिप्टिस रो में हुई ? अगर हाँ तो वह कौन लोग थे और उसमें पुलिस ने क्या जाँच की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---संतोषजनक रूप से तो कोई जाँच नहीं हुई है क्योंकि ऐसा कोई शख्स सामने आया नहीं जो बतला सकता कि वह लड़की कौन थी। न तो उस लड़की का कोई पता चला और न उसके घरवालों का ही कोई पता चला इसलिये जिस आदमी के वास्ते कहा जाता है कि ज्यादती हुई उसका ही कोई पता नहीं है । इसलिये इस बारे में पूरे तौर पर संतोषजनक रूप से कोई जाँच नहीं हो सकी।

छिछोर केस (बलिया) के दो कम्युनिस्ट राजबन्दियों की जेल में मृत्यु

*३---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार बतायगी कि छिछोर केस (बलिया) के कितने और कौन कम्युनिस्ट राजबन्दी किस-किस बीमारी से बलिया जेल में केस के दौरान में ही मर गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बलिया के छिछोर केस के दो कैदी केस के दौरान में ही जेल में मर गये। उनके नाम रामयादी और बिहारी थे। रामयादी की मृत्यु Tabes और mesentrica और Peritonitisकी बीमारी से और बिहारी की दिल की गति बन्द हो जाने से हुई।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई शिकायत आई है कि बिहारी के ऊपर हलधर थाने में गिरफ्तारी के बाद बहुत बुरी तरह मार पड़ी जिसकी वजह से उनकी हृदयगति बन्द हो गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, जेल के अस्पताल में इस किस्म का कोई रिकर्ड नहीं है। सिविलसर्जन की राय के मुताबिक उनकी दवा होती थी।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस केस में सजा होने के बाद भी कुछ लोग जेलखाने में मरे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुकदमे में सजा होने के पहले का सवाल था, बाद में क्या हुआ इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गिरफ्तारी के कितने दिनों के बाद इन दो सज्जनों की मृत्यु हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिन तारीखों में मृत्यु हुई वह मैं बतला सकता हूं लेकिन गिरफ्तारी के कितने दिनों के बाद हुई यह मैं नहीं बतला सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह दोनों सज्जन जो जिला जेल बलिया में बीमार थे, कितने दिनों की बीमारी से मरे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि १४ जून को यह रामयादी जेल के अस्पताल में भर्ती किये गये उसके बाद सदर अस्पताल बलिया में भेजे गये और वहां २१ जून को उनका देहांत हो गया। यह जो हैं दूसरे बिहारी, इनको ६ जुलाई को बुखार आया और दस्त आने शुरू हुये, फिर जेल अस्पताल में रखे गये, सिविल सर्जन की हिदायत के अनुसार उनकी दवा होती रही, ७ जुलाई को उनके हृदय की गति बन्द हो गयी और उनका देहांत हो गया। उनको दमा की बीमारी जेल में आने के पहले से थी।

*४---**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)---[वापस लिया गया]।

इलाहाबाद में दिवाली के अवसर पर पकड़े गये जुये

*५---**श्री कल्याण चन्द मोहिले**(जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष दिवाली के अवसर पर इलाहाबाद नगर में कितने जुये पकड़े गये और किन-किन मुहल्लों में ?

*६---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिवाली के अवसर पर जिन स्थानों में जुये पकड़े गये थे वहां इस साल भर में कितने जुये पकड़े गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है

(देखिये नत्थो 'क' आगे पृष्ठ ३९२-३९३ पर)

श्री कल्याण चन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि इलाहाबाद में दिवाली के अलावा और भी जुये के अड्डे कायम हैं और उनसे पुलिस चौथ लेती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन अड्डों की सूचना माननीय सदस्य को होगी, मुझको तो इत्तिला है नहीं।

श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जुआ जो शहरों में होता है यह पुलिस की राय से होता है और पुलिस चौथ वसूल करती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने परसेंट लोग इलाहाबाद में जुआ खेलते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि दिवाली के अवसर पर आम तौर से जुआ खेला जाता है और क्या सरकार उसके रोकने के लिये कोई विशेष कदम उठायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, यह रोग दिवाली के मौके पर व्यापक हो जाता है, और जो सरकार करती है उसका नमूना इस बात से साबित है कि कितने आदमी इलाहाबाद में पकड़े गये और कितने जुये पकड़े गये।

इलाहाबाद नगर में अतरसुइया के निवासियों और पुलिस में झगड़ा

*७—**श्री कल्याण चन्द मोहिले**—क्या यह सही है कि गत ८ नवम्बर को इलाहाबाद नगर में अतरसुइया मुहल्ला के निवासियों और पुलिस में झगड़ा हुआ था ? यदि हां, तो उस झगड़े में कितने लोग गिरफ्तार किये गये, कितनों को पीटा गया और कितने आदमियों के घरों से पुलिस जानवर और सामान उठा ले आई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—८ नवम्बर, सन् १९५३ को अतरसुइया मुहल्ले के कुछ लोगों ने पुलिस की एक पार्टी के ऊपर जो जुये के सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, हमला किया। २० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ११ ने अदालत में आत्म समर्पण किया। पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की और न किसी के घर से कोई सामान या जानवर नाजायज तरीके से उठा ले गई। अदालत की आज्ञानुसार ११ फरार व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क कर ली गई थी परन्तु उनके आत्मसमर्पण करने के बाद वह वापस कर दी गई।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उसमें कितने पुलिस वाले घायल हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस वाले घायल हुये, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो कहा कि कोई खास मार पीट भी नहीं हुई।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—अगर घायल नहीं हुये तो मकानों की तलाशी क्यों ली गई और गिरफ्तारी क्यों हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने तो समझाने की कोशिश की कि २० आदमी तो उसी वक्त गिरफ्तार हुये और बाकी ११ आदमी, जिनके खिलाफ यह चार्ज था कि वे जुये में शरीक थे फरार हो गये। तो अदालत ने यह हुक्म दिया कि चूंकि ये आदमी हाजिर नहीं हो रहे हैं इसलिये उनके मकान के सामान की कुर्की की जाय। बाद में वे लोग हाजिर हो गये और उनका सामान वापस कर दिया गया।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जो झगड़ा होने की बात कही गई तो क्या कोई मारपीट हुई पुलिस के ऊपर ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लोगों ने कुछ साधारण कोशिश की कि गिरफ्तार न किये जायं लेकिन न इधर से और न उधर से कोई मारपीट हुई।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—फिर उन लोगों के घरों की तलाशी क्यों ली गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने निवेदन किया कि तलाशी उस वक्त नहीं ली गई। मगर चूंकि ११ आदमी फरार थे इसलिये इन ११ आदमियों के मकानों की तलाशी ली गई, बाकी किसी के घर की तलाशी नहीं ली गई।

जौनपुर जिला जेल भवन की दशा

*८—**श्री बाबू नन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला जेल की इमारत जहां कैदी रहते हैं अत्यन्त खतरनाक दशा में है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या व्यस्था सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जिला जेल की इमारत की दशा जहां कैदी रहते हैं बहुत अच्छी है, बारिकें मजबूत हैं।

*९—**श्री बाबू नन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लोग जेल पर कैदियों से मिलने के लिये आते हैं, उनको स्थान की कमी के कारण धूप में बैठना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी कोई व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जेल के फाटक के सामने कैदियों से मिलनेवालों के लिये एक टिन का शेड है जहां ३० आदमियों के बैठने की जगह है ।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो टिन का शेड कैदियों से मिलने वालों के लिये बनाया गया है उसमें स्त्रियों और पुरुषों के बैठने के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनके लिये अलग व्यवस्था करने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिलने वाले जो किसी घर से आते हैं तो उसमें स्त्रियां भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं जो एक साथ आते हैं ।

*१०—**श्री बाबू नन्दन**—[२६ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

हल्दी, जिला बलिया के थाने की इमारत का निर्माण कार्य

*११—**श्री बैजनाथ सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि हल्दी जिला बलिया के थाने की इमारत बनाने में कब से काम लगेगा और कब तक इस काम के पूरे हो जाने की आशा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस इमारत के बनाने का कार्य मार्च में शुरू हो जायगा और वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में इसे तैयार करने की कोशश की जायगी ।

*१२-१३—**श्री नेकराम शर्मा**—[५ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले में शिक्षा विभाग के चपरासियों को पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वेतन में वृद्धि

*१४—**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिला नैनीताल में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले चपरासियों को पे कमेटी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक वेतन में तरक्की नहीं मिली ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय जवाब में जरा सी बात समझ में नहीं आई माननीय मंत्री उसे साफ कर दें ।

श्री अध्यक्ष—जवाब में साफ तो लिखा है "जी नहीं"

श्री मदन मोहन उपाध्याय—सवाल यह है क्या यह सही है कि जिला नैनीताल में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले चपरासियों की पे कमेटी रिपोर्ट के अनुसार अभी तक वेतन में तरक्की नहीं मिली" इसका जवाब "जी नहीं" में दिया गया है, मैं समझ नहीं सका कि मिली है या नहीं मिली है क्योंकि जवाब में कहा गया है "जी नहीं" ।

श्री अध्यक्ष—दो निगेटिब्स एक पाजिटिव बनाते हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न १४-१६ श्री मदनमोहन उपाध्याय ने पूछे ।

स्वर्गीय श्री फतेह सिंह की हत्या का विवरण

*१५--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार ऐटा जिले के विधान सभा के सदस्य स्वर्गीय श्री फतेहसिंह की हत्या के संबंध में विस्तृत विवरण देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--स्वर्गीय श्री फतेहसिंह की हत्या से संबंधित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९४ पर।)

उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल की मांगे

*१६--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगी कि सत्याग्रह स्थगन के बाद उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल की माँगों को स्वीकार करने के हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम--अध्यापक मंडल की माँगों को स्वीकार करने के लिये सरकार से किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया था इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतायगी कि अध्यापकों ने जो माँगें सरकार के सामने रक्खी थीं उनमें से कुछ माँगें सरकार ने स्वीकार की हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जिस तरह से माँगे रखी गई थीं वे सब तो नहीं मानी गई लेकिन जैसे प्राविडेंट फंड की माँग थी उसे चालू कर दिया गया है ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले साल जब हड़ताल हुई थी तो अध्यापक मंडल का एक डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से मिला था ?

श्री हरगोविन्द सिंह--हाँ, पहले मिला था ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलायगी कि सन् ५० का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स का जो बकाया वेतन था उसमें सरकार ने क्या किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सरकार ने उसमें अपनी स्थिति साफ कर दी थी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अध्यापकों का जो बकाया वेतन है उसे देने के लिये क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को कोई ग्रांट दी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हाँ करीब ४० लाख रूपये के करीब दिये हैं ।

राजकीय इस्लामिया, हरिजन तथा हिन्दू प्राइमरी स्कूलों को केवल प्राइमरी शिक्षा के नाम से अनुदान

*१७--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार राजकीय प्राइमरी इस्लामिया हरिजन तथा हिन्दू प्राइमरी स्कूलों के नाम से जिला बोर्डों को दिये जाने वाले शिक्षा अनुदानों का भेदभाव मिटाकर केवल प्राइमरी शिक्षा के नाम से अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--जी हाँ, राजकीय प्राइमरी इस्लामिया, हरिजन तथा साधारण प्राइमरी स्कूलों के नाम से जिला बोर्डों को दिये जाने वाला शिक्षा अनुदान अब प्राइमरी शिक्षा के नाम से दिया जायगा ।

राजकीय प्राइमरी स्कूलों के स्थायी अध्यापकों को प्रावीडेंट फंड

*१८--**श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी**--क्या सरकार को मालूम है कि राजकीय प्राइमरी स्कूलों के स्थायी अध्यापकों को जिला बोर्ड के अन्य प्राइमरी अध्यापकों की भांति प्रावीडेंट फंड नहीं दिया जाता है ? यदि हाँ, तो ऐसा अन्तर क्यों रक्खा जाता है ?

श्री डाक्टर सीताराम--जी हाँ। इस अन्तर को दूर करने के संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी किये जायंगे।

श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या यह सही है कि जिला बोर्डों को जो न्यूनतम अनुदान निर्धारित किया गया है उसमें अब भी हरिजनों तथा इस्लामिया स्कूलों के लिये अलग-अलग अनुदान हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, हिसाब रखने के लिये यह रखा गया है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो अनुदान डिस्ट्रिक्ट बोर्डस को दिया जाता है उसको पर्सेंटेज के लिहाज से एक सा सारे सूबे में दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी हाँ, कोशिश तो की जाती है ?

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार को ज्ञात है कि इन मदों पर जो अलहदा अलहदा न्यूनतम अनुदान निर्धारित किये गये हैं तो उनको उसी हिसाब से व्यय करना पड़ेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो अनुदान है उसको शिक्षा के ही अन्तर्गत खर्च करना पड़ेगा लेकिन अलग अलग कितना खर्च करते हैं इसका भी हिसाब रखना पड़ेगा।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ५४-५५ के बजट के पश्चात सरकार इस भेद भाव को मिटाने के लिये विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है बल्कि प्राइमरी शिक्षा के अन्तर्गत जो अनुदान दिया जाता है उसके लिये कहा गया है कि उन मदों में वह कितना-कितना खर्च करते हैं इसका हिसाब रखें।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलग-अलग करने क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो अभी कहा गया है कि जो अनुदान दिया जाता है वह ग अलग नहीं है बल्कि सिर्फ यह होगा कि कितना वह उन मदों पर खर्च करते हैं उसका ाब वह अलग अलग रखेंगे।

श्री बद्रीनाथ जाने के लिये सड़क योजना

*१९--**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की ा करेगी कि श्री बद्रीनाथ दर्शनाभिलाषियों की सुविधा के लिये कोई सड़क योजना विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। हरकार उपलब्ध धन के अन्तर्गत समय-समय पर यातायात के साधनों की उन्नति का प्रयास कर रही है।

*२०—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त धाम क्षेत्र में पन बिजली पैदा करने का साधन उपलब्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी, हाँ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रयास में कितनी सफलता हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सफलता काफी हुई है। उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाऊं चिमोली पिपलकोठी पर ११ लाख २७ हजार व्यय हुआ है और पिपलकोठी गुलाबकोठी में भी ११ लाख से ऊपर खर्च हो चुका है। सबसे ज्यादा सफलता की बात यह है कि भारत सरकार और प्रदेश की सरकार से समझौता हो गया है। करीब ३३ लाख रुपया सड़कों को बनाने में खर्च होगा जिसमें से साढ़े २२ लाख रुपया भारत सरकार देगी और शेष प्रदेश की सरकार देगी। इसमें पुल और सड़कें हैं उनको बनाने का प्रोग्राम है। करीब-करीब सब बातें तय हो गई हैं। रुपया आजाने के बाद बहुत सफलता प्राप्त हो जायगी।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार को मालूम है कि जगन्नाथधाम क्षेत्र के अन्दर गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ भी शामिल है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मालूम तो हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि बद्रीनाथ के आसपास कहीं हवाई जहाज का अड्डा भी बनवाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सरकार तो कोई खास तौर से इसका विचार नहीं कर रही है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—यह जो सड़कों का प्रयास हो रहा है यह गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ धाम के लिये भी होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गंगोत्री, जमुनोत्री की बात भी नहीं है और इस वक्त तो केदारनाथ तक भी जाने की बात नहीं है उस के अन्दर।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितनी सड़कें बनवाई जा रही हैं वहां धर्मशाला और प्याऊ भी बनाने की बात सरकार सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न तो सड़कों की बाबत था, इसलिये ज्यादा व्यौरे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ धर्मशाला की मरम्मत का काम तो बद्रीनाथ कमेटी देखती है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सड़क कब तक बन जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—३३ लाख रुपये का काम है। यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन रुपया जैसे ही गवर्नमेंट आफ इंडिया से प्राप्त हो गया जितनी जल्दी हो सकेगा व.... खत्म किया जायगा।

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय—अब इस साधन को जनोपयोगी बनाने के लिये सरकार का क्या विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं ठीक नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य का जनोपयोगी से क्या तात्पर्य है, लेकिन इस वक्त तो ७० किलोवाट का एक बिजली प्लांट खुद कमेटी ने रखा है, जिस से केन्द्र और उसके आस पास की जो इमारतें हैं उनको बिजली की रोशनी पहुंचाई जाय।

श्री गंगाधर मैटाणी--क्या सरकार बतलायेगी कि बद्रीनाथधाम में जो बिजली उत्पादन होती है उसका पर यूनिट क्या मूल्य पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

जिला बलिया की तहसील बांसडीह में डकैतियां

*२१--श्री बैजनाथ सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि बलिया जिले की बांसडीह तहसील में डाली गई डकैतियों के संबंध में बांसडीह की पुलिस को पहले ही सूचना मिल चुकी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*२२--श्री बैजनाथ सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालूम है कि इन डकैतियों के सिलसिले में कुछ बन्दूकों को जब्त करने के लिये पुलिस ने सरकार के पास रिपोर्ट भेजी थी यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

जिला देवरिया में यूनाइटेड प्राविन्सेज कम्पनी लिमिटेड सेवरही के फार्म

*२३--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में बभनौली, सपहा, डोमाठ और बैकुंठपुर में यूनाइटेड प्राविंसेज कम्पनी लिमिटेड सेवरही का कोई फार्म है ? यदि हां, तो इन फार्मों के पास कितनी जमीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी हां।

(ख) प्रत्येक का क्षेत्रफल क्रमशः

बभनौली--१,३०४.४२ एकड़
सपहा ५४८.३६ एकड़
डोमाठ--४५१.८२ एकड़
और बैकुंठपुर ५७०.५४ एकड़ है।

*२४--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--क्या उक्त फार्मों के मजदूरों की यूनियन रजिस्ट्रीशुदा है ? यदि हां, तो कब से और उसमें कितने मजदूर इस समय हैं और कितने मजदूर यूनियन रजिस्टर्ड होते समय थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--(क) जी हां।

(ख) ३० सितम्बर, १९४७ ई० को यूनियन की रजिस्ट्री हुई थी। रजिस्ट्री के समय ३६५ मजदूर और ३ विशिष्ट सदस्य थे। यूनियन की वर्तमान सदस्य संख्या २७१ है जिसमें २६६ मजदूर और ५ विशिष्ट सदस्य हैं।

जरा सा रूप इसमें बदलना चाहता हूं। ३० सितम्बर, १९४७ को यूनियन की रजिस्ट्री हुई थी। रजिस्ट्री के समय ३६५ मजदूर सदस्य थे और ३ विशिष्ट सदस्य थे की वर्तमान संख्या २७१ है जिसमें २६६ यूनियन मजदूर और ५ विशिष्ट सदस्य हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि रजिस्टर्ड यूनियन होते हुए भी उनका मामला बोर्ड को क्यों नहीं दिया जाता ?

नोट--तारांकित प्रश्न २३-२५ श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——इस प्रश्न में तो इसका कोई जिक्र है नहीं कि बोर्ड या कंसीलियेशन कोर्ट में क्यों नहीं जाता।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)——क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मजदूरी क्या है ?

श्री अध्यक्ष——यह तो इससे उत्पन्न होता नहीं।

श्री जगन्नाथ मल्ल——एग्रिकल्चर लेबर का झगड़ा निबटारा करने के लिये क्या सरकार कोई कंसीलियेशन बोर्ड या ऐसी मशीनरी बनाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——यह बहुत ही व्यापक प्रश्न है। इस छोटे से प्रश्न के सम्बन्ध में इस बात का इस समय उत्तर, देना बहुत मुश्किल है।

देवरिया जिले में अपराधों की बढ़ती संख्या

*२५——श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि देवरिया जिले के प्रत्येक थाने में और देवरिया शहर में अलग अलग सितम्बर, १९५३ के महीने के पहले सप्ताह में कितनी चोरी, डकैती, कत्ल बलवे और दूसरे प्रकार के अपराधों की सूचना मिली, उनमें क्या कार्यवाही हुई, कितने अपराधी पकड़े गये और कितने की सम्पत्ति बरबाद हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९५–३९९ पर।)

*२६–२७——श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)——[१२ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८——श्री विष्णु दयाल वर्मा——[२६ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९——श्री रामसुन्दर पाण्डेय——[१२ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]।

सुल्तानपुर जिले में नशाबन्दी भंग करने वाले अपराधियों की संख्या

*३०——श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपया बतायगी कि सुल्तानपुर जिले में नशाबन्दी भंग करने के अपराध में क्रमशः १९५१–५२ तथा ३० नवम्बर १९५३ तक कितने लोग पकड़े गये और कितने दण्डित हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——मांगी गई सूचना नीचे दी हुई है :——

साल		पकड़े गये लोगों की संख्या	दंडित हुये लोगों की संख्या
१९५१	..	१६०	१४१
१९५२	..	२०७	१९१
१९५३ (३० नवम्बर तक)	..	३५९	२३९

बारह गांवा, थाना मधुबन, जिला आज़मगढ़ में डकैती

*३१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांती (सुल्तानपुर) बारहगांवा, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ में हाल में कोई डकैती हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जी नहीं।

*३२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि हां, तो इस डकैती में कोई मरा भी है? अब तक कितने आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि किस महीने और किस सन् के आधार पर सरकार को यह उत्तर मिला है जो यहां दिया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फरवरी, सन् १९५३।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही नहीं है कि पांती गांव थाना मधुबन में एक लोहार के घर में डाका पड़ा था जिसमें कि लोहार घटनास्थल पर ही मर गया और कई और लोग घायल हुए?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह जिस आदमी के मारे जाने का जिक्र है उसके भाई ने जो रिपोर्ट लिखायी है, उसकी परी रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। अगर श्रीमान् आज्ञा देंगे तो मैं पढ़ दूंगा। उसमें उसने खुद कहा है कि मेरे भाई के मकान में कुछ लोगों ने सेंध लगायी और सेंध लगा कर वह अन्दर आये तो मेरा भाई और उसकी पतोहू जग गई और उन्होंने चोरों को रोकना चाहा। चोर भागे और फिर बाहर आकर लाठी चली जिसमें वह आदमी मारा गया और कुछ और आदमियों को भी चोटें लगीं। उसने डकैती नहीं लिखाई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस चोरी में कितने का सामान गायब हुआ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माल तो इस वक्त मैं ठीक नहीं कह सकता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सही है कि इस चोरी में जिसको चोरी बताया जाता है, यह चोरी नहीं थी, डकैती थी और उसमें कुछ आदमी गिरफ्तार भी हुए थे पर शिनाख्त न होने के कारण छोड़ दिये गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— चोरी और डकैती में जो फर्क होता है वह तो एक कानूनी बात है। मैं फिर कहता हूं कि डकैती नहीं हुई थी, चोरी हुई थी। यह सही है कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए और शिनाख्त न होने की वजह से छूट गये।

सहकारी पय परिषद् कानपुर के खजांची के ऊपर आक्रमण

*३३—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १५ जून, सन् ५३ को पय परिषद् कानपुर के धन को जिसे खजांची लिये जा रहा था किन्हीं षडयन्त्रकारियों ने छीनने तथा करौली से हमला करने का प्रयास किया? क्या सरकार इस तथ्य की पूर्ण रिपोर्ट मेज़ पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— कोआपरेटिव बैंक कानपुर के एजेण्ट श्री ब्रह्मदेव सहाय ने १५ जून, सन् १९५३ को थाने में यह रिपोर्ट की कि श्री कैलाश नाथ वाजपेयी, खजांची सहकारी पय परिषद् के ऊपर , जब वह ३,४०० रुपये बैंक में जमा करने ले जा रहे थे, दो बदमाशों ने चाकू से हमला किया और रुपया छीन लिया। मामला आई० पी० सी० की धारा ३९४ के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जांच करने से पता चला कि खजांची ने सहकारी पय परिषद् के धन का गबन किया है और उसे छिपाने के लिये उन्होंने यह झूठी रिपोर्ट लिखाई। इसलिये इस मामले की जांच समाप्त करके अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। श्री बाजपेयी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाने और रुपया गबन करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को पता है कि उस रिपोर्ट में इसके अलावा और भी शिकायतें थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पता है और इस पय परिषद् का ध्यान बार-बार दिलाया गया कि यह जो मामला हुआ इसके अलावा और भी आपके यहां हिसाब किताब गड़बड़ है लेकिन कारण जो कुछ भी हो, उनकी तरफ से बिल्कुल सहयोग नहीं मिल सका। सहयोग मिला होता तो इस काम में और काफी छानबीन की गई होती।

श्री बासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि वहां के पुलिस अफसरों ने यह रिपोर्ट की है कि यहां रुपये का काफी गोलमाल है ? लिहाजा इसकी जांच करने का अधिकार हमें दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो मैंने निवेदन कर ही दिया कि इस बात का काफी प्रमाण मालूम होता है कि उनका हिसाब-किताब काफी गड़बड़ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा उनका सहयोग न मिलने के कारण क्या हो सकता है इस पर हम गौर कर रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उत्तर में बतायी गयी आवश्यक कार्यवाही क्या हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पय परिषद् को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके रुपये का गड़बड़ हुआ है। आप इसमें दिलचस्पी लें और जिन लोगों की गलती हो उन लोगों को पकड़वाने में मदद करें।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)— क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस हिसाब-किताब के गड़बड़ का जिम्मेदार कौन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं कैसे बतलाऊं जब कि मैं कह रहा हूं कि जांच होने ही नहीं पायी है तो मैं कैसे कह सकता हूं।

*३४—३६—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[४ मार्च, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या २५–२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अलीगढ़ जिले में तोड़े गए स्कूल

*३७—श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि गांवों में स्थित लड़कियों के समस्त स्कूल तोड़े जाने के आदेश सरकार ने जारी किये हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*३८—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में कितने स्कूल इस वर्ष में तोड़े गये हैं उनमें कितने लड़कियों के थे और क्या सरकार ऐसे तोड़ें गये स्कूलों के नामों की एक सूची मय कारणों के मेज पर रखने की कृपा करेगी।

डाक्टर सीताराम—जिला परिषद् अलीगढ़ ने कुल ७० पाठशाला तोड़े हैं जिनमें से ४१ बालिकाओं के प्रारम्भिक पाठशाला हैं। वंछित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०० पर।)

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगराना, पोरा, हसायन, पुदिलनग स्कूलों के तोड़ने के समय उनमें लड़कियों की संख्या कितनी थी?

डाक्टर सीताराम—अगल-अलग संख्या इस समय मैं नहीं बतला सकता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ये स्कूल कितने दिन से कायम कर रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना नहीं है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ४१ पाठशालाओं को तोड़ने से पहले जिला परिषद् अलीगढ़ ने इनके बन्द करने से पहले क्या-क्या प्रयास किये थे?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो मैं नहीं बतला सकता। प्रयास जरूर किये होंगे और जब अपने प्रयास में विफल हुए होंगे तभी तोड़ना पड़ा होगा?

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन स्कूलों को तोड़ने से पहले इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट पेश की थी वह रिपोर्ट क्या है।

श्री हरगोविन्द सिंह—उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन स्कूलों के बन्द करने के क्या कारण हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके कई कारण हैं। एक तो इनमें छात्राओं की संख्या कम थी। दूसरे इनके पास समुचित बिल्डिंग्स नहीं थीं। इसके अतिरिक्त वहां की जनता उन स्थानों पर स्कूल चाहती नहीं थी।

सिकन्दरराऊ (अलीगढ़) में रिवाल्वर के लाइसेंस

*३९—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५२ में तथा १९५३ में सिकन्दरराऊ (अलीगढ़) में कितने व्यक्तियों को रिवाल्वर दिये गये हैं? क्या उन व्यक्तियों के नाम तथा (Social Status) का एक चार्ट सरकार मेज पर रक्खेगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५२ और १९५३ में सिकन्दरराऊ में रिवाल्वर के ११ लाइसेंस दिये गये। लाइसेंसदारों के नाम तथा उनके सोशल स्टेटस का विवरण संलग्न नकशे में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०१ पर।)

श्री विश्वनाथ 'मन्दिर' बनारस में हरिजन-प्रवेश-निषेध के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री जोरावर वर्मा ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि श्री रैदास जयन्ती के शुभ अवसर पर श्री बेचनराम सदस्य विधान सभा हरिजनों को साथ लेकर विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिये गये थे किन्तु उनको वहां पर अन्दर नहीं जाने दिया गया। इसके फलस्वरूप हरिजनों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है और इसके कारण हरिजन समाज में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है। इसलिये इस घटना के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिये वह इस सदन के कार्य को स्थगित करना चाहते हैं।

माननीय श्री जोरावर वर्मा को जिस समय उक्त घटना के बाद इस सदन का कार्यक्रम प्रथम बार आरम्भ हुआ उसी वक्त प्रस्ताव सदन के सम्मुख लाना चाहिये था। इससे अर्जेन्सी स्वयं ही उनको प्रतीत नहीं होती नहीं तो स्वयं ही वे इस प्रश्न को तत्काल यहां पर लाते।

दूसरी बात यह है कि आज कल यहां पर बजट सेशन चल रहा है उस सिलसिले में यह प्रश्न उठाया जा सकता है और सम्बन्धित विषय के अनुदान पर विचार करते हुए कटौती का प्रस्ताव भी हो सकता है और किसी दूसरे के कटौती प्रस्ताव पर भी इस विषय पर वह बोल सकते हैं। इसलिये मैं इसको अनुमति नहीं देता।

श्री गेंदा सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री मदन मोहन उपाध्याय ने भेजा है।उनका कहना है कि श्री गेंदा सिंह को बग़ैर रिमांड के जेल में बन्द रखा गया है और उनको कारण भी नहीं बताया गया है तो उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उस पर विचार करने के लिये वह भी सदन के कार्य को स्थगित करना चाहते हैं। अभी पुलिस का बजट आ रहा है उस पर वह चर्चा कर सकते हैं। श्री गेंदा सिंह आज गिरफ्तार नहीं हुये हैं। मैंने सदन को सूचना कई दिन पहले दी थी उस रोज़ यदि उसको अर्जेन्सी थी तो उस दिन वह पेश कर सकते थे। ऐसी हालत में मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, आपने निर्णय तो सुना दिया किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गेंदासिंह जी का तार आज ही मेरे पास जेल से आया है। उसमें जो जेल की परिस्थिति है वह उन्होंने लिखी है...

श्री अध्यक्ष---यह जो उनका तार आया था उसको आपको मेरे पास उस प्रार्थनापत्र के साथ नत्थी करके भेजना था। मैं उस पर विचार करता कि क्या नयी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आपने उसको मेरे पास नहीं भेजा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---मैं उसको कल आपके पास भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष---अब तो २ तारीख को पुलिस का बजट आ रहा है उस समय आप उसकी चर्चा कर सकते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह को सिचाई कर विरोधार्थ लोगों को भड़काने के संबंध में कारावास के दण्ड की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मुझे एक सूचना देनी है। वह सूचना इटावा के मैजिस्ट्रेट ने मेरे पास भेजी है। उन्होंने यह कहा है कि :--

महोदय, मैं आपको यह सूचना देना चाहता हुं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पुस्तिका पैम्फलेट और जुलूस द्वारा तथा नारे लगाकर लोगों को इस बात के लिये भड़काया कि सिंचाई की वृद्धि के लगान का भुगतान न करें। इनके इस अभियोग की सुनवाई मेरे द्वारा इटावा जेल में उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर ऐक्ट ३२ के सेक्शन ३ के अन्तर्गत की गयी। २३ फरवरी, सन् १९५४ ई० को लगभग २।। घंटे की सुनवाई के बाद मैंने यह पाया कि वे उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर ऐक्ट ३२ के सेक्शन ३ के अन्तर्गत दंडनीय अपराधी हैं। मैंने उनको १५ दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया है।

आय-व्ययक काल में कार्य स्थगन प्रस्ताव की वैधता का प्रश्न

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस जमाने में बजट चल रहा हो क्या उस जमाने में एडजर्नमेंट मोशन आ सकता है? इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--जी हां, आ सकता है। अगर वह अवैध होता है तो मैं इजाजत नहीं देता हुं। यह बात दूसरी है कि उसके विचार के लिये कौन सा समय रखा जाय।

२ मार्च, १९५४ को सदन की बैठक स्थागित करने का सुझाव

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढवाल)--अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत क्रमानुसार हम आज के बाद २ तारीख को मिल रहे हैं। इस सदन के काफी सदस्यों की यह राय है कि यदि सम्भव हो तो २ तारीख की बैठक स्थगित कर दी जाय और ३ तारीख को छुट्ठी कर दी जाय। इसका सरल उपाय तो यह है कि २ तारीख की कार्यवाही कल २७ तारीख को ले ली जाय। मगर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की कल कोई कानफरेंस है। इसलिये यह सुझाव तो सामने नहीं है। तो २ तारीख की कार्यवाही अगर किसी और दिन ले ली जाय तो इससे सदन के सदस्यों को सुभीता होगा। यदि आप कोई उपाय निकाल दें तो ठीक रहे।

श्री अध्यक्ष--यह विरोधी दल के नेता और नेता सदन मिल कर सुझाव देते हैं और उसके अनुसार मुझे तय करना होता है। माननीय बालेन्दुशाह उन लोगों से बातचीत कर लें और अगर कोई सुझाव हो तो वह स्वीकृत हो जायगा और यह परिवर्तन हो सकेगा।

विभिन्न अनुदानों के लिए समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--आज के अनुदानों के सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि ये सुझाव आवें कि कितना समय किस अनुदान के लिये दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या २७ के लिये १ घंटा ४५ मिनट, ३७ के लिये आधा घंटा, और ३८ व ४४ के लिये १, १ घंटे का प्रस्ताव करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ३७ के लिये ४५ मिनट रखे जावें, इसमें जगन्नाथ मल्ल जी ने आधा घंटा रखा है। अनुदान संख्या २७ में १ घंटा ३० मिनट कर दिया जाय। बाक़ी ठीक है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो अनुदान २७ के लिये डेढ़ घंटा, ३७ के लिये ४५ मिनट, और ३८ तथा ४४ के लिये एक एक घंटा रखा जाय।

१९५४-५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २७-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की शिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७, लेखा शीर्षक ४३---उद्योग के अन्तर्गत २,७३,०६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कोई लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता हूं। मैं कम से कम वक्त लेना चाहता हूं ताकि हमारे मित्रों को काफी समय मिले और जो कुछ सुझाव वे मुनासिब समझें मुझे दें, ताकि मैं उनसे फायदा उठाऊ और उन पर विचार करके अमल करने की चेष्टा करूं लेकिन संक्षेप में मैं चन्द बातें कह देना चाहता हूं कि इस अनुदान के अन्तर्गत ८०, ९० हजार रुपया इस गरज से रखा गया है कि सीमेंट फैक्ट्री जून या जुलाई से चालू होने वाली है और उसके चलाने में इतना रुपया सर्फ होगा। इसके अतिरिक्त ५,५३,५०० पी० आई० एफ० के सिलसिले में रखा गया है। १ लाख ७ हजार रुपया इंडियन फाईनेंस कार्पोरेशन कायम करने के लिये रखा गया है। यह कार्पोरेशन छोटे-छोटे उद्योग धंधों की माली दिक्कतों को रफा करने के लिये कायम किया गया है ताकि वे लोग यहां से माली सहायता लेकर अपने उद्योगों की उन्नति कर सकें। १० लाख रुपया बेकारी के सम्बन्ध में रिलीफ देने के लिये रखा गया है। १ लाख ५ हजार रुपया उन पोलीटिकल सफरर्स और हरिजनों के लिये रखा गया है जो इंडियन सविलियन ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ते हैं। डेवलपमेंट आफ फ्रूट्स प्रीजरवेशन ऐन्ड कैनिंग के सिलसिले में ९,११,५०० रुपया रखा गया है। इसके अतिरिक्त खादी के विकास के लिये ३,८३,८०० रुपया रखा गया है। गुड़ के विकास के लिये १ लाख २५ हजार रुपया रखा गया है सिल्क इंडस्ट्री के विकास के लिये १,२६,७०० रुपया रक्खा गया है। हैंडलूम वीविंग सोसाइटी के लिये १ लाख ७७ हजार रुपया रखा गया है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से सेस में जो हिस्सा मिला है उस रुपये में से भी इसमें काफी रकम रखी गयी है।

वाल्यूम ४ को देखने से पता चलेगा कि हार्टीकल्चर के लिये ८,५५ हजार रुपया रक्खा गया है। सिडर इंडस्ट्री के लिये १ लाख, वूलन इडस्ट्री के लिये, ३,५५ हजार और ड्रग कलेक्शन के लिये ५ लाख रखा गया है। इनके लिये रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। इस प्रकार से यह सब प्रावीजन इस अनुदान के सिलसिले में रखा गया है। इसके अतिरिक्त डायरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा भी और बहुत सी स्कीमें हैं जिनके जरिये से छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधों की सहायता पहुंचाने की जो स्कीमें हैं, उनको काफी सहायता दी गयी है। क्वालिटी मार्क की स्कीम चालू की गयी है, और अलीगढ़

के ताले, आगरा के जूते और फर्रुखाबाद के प्रिण्ट्स पर मार्क लगाकर उसकी क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक इन्डिपेंडेंट डायरेक्टोरेट फ्रूट यूटीलाईजेशन के लिये रक्खा गया था। इसके विकास के लिये हिल एरिया में काफी काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ लोन और ग्रान्ट की स्कीम भी रक्खी गई है । २ लाख रुपया लोन और ६० हज़ार ग्रान्ट के लिये रक्खा गया है । इसके जरिये से इंडिविजुअल और कोआपरेटिव्स के जरिये लोन और ग्रॉंट्स दी जाती हैं ताकि उद्योग धंधों में मदद की जा सके। टेक्नीकल ऐजुकेशनल इस्टीटचूशन्स में जनरल एजुकेशन का अभाव था, अब तक वे नहज़ टैक्नीकल शिक्षा ही देते थे । उससे विद्यार्थियों को हैंडिकैप सा रहता था लिहाजा यह स्कीम रखी गयी है कि कुछ जेनरल एजुकेशन भी दे और अब तक जो उनको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स मिलते थे वे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बराबर नहीं समझे जाते थे, लेकिन अब इस स्कीम से हाई स्कूल टेक्निकल, और इंटरमीडिएट टेक्निकल के सर्टिफिकेट उन्हीं के बराबर समझे जायेंगे। इसको ४ संस्थाओं में जारी किया गया है, और चार संस्थाओं में भी जारी करने का इरादा है । हार्टकोर्ट बटलर इंस्टीच्यूट, कानपुर को हम ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसके लिये होल टाइम प्रिंसिपल की जगह क्रीएट करके हम उसको उन्नतिशील बनाना चाहते हैं । एक पाइलट प्रोजेक्ट खोलना चाहते हैं जिसमें किसी खास इंडस्ट्री के लिये और उसके सिलसिले में जितने और प्राबलम्स पैदा होते हैं उनको हल करके हम एक तजुर्बा हासिल करें और उन्हें तरक्की दें। सिल्क इंडस्ट्री भी हमारे यहां देहरादून में चल रही है। तजुर्बा यह बतलाता है कि उसके लिये वहां ज्यादा स्कोप है लिहाजा इसके लिये हमने काफी रकम रखी है कि उस इंडस्ट्री को भी तरक्की दें।

गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमें कुछ रकम मिली है और उस रकम को हम पहाड़ों में एक माडल आर्चार्ड खोलने में लगाना चाहते हैं। उसमें फ्रूट यूटिलाइजेशन के लिये भी काम होगा। उसके साथ एक एग्रीकल्चर फार्म भी होगा, एक एनिमल हस्बैंडरी का भी फार्म है। तो इस तरह से यह भी किया जा रहा है कि बहुत से फल जो आंधी में गिर जाते हैं या ऐसे भी गिर पड़ते हैं और जो बेकार जाते हैं उनकी तादाद काफी है। अगर उनका सद्प्रयोग किया जाय तो मैं समझता हुँ कि हमको अच्छा फायदा हो सकता है। एक स्कीम ऊल और हर्ब्स कलेक्शन के लिये भी है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीच्यूट गोरखपुर को भी हम up grade करना चाहते हैं। वहां काफी मशीनें पुरानी हैं, उनको रिप्लेस करना होगा, और वहां लेबोरेटरीज का इन्तजाम भी मौजूदा हालत में सन्तोषजनक नहीं है लिहाजा उसमें भी हम कुछ इजाफा करना चाहते हैं। मेरठ पोलीटेक्निकल स्कूल जिसको चौधरी मुख्तार सिंह जी ने खोल रखा था उसको भी गवर्नमेंट ने ले लिया है। उसमें भी हम नयी मशीनों की व्यवस्था करना चाहते हैं। पुरानी मशीनें रिप्लेस करके जो माडल मशीनें हैं उनको वहां लगा दें तो विद्यार्थियों को फायदा पहुंच सकता है। कानपुर में जो हमारी सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीच्यूट है उसकी लेबोरेट्रीज वगैरह पुरानी हैं, मशीनें भी पुरानी हैं, उनको भी हम रिप्लेस करके रखना चाहते हैं। लखनऊ टेक्निकल इंस्टीच्यूट की लेबोरेट्रीज में भी हम इजाफा करना चाहते हैं। लखनऊ आर्ट ऐंड क्राफ्ट्स स्कूल में यहां के अध्यापकों का स्केल बहुत कम था, उसकी वजह से जो अच्छे आदमी होते थे वे नहीं आते थे। उनका स्केल अब बढ़ा दिया गया है ताकि काबिल से काबिल आदमी हमें मिल सकें और हमारे विद्यार्थियों को ठीक तरह से शिक्षा दे सकें। स्कूल की बिल्डिंग में इजाफा करना है और गर्ल स्टूडेंट्स के लिये भी एक बोर्डिंग खोलने की व्यवस्था की जा रही है और वहां के लिये एक नई मशीन खरीदने की व्यवस्था की जा रही है । इससे यह पता चलेगा कि भरसक प्रयत्न

[श्री हुकुम सिंह]

इस बात का किया जा रहा है कि उद्योगों को कुछ सहायता मिले, उसको कुछ उन्नति पहुंचे क्योंकि हमारे देश की एकानामी में उद्योगों की एक खास जगह है और अगर हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाते तो जो तरक्की हम करना चाहते हैं मुमकिन है उसको हम हासिल न कर सकें। हां, हम यह मानने के लिये तैयार हैं कि ये उद्योग धंधे हमारे यहां पहले पिछड़े हुए थे और इतने दिनों तक विदेशी हुकूमत की वजह से उनकी एक तरह से उपेक्षा हो चुकी थी, लेकिन जब से आपकी सरकार आयी है तब से इसकी तरफ इसने काफी दिलचस्पी ली है। यह सम्भव है कि जितनी तरक्की हमें करनी चाहिये थी वह हम न कर सके हों, लेकिन हमारे उद्योग में जरा भी कमी नहीं है और मैं आशा करता हूं कि आप सब भाइयों की सहायता और मदद से इस साल हमारी तरक्की में काफी प्रगति होगी।

एक बात मैं इस सिलसिले में और अर्ज कर देना चाहता हूं। हमारे मित्र श्री रामकुमार शास्त्री ने आम बहस में यह बात कही थी कि मैंने बस्ती जिले की उपेक्षा की है। हां, यह मुमकिन है कि बस्ती जिले के लिये जितना हमें करना चाहिये था उस कदर हम न कर सकें हों, लेकिन यह कहना कि बस्ती जिले की उपेक्षा की गयी यह बात जरा उचित नहीं मालूम होती है, और ठीक भी नहीं मालूम होती है। उद्योग विभाग की तरफ से जो पाम्फलेट 'प्रोग्रेस रिव्यू' बंटी हुई है उसके देखने से पता चलेगा कि बस्ती जिले में भी काम हो रहे हैं। यह भले ही मुमकिन हो कि उससे हमारे मित्र की इच्छाओं की पूर्ति न हो सके, लेकिन फिर भी काम तो हो ही रहे हैं। खलीलाबाद में क्वालिटी मार्किंग स्कीम चल रही है और हरैया और बस्ती और एक जगह और टेक्नीकल टच्शनल क्लासेज भी चल रहे हैं। खादी केन्द्र भी बुढ़वल वगैरह तीन चार जगह पर हैं। उस पाम्फलेट को देखने से पता चलता है कि बस्ती जिला उपेक्षित जिलों में से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ अपने मित्र से परामर्श करने के बाद और जांच पड़ताल करने के बाद और जिन-जिन चीजों की गुंजायश होगी वहां पर करने की चेष्टा करूंगा।

इन शब्दों के बाद मैं आशा करता हूं कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

† **श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)— माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में उद्योग मंत्री ने १ करोड़, ७३ लाख ६ हजार रुपये की मांग की है। जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है, वह इसलिये रखा है कि जो कुछ भी खामियां इस बजट के अन्दर हैं, उनको बतलाऊं। वास्तविकता तो यह है कि मैं चाहता हूं कि जितना बड़ा बजट यू० पी० सरकार ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उतना बड़ा बजट अकेले उद्योग मंत्री जी इस सदन के अन्दर हमसे मांगें। लोग पूछेंगे कि भाई आप तो टैक्स का भी विरोध करते हैं और आप यह भी कहते हैं कि केवल जितना बड़ा बजट यू० पी० का है उतना अनुदान अकेले उद्योग मंत्री मांगें, यह तो एक तमाशा सा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं। मुझे आशा थी कि हमारे उद्योग मंत्री जी जोकि पहले राजस्व मंत्री थे उस समय जिस तरह से उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया था उसी तरह इस विभाग में भी आने के बाद जितने

† वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी बड़े बड़े उद्योग-धंधे हैं उनका समाजीकरण करेंगे, जब कि इस सदन ने भी दो दो दफा इसके लिये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अगर हमारे यू० पी० के अन्दर जितने भी बड़े-बड़े उद्योग-धंधे हैं उनका समाजीकरण कर दिया जाय तो मैं समझता हूँ कि हमारे उद्योग मंत्री जी इतने बड़े बजट को इस सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे, जितना बड़ा बजट केवल हमारे यू० पी० का है। इतना ही नहीं बल्कि जो छोटे मोटे टैक्स इधर उधर जनता पर लगाये जाते हैं उन टैक्सों के लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे उद्योग मंत्री जी अपने खर्चे के अलावा इतना रुपया और भी अपने डिपार्टमेंट से इस सूबे को दे सकेंगे और इस तरह से हम अपने सूबे में बिना पैसा लिये ही शिक्षा दे सकेंगे।

मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बतलाया कि बहुत से उद्योगों को जो हाथ से किये जाते हैं जैसे चर्खा या बुनने का काम, इनके अलावा और भी उद्योग जो हैं उनको काफी सहायता मिलती है, उनको सहायता मिले, ठीक है, लेकिन सारा काम इतने से ही चलने वाला नहीं है। आजकल कलयुग में हम खाली हाथ की बनी चीजों से ही अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे उद्योग विभाग में एक ऐसा विभाग खोला जाय, जो कि ऐसी मशीनों की ईजाद करे जो कि ज्यादा से ज्यादा माल तैयार कर सकें और उनकी जो कीमत हो वह बहुत कम हो। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अमरीका जितने आदमियों को काम दे रहा है उससे दसगुने आदमियों को हम अपने यहां इस विभाग के अन्दर उत्पादन का काम दे सकेंगे। यह हमारे सामने समस्या है। जब तक हम सभी उद्योगों को लेकर उसकी विवेचना नहीं करेंगे कि कैसे उद्योगों को सेंट्रलाइज किया जाय और उसको जनता के द्वारा चलवाया जाय और ऐसी मशीनें बनवाई जायें जो कि गांवों में भी लग सकें तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है।

यह थोड़े रूप में मैंने बतलाया कि अगर हमारा उद्योग विभाग इधर आगे बढ़े और इस तरफ सोचे और चीजों की तरफ ध्यान दे तो मैं समझता हूं कि हम अपने सूबे में काफी बेकारी की समस्या को हल कर सकेंगे।

दूसरी चीज मुझे बजट के बारे में यह कहनी है जैसा कि मुझे बजट के देखने से मालूम हुआ कि बावजूद इसके कि इस विभाग में उद्योग मंत्री हों, उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हों और इनके अलावा सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीज, अन्डर-सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी हों तो फिर इस विभाग पर ५,७३,६०० रु० खर्च करने की क्या जरूरत है। हो सकता है कि इन लोगों में कोई टेक्निकल एक्सपर्ट न हो तो उसके लिये माननीय मंत्री जी एक आदमी को रख सकते हैं, लेकिन यह कि हर डिपार्टमेंट जो खुले उसमें डाइरेक्टर हों, फलाने ढिकाने इन सब पर इतना पैसा खर्च किया जाय। इससे तो मेरी समझ में यही उचित मालूम होता है कि वह पैसा किसी दूसरे काम में लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा है।

तीसरी चीज जो मुझे कहनी है वह सरकारी वर्कशाप्स के बारे में है। मेरी समझ में जो सरकारी वर्कशाप्स देखने में आती हैं उनमें जितना खर्चा किया जा रहा है उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। पिछले साल का तखमीना लगाया गया था १ लाख ३० हजार और वर्कशाप से जो सामान तैयार किया जा रहा है उससे आमदनी होगी १ लाख १५ हजार के करीब। इस साल खर्चा दिखाया गया है १ लाख, १० हजार, ७ सौ और आमदनी के बारे में तखमीना रखा गया है १ लाख, १५ हजार।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

पिछली दफा जो तखमीना रखा गया था उससे १५ हजार की कमी हुई तो इस साल भी हो सकता है कि उसी हिसाब से कमी हो। इस तरह से वर्कशाप पर जितना खर्च होता है उतने का सामान हम तैयार नहीं करा पा रहे हैं।

दूसरे सरकार ने एक फैक्ट्री लखनऊ में खोली है जिसमें छोटे छोटे औजार बनाये जाते हैं। पिछले साल के बजट को देखने से मालुम होता है और कल जो उद्योग मंत्री ने कौंसिल में एक सवाल का जवाब दिया उससे भी मालूम होता है कि यह फैक्ट्री दो साल से न मुनाफा कर पा रही है और न कुछ कर पा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि सरकार इस प्रकार की फैक्टरियां खोलती है लेकिन उनमें मुनाफ़ा नहीं होता है, जब कि इसी तरह की दूसरी फैक्टरियां जो खोली जाती हैं उनमें लोग काफी अच्छा मुनाफा कर लेते हैं। यह तो राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण का खेलवाड़ हो गया। जिस तरह से सरकार हमारे यहां राष्ट्रीयकरण करती है या मिलों को अपने हाथ में लेती है और जिस तरह से चलवाती है शायद उस तरह चलाने से, फैक्टरियां ठीक तरह से नहीं चल सकेंगी और न उनमें कोई मुनाफा हो सकेगा। उसके लिये तो आप को बड़े-बड़े कारपोरेशन खोलने होंगे। राष्ट्रीयकरण करने के बाद जब तक आप उन कारपोरेशनों में सरकारी नुमाइंदे, मजदूरों के नुमाइंदे और जो लोग उन फैक्टरियों के सामान को इस्तेमाल करते हैं उनके नुमाइंदे और इस तरह से समाज के द्वारा उन फ़ैक्टरियों को नहीं चलावेंगे तब तक इस तरह से नौकरों के द्वारा चलवाने से फैक्टरियां ठीक रूप से नहीं चल सकतीं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इधर ध्यान दे।

शिक्षा के बारे में बहुत कहा गया। अध्यक्ष महोदय, ठीक है कि जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें सुधार हो। लेकिन फिर भी हमारी सरकार को या उद्योग मंत्री जी को यह देखना होगा कि जो छात्र शिक्षा पाकर निकलते हैं आया वह खाली यह तो नहीं सोचते हैं कि हमने शिक्षा पाई है तो चलकर किसी टैक्निकल स्कूल में शिक्षक का काम करें। पहले हमें यह देखना है कि जो लोग शिक्षा पाकर औद्योगिक शिक्षा संस्थाओं से निकलते हैं वे क्या काम कर रहे हैं, उनको अपने पैरों पर खड़े होकर काम करने की सुविधा है या नहीं। इन सारी चीजों का ख्याल अगर्चे सरकार ने किया, तब ही जाकर हमारा काम चल सकता है। इन शब्दों के साथ में अपना यह कटौती का प्रस्ताव आपके सामने उपस्थित करता हूं।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष जी, मैं सब से पहले तो मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने दो तीन नयी चीजें प्रस्तुत की हैं। फाइनेंशियल कार्पोरेशन के लिये जो आपने मदद दी है वह एक नयी चीज अपने बजट में है और हम समझते हैं कि इसका सदुपयोग होगा और इस तरीके से हमारे मुल्क की भलाई होगी।

मैं इन सात मिनट में ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता और न मैं उस बहस का जवाब ही देना चाहता हूं जो कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने की है। सिर्फ एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि यह कह देना आसान है कि समाजीकरण करना चाहिये, नेशनलाइजेशन करना चाहिये, लेकिन नेशनेलाइजेशन के प्रोज ऐंड कांस होते हैं, इसको इस तरह से आसानी से नहीं तय किया जा सकता और फिर दस वर्ष तक हम कानूनन नेशनलाइजेशन कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यह कांस्टिटयूशन में लिखा हुआ है। जब कांस्टिटचूशनली हम इसको नहीं कर सकते हैं तो फिर इसका बार बार कहना

कि नेशनेलाइजेशन करो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर नेशनेलाइजेशन के माने हैं कि हम स्टेट को दे दें और स्टेट के माने हैं कि हम सत्ता, सरकार यानी कलेक्टर और कमिश्नर को दे दें, और जब कलेक्टर और कमिश्नर को दिया जायगा तो यह कहा जायगा कि वह बड़े करप्ट हैं, निकम्मे हैं, उनको न दो। तो यह बड़ा मुश्किल है कि इंडिविजुअल को दिया जाय या सरकार को दिया जाय इसलिये नेशनलाइजेशन के बारे में जो सवाल उठाया गया है उसके बारे में हमको बहुत गम्भीर विचार करना चाहिये और इस तरह से नहीं कह देना चाहिये कि किसी डिपार्टमेंट को नेशनलाइज कर देना चाहिये।

अब मैं चार, पाँच सजेश्चन्स (सुझाव) देना चाहता हूं। मेरा पहला सजेश्चन (सुझाव) यह है कि हमने जो टेक्निकल इंस्टीटचूशन्स खोले हैं उनमें एक बड़ा डिफेक्ट (दोष) यह है कि टेक्निकल एजुकेशन तो हम देते हैं लेकिन जब वहाँ के लड़के पढ़ कर निकलते हैं तो उनको क़तई भी काम नहीं मिलता। मैं बरेली के राजकीय काष्ठ कला विद्यालय को जानता हूं। वहाँ पर काठ का काम सिखलाया जाता है, लेकिन वहाँ के लड़कों को ५ परसेंट भी जगह नहीं मिलती है। वाँचू कमेटी ने भी उस पर एक दृष्टि डाली है। उसके लिये यह होना चाहिये कि गवर्नमेंट वहां पर टेक्निकल इंस्टीटचूशन्स खोले जहाँ कि उस तरह के इंडस्ट्रियल कंसर्न्स हों जो कि वहाँ के पढ़ने वालों को अपने में खपा सकें ताकि जब वे पढ़ कर निकलें तो उनके लिये कार्य सुरक्षित हों और वे उनमें ले लिये जायं। नहीं तो नतीजा यह होता है कि टेक्निकल इंस्टीटचूशन्स में जो रुपया खर्च होता है उससे देश फायदा नहीं उठा पाता है। इसलिये गवर्नमेंट हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि जहाँ–जहाँ टेक्निकल इंस्टीटचूशन्स हों वहाँ पैरलल इंडस्ट्रियल कन्सर्न्स (संस्थाएं) हों।

दूसरा सजेश्चन इसी के साथ में यह है कि हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पर ये टेक्निकल इंस्टीटचूशन्स हैं वहाँ पर जो उसके साथ की लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे काठ के लिये काठ का काम करने वाली और चमड़े के लिये चमड़े का काम करने वाली इंडस्ट्रीज, तो उनका उनको पूरा सहयोग नहीं मिलता है। उनकी शिकायत यह है कि हमको इन एजुकेशनल इंस्टीटचूशन्स से पूरा सहयोग नहीं मिलता है। इसके अलावा उनमें आपस में कुछ जेलसी (ईर्ष्या) भी होती है। उसका कारण यह है कि यहाँ से जो कंट्रेक्ट जाते है तो उसका मंशा तो यह होता है कि जो संस्था सरकारी खुली है उससे बनवाया जाय लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह करते यह हैं कि वह कंट्रेक्ट लोकल इंस्टीटचूशन्स को दे देते हैं जिसकी वजह से आपस में जेलसी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि वे उनसे जलन करने लगते हैं। इसलिये मेरा दूसरा सजेश्चन यह है कि ऐसे कंट्रेक्ट्स टेक्निकल इंस्टीटचूशन्स को दिये जायं लेकिन उनके ज़रिये से किसी लोकल इंस्टाटचूशन्स को नहीं देना चाहिये। उनको अगर देना है तो सीधा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दे।

मेरा तीसरा सजेश्चन यह है कि हमको एक चीज जरूर देखनी है और वह यह है, महात्मा गांधी ने भी इस पर बहुत जोर दिया था, कि बड़ी-बड़ी फैक्टरीज होनी चाहिये, मशीनें भी होनी चाहिये, यह सब ठीक है, लेकिन इन मशीनों और फैक्टरियों के लिये कैपिटल चाहिये और कैपिटल के लिये आपके पास डालर पूल या स्टर्लिंग है नहीं तो कैसे काम चलेगा। इसलिये आपको महात्मा गाँधी के बताये हुये मार्ग पर चलना पड़ेगा और वह यह है कि देहातों में उन धंधों को देखना पड़ेगा कि जो सूखे हुये हैं और उनको सरसब्ज बनाना होगा। जापान ने भी यही किया और चीन भी यही कर रहा है और हमको भी इस चीज को देखना चाहिये। वाँचू कमेटी ने अपनी

[श्री नौरंगलाल]

रिपोर्ट में लिखा है कि यह देखने के लिये कि साइकालोजिकली हमारे लड़के किस बात के काबिल हैं, हमें करोड़ों रुपये खर्च कर देने चाहिये। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हम इतना रुपया खर्च करें। हमारे यहाँ तो आलरेडी जनरल डिवीजन है कि यह चमार का लड़का है, यह मेहतर का लड़का है। तो यहां तो आलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे पाटरी का काम है, चीनी के बड़े अच्छे-अच्छे बर्तन बनते हैं, हम भी वैसे ही बना सकते हैं, न मालूम कब से हमारे यहाँ यह काम होता चला आया है, लेकिन हमारे यहाँ तो वही बाबा आदम के जमाने के बर्तन अब भी बनते हैं। इसलिये हमें देहातों की तरफ तवज्जह करनी चाहिये, वहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ाना चाहिये।

आखिर में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि ये तो जिन्दगी की बातें हैं, हम भी यहीं रहेंगे और जनरेशन भी यहीं रहेगी, लेकिन इसके साथ-साथ भारतवर्ष का जो जीवन है, भारतवर्ष की जो जान है उसको हमें नहीं नष्ट करना चाहिये और वह है यहाँ का आर्ट, तथा कल्चर। आर्ट में हम दुनियाँ से नहीं हार सकते हैं। यह मुमकिन है कि दुनियाँ ने बड़ी-बड़ी मशीनें बना ली हों, लासानी महल बना लिये हों, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात को देखना है कि दुनिया ने चाहे सब कुछ बना लिया हो लेकिन अभी तक ताजमहल नहीं बना पायी, इल्लौरा और अजन्ता केव्ज जिस खूबसूरती से पहाड़ों को काट कर बनाये गये हैं वे नहीं बना पायी। और इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने उद्योग धंधों को फैलाना चाहिये। सही परन्तु सौन्दर्य कला के व्यवसाय को भी बढ़ाना चाहिये। आज छोटे मोटे बहुत से ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कला कौशल में बहुत आगे बढ़े हुये हैं लेकिन दुनिया उनको नहीं जानती है और वे गुमराह जिन्दगी बसर कर रहे हैं। हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी की निगाह उधर जानी चाहिये और वे देखें कि कहीं वे इसी तरह से खत्म न हो जायं और सौन्दर्य कला उनके साथ ही न चली जाय। दुनिया ने उनको गिरा दिया है। कम से कम हमें उनको ऊंचा उठाना चाहिये। हमें इस सौन्दर्य कला को गिरने नहीं देना चाहिये और ऐसे प्रयत्न करने चाहिये जिससे यह गिरने न पायें।

‡**श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय जो बजट सदन के सामने पेश है मैं उसके लिये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इसलिये नहीं कि परिपाटी चली आ रही है बल्कि इसलिये कि गत वर्ष की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि हमारे प्रान्त में उद्योग-धंधों की काफी वृद्धि हुई है और हमारे प्रान्त ने दूसरे प्रान्तों से बाजी मारी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

किसी भी उद्योग के लिये आवश्यकता यह होती है कि कच्चा माल, पूंजी और श्रम हो। सौभाग्य से हमारे प्रदेश में तीनों चीजें अधिकता से मिल रही हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे मैं कुछ उद्योगों का नाम लूंगा जैसे करघा उद्योग—हमारे यहाँ ढाई लाख करघे हैं जिनमें ८ लाख बुनकर काम कर रहे हैं। लेकिन सूत बाहर से आता है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का सूत बनता ही नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रान्त में इस तरह का सूत बनाया जा सकता है और बन सकता है। हमारे प्रांन्त में कई कारखाने हैं। जैसे कानपुर में विक्रम कौटन मिल्स तथा हाथरस में लल्ला मल हरदेव दास का कारखाना। लेकिन कारखाने बन्द होते जा रहे हैं और जो सूचना है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस वर्ष तमाम

---

‡ वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उद्योगों में १०/१२ हजार आदमी बेकार हो चुके हैं। एक तरफ तो आप बाहर से सूत मंगवा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ के मजदूर बेकार होते चले जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन मिलों के सूत को इस्तेमाल करने की कृपा करें।

दूसरी चीज जो मुझे कहनी है वह यह है कि यहाँ जो बेकारी है उसमें अधिकाँश लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि १५ लाख विद्यार्थी हर वर्ष स्कूल और कालेजों से निकलते हैं। उनके लिये टैकनीकल शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि जो विद्यार्थी इन स्कूलों से निकल रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और वे बेकार घूम रहे हैं। आपने ऐसे लोगों को सहायता देने के लिये पिछले वर्ष और गत वर्ष भी प्रबन्ध किया था, लेकिन वह धन अधिक से अधिक सरकारी खजाने में ही लौट आया, जैसा कि इन फिगर्स (आँकड़ों) से मालूम होगा जो मैं सदन में रख रहा हूं। सन् १९५३-५४ में रिपोर्ट बतलाती है कि २,६०,००० रुपया स्वीकार किया था कि ऐसे लोगों को सहायता और ऋण देंगे लेकिन आपने १,२५,६५० रुपया ही दिया। इसी तरीके से १९५२-५३ में आपने २,५४,०४० रुपयां ११५ आदमियों को सहायता देने की व्यवस्था की थी, लेकिन कुल ८०० रुपया ७७ आदमियों को दिया गया। इसका उत्तर मंत्री जी यह देंगे कि जनता का धन है कैसे लुटा दें। लेकिन वास्तव में बात यह है कि जो लोग धन माँगते हैं वे चाहते हैं कि उतनी पूंजी मिल जाय जिससे उनका काम चल सके लेकिन आपके नियम आपको मजबूर करते हैं और उतनी पूंजी नहीं दे सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह धन लेते नहीं हैं और फिर वह आपके खजाने में वापस लौट आता है। जरूरत इस बात की है कि जो धन माँगा जा रहा है वह वास्तव में उस लायक़ है या नहीं। यदि नहीं तो अधिक धन देने की कृपा करें ताकि उनका काम चल सके।

आपने कहा है कानपुर का हारकोर्ट बटलर इंस्टीटचूट के वास्ते, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करूं कि कानपुर में एक मेडिकल कालेज खुलने वाला था और एक विश्वविद्यालय खोले जाने की भी स्कीम थी। और कहीं यह औद्योगिक विश्वविद्यालय जिसकी कि चर्चा इस रिपोर्ट में भी है, कहीं ऐसा न हो कि ऐसे ही रह जाय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इस वर्ष में उसकी नींव तो पड़ ही जानी चाहिये, यानी उसका कार्य संचालन शुरू होना चाहिये, ताकि कानपुर के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो कि उस औद्योगिक नगर में एक औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो गयी।

इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए यह जो धन इस वर्ष आपने स्वीकार किया है वह रकम जो १० लाख रुपये की है वह कहीं ऐसा न हो कि आपके बजट में ही रह जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि अभी से आप अपने विभाग के द्वारा ऐसी सूची प्रकाशित करें कि हमारे प्रान्त में किस-किस उद्योग के लिये स्थान है, किन-किन औद्योगिक चीजों की माँग है और जिन चीजों की माँग हो, कच्चा माल मिल सकता हो उन्हें आप अभी से शुरू करें। अभी से ऐसे उद्योगों के लिए धन देने की कृपा करें, लेकिन धन देने के साथ इस चीज का ध्यान रहे कि कहीं ऐसा न हो कि वह और भी बेकार हो जायं। उनके लिए कुछ सहूलियतों की जरूरत है। दो तीन खास सहूलियतों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जैसे करघा उद्योग और दूसरे उद्योगों के लिए सेल्स टैक्स के अस्त्र से बचावें, इससे उनको काफी लाभ होगा। इसी तरह की दूसरी चीजें हैं। बिजली का टैक्स, आपने २५ प्रतिशत टैक्स लगा रखा है और यदि यह छोटी इंडस्ट्रीज पर भी लगे तो ये पनप नहीं सकेंगी। उससे इनको हानि होगी।

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

इसी प्रकार एक बात कह कर मैं बैठ जाऊंगा और वह यह है कि आपने अपने विभागों को एक सर्कुलर भेजा, जिसमें यह कहा कि जहाँ तक हो सके गृह-उद्योग, ग्राम उद्योग की या स्वदेशी चीजें खरीदी जायं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया यह चीज ध्यान में रखिये कि सरकुलर का जमाना चला गया, अब आर्डर का जमाना है। आप इसके लिए आर्डर दें कि वह जरूर वहीं से खरीदें। अगर आपने आर्डर नहीं दिया तो जैसी विभागीय अड़चनें हैं फाइलें चला करेंगी और उससे कोई लाभ नहीं होगा।

† महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, बजट सेशन के दौरान में मंत्री महोदय को धन्यवाद देने का एक किस्म का कर्तव्य और आर्डर आफ दि डे हो गया है, इसलिए मैं भी टेहरी गढ़वाल की तरफ से इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूं।

यह जो एक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा पेम्फलेट हमारे सामने भेजा गया है जिसमें औद्योगिक विकास का वर्णन किया गया है उसमें दो नकशे हैं। पहले नकशे में टेहरी गढ़वाल का एक छोटा सा चिह्न है, वहाँ टेहरी लिखा हुआ है। बहरहाल टेहरी तो है। दूसरे नकशे में जिसमें बहुत सफाई के साथ उन्नति दिखायी गयी है और वह जितनी सफाई के साथ दिखायी गई है उतनी सफ़ाई के साथ उसमें टेहरी का नाम ही साफ हो गया। तो इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह इस कृपा-दृष्टि को जो वह टेहरी-गढ़वाल की तरफ दिखा रहे हैं, जरूर बदलेंगे।

उद्योग के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, बहुत सैद्धान्तिक वादविवाद होता है। राष्ट्रीयकरण हो या न हो, ऐसा विषय है जिस पर ७ मिनट के दौरान में नहीं बोला जा सकता है और यह ऐसी बातें हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान पहले से ही है। इस समय मैं विशेष कर काटेज इंडस्ट्री के सिलसिले में कुछ सुझाव मंत्री महोदय के सामने रखता हूं। एक जो योजना नयी इंडस्ट्रियल फायनेन्स कार्पोरेशन खोलने की सरकार की है उसके लिये कुछ सुझाव देने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि वह उचित पाये जायंगे। मंत्री महोदय ने हमको समझाया है कि इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन का मुख्य काम यह होगा कि जो छोटे धन्धे हैं उनको आर्थिक सहायता दी जायगी। यह एक बहुत उचित कार्य है। इस प्रकार की आर्थिक सहायता देना उचित है। मगर मैंने पिछली बार भी इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था और इस बार फिर करना चाहता हूं कि एक तरफ से उनको आर्थिक सहायता देना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह उनके प्रोडयूस के लिए एक रेडी मार्केट क्रिएट करे। मैं अपने परसनल एक्सपिरिएंस से मंत्री महोदय को यह बतला सकता हूं कि जैसा कि टेहरी गढ़वाल का मसला है, वहां पर उद्योग धंधे जो छोटे छोटे कायम हैं अगर उनसे कहा जाय कि तुम अपने प्रोडयूस को बढाओ तो उनका कहना यह है कि और ज्यादा बढ़ाने से क्या फायदा, जब उसे बेचने की कोई सूरत नहीं है। हम लोग इतना अपना पैसा लाक अप कर नहीं सकते हैं और अगर इसके लिए एक रेडी मेड मार्केट पैदा कर दिया जाता है तो मेरा विश्वास है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जायगी। इसलिये मैं इस इंडिस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन के सम्बन्ध में यही पहला सुझाव देना चाहता हूं। कि इसका एक बहुत बड़ा अंग यह हो। हालांकि हो सकता है कि सरकार को अपना पैसा लाक अप करना पड़े, मगर यह एक प्रोत्साहन का तरीका होगा और अगर

† वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काटेज इंडस्ट्रीज म जो लगे हुए हैं वह यह जान जांय कि वह जो कुछ भी प्रोडचूस करते हैं, वह खरीद लिया जायगा, हां, जिस प्रकार की चीज सरकार चाहे, उस प्रकार की उनसे तैयार करावे और यदि वह वैसी चीज तैयार करें तो उसको फिलहाल सरकार खुद खरीदे और डिस्पोजल में लावे, तो इससे उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जानता हूं कि जो काटेज इंडस्ट्रीज विभाग खोले गये हैं ये बहुत हद तक ऐसा करने में लगे रहते हैं। मगर शायद इसकी शाखायें बहुत फैली हुई न हों या पूरे प्रदेश की जानकारी न रखती हों, इसी कारण सब काटेज इंडस्ट्रीज का माल इनके सामने नहीं आ पाता या शायद आर्थिक कारणों से ये उनको न खरीद पाते हों। बहरहाल जो कुछ भी हो सरकार इसकी ओर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, फिर इतना मैं और कहना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया था कि एक डाइरेक्टर आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन भी रखा गया है। यह हार्टीकल्चर और .....

†श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर, यह अक्सर देखने में आता है, अध्यक्ष महोदय, कि सदन के सम्मानित सदस्य स्पीकर महोदय के पास पहुंच जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो सदस्य बोलते रहते हैं, उनका ध्यान हट जाता है और उनकी स्पीच में बाधा पड़ती है और अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सभी सदस्य पहुंचते हैं तो क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष––बात यह है कि वाकई में मैं तो यह उचित समझूंगा कि मेरे पास यहां न आया करें तो अच्छा है लेकिन मैं माननीय सदस्यों को दुख भी नहीं देना चाहता हूं कि उनको क्लेश पहुंचे, इसलिये यह स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन माननीय सदस्य कुछ ऐसे भी हैं जिनका अटेंशन उनकी तरफ चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उचित यही होगा कि यहां न आया करें बल्कि अगर कुछ कहना ही है तो एक स्लिप भेज दिया करें। यहां खड़े होने से अटेंशन इधर चला जाता है इसलिये ज्यादा अच्छा वही होगा।

†महाराजकुमार बालेन्दुशाह––अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह फ्रूट यूटिलाइजेशन की जो स्कीम है इस स्कीम के सिलसिले में पहाड़ों में औद्योगिक उन्नति दो ही तीन तरीके से की जा सकती है। एक तो वहां यह जो मंत्री महोदय ने फ्रूट यूटिलाइजेशन स्कीम द्वारा माडल आर्चर्ड वगैरह खोलने का निश्चय किया है वह खोलकर कुछ इंडस्ट्रीज खोली जा सकती हैं। वह एक तरीका हो सकता है लेकिन यह जो माडल आर्चर्ड खोले जा रहे हैं, मंत्री महोदय ने उनका एक्जेक्ट लोकेशन बतलाने का कष्ट नहीं किया। आशा यह की जाती है कि सोच विचार कर इसका एक्जेक्ट लोकेशन तय किया जायगा। यह एक पुरानी कहावत है कि 'नथिंग सकसीड्स लाइक सकसेस' (सफलता के समान कोई चीज सफल नहीं हो सकती)।

अध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले में यह कहना चाहूंगा यदि मंत्री महोदय कुछ सुनने का कष्ट करें, मैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहता था कि इंडस्ट्रीलाइजेशन का अनइम्पलायमेंट से सम्पर्क रहता है। तो यदि आप केवल केपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में ऐसा करते हैं तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। विशेषकर पहाड़ों की जो समस्यायें हैं वहां पर आप ईवेन आर्ड (समान दृष्टि) से देखें और किसी एक पहाड़ की तरफ अगर माननीय मंत्री महोदय की निगाह पड़ जाने का अन्देशा हो तो मैं उनको यह बतला दूं कि टेहरी गढ़वाल का पहाड़ सब से ऊंचा पहाड़ है और वहां अगर उनकी निगाह पहुंच जाय तो वहां के लोग उनको बहुत धन्यवाद देंगे।

---

† वक्ता ने अपने भाषण का एडीटिंग नहीं किया।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् उद्योग का बजट जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं उसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है। हम इस बेसिस को लेकर चलें कि हमको जो इंडस्ट्रीज डेवलप करनी हैं उनमें मशीन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है ताकि हम मनुष्य के जीवन को ज्यादा सुगम और आसान बना सकें। यह कि काटेज इंडस्ट्रीज में और दूसरी इंडस्ट्रीज में कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी और कौन सी काटेज इस पर भी हमें विचार करना होगा। हम उन्हीं को काटेज इंडस्ट्रीज में लें जिनको हम बहुत बड़े पैमाने पर मशीन से नहीं कर सकते हैं और उन इंडस्ट्रीज को जो हम मशीन से बना सकते हैं और मशीन से बना रहे हैं उनके कम्पेटीशन में हम काटेज इंडस्ट्रीज को खड़ा कर दें ऐसा हमारी सरकार को हर्गिज नहीं करना चाहिये।

खादी की इंडस्ट्रीज जैसे है और इस पर कुछ हमारे सदस्यों ने गांधी जी का नाम भी इस्तेमाल किया। गांधी जी यह चाहते थे कि हर आदमी खादी बुने और खादी पहने। आज खादी की इंडस्ट्री आर्टीफिशियल तरीके से २५ साल से प्रोटेक्शन देने के बाद कभी भी अपने पांवों पर नहीं खड़ी हो पाई है। तो फिर हम इसको आर्टीफिशियल तरीके से कब तक जिला सकते हैं। इस पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

श्री हुकुम सिंह---क्या करना चाहिये।

श्री भगवान सहाय---लोग खुद खादी कातें और कातने के बाद देहात में बुनवा लें और अगर इस तरह से खादी जीवित नहीं रह सकती तो फिर यह मर जाय तो अच्छा है।

अब मुझे श्रीमन्, गन्ने की इंडस्ट्रीज की तरफ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की तवज्जह दिलानी है। किसानों का रुपया हर साल मिल मालिक नहीं देते।

श्री हुकुम सिंह---इस आइटम में नहीं आता है।

श्री भगवान सहाय---तो मैं इसको वापस लेता हूं। लेकिन गुड़ तो आता है इसमें।

श्री अध्यक्ष---इस बहस में आपका समय चला जायगा।

श्री भगवान सहाय---इसके अलावा मैं देखता हूं कि पहले जमाने में हमारे राज्य में हाथी दांत का काम अच्छे पैमाने पर होता था और आज लखनऊ, आगरा जैसे शहरों में हाथी दांत की इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से तिलहर में एक जमाने में लकड़ी पर पेंटिंग का काम बहुत अच्छा हुआ करता था। उसको राज्य का सहयोग न मिलने के कारण वह उद्योग आज खत्म होती जा रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर वह अपनी थोड़ी सी तवज्जह इधर देने की इनायत फरमायें तो यह इंडस्ट्री भी रिवाइव हो सकती है।

इसी तरीके से मैं चमड़े की इंडस्ट्री की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। देहातों में चमड़े का जो काम होता है उसकी तरफ माननीय मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें तो हमारे देहात के गिरे हुए समाज का बहुत उपकार मंत्री जी कर सकेंगे।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर बराबर फारेन एक्सपर्ट्स बुलाये जाते हैं और जब यहां पर

आते हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल बेकार के आदमी हैं। लाखों रुपया खर्च करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम धोखे की टट्टी ले आये जो बिल्कुल बेकार साबित हो रहे हैं। लखनऊ प्रेसिजन इंस्ट्रेमेंट फैक्टरी की मिसाल में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। श्रीमन् मैं, माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां से इंडस्ट्रीज के लिये आदमी बाहर भेजे जाते हैं लेकिन लौटने पर या तो गवर्नमेंट आफ इंडिया को लोन दे दिये जाते हैं या कहीं और भेज दिये जाते हैं और इस तरह से जो रुपया हम खर्च करते हैं उसका रिटर्न हमारी पब्लिक को नहीं मिलता, दूसरों को मिलता है और उससे हमारा कोई उपकार नहीं होता।

एक बात की तरफ और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां फारेन एक्सपर्ट्स यू० एन० ओ० की ओर से आते हैं। इनमें से ज्यादातर जासूस होते हैं जो राजनैतिक जासूसी करने के लिये आते हैं। इंडस्ट्रियल हेल्प उनका बहाना होता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खास तौर से दिलाना चाहता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आज के अनुदान के संबंध में जिस पर हमारे आदेश का उत्थान निर्भर है अपने कुछ विचार रक्खूं। इसके लिये जो परिश्रम माननीय मंत्री जी कर रहे हैं उससे जो हमारे देशवासी लाभ उठायेंगे उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं।

हमारा देश उद्योग धंधों और हस्त कला के कार्यों में हमेशा ऊंचा रहा है। हमारे देश में ढाका की मलमल बना करती थी जो दूसरे देशों में ऊंचा स्थान रखती थी। ऐसे औजार बनते थे जो बाल को चीर देते थे। ऐसे ऐसे शिल्पकार थे जो दो आने की जगह पर आठ रंग भर देते थे। हम चाहते हैं कि पहले की तरह हमारे देश के उद्योग धंधे ऊंचे उठें और आगे बढ़ें। आज हमारे देश में जो बेकारी फैली हुई है वह घरेलू उद्योग धंधों को तरक्की देने से ही दूर हो सकेगी। हम अपने गांवों की दशा को देखें तो यह देखेंगे कि वहां लाखों की संख्या में उद्योग धंधे करने वाले बेकार हैं। कारण यह है कि उनको सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जो चीजें वे बनाते हैं उनकी बिक्री हमारे प्रदेश में कम है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि कपड़े का उद्योग बहुत पीछे हटता जा रहा है क्योंकि करघे हैंडलूम कपड़े के खरीदने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है। लोग मिलों का कपड़ा पहनना अधिक पसन्द करते हैं। मिलों के कपड़े पर कोई पाबन्दी भी नहीं है जिससे जुलाहे इस किस्म का कपड़ा बुनें जो हमारे काम आ सके। हम खुद चाहते हैं कि खादी की उन्नति हो लेकिन अपने घरों में मिलों का कपड़ा पहनते हैं।

चमड़े के धंधे की ओर भी हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह धन्धा हमारे प्रदेश के मुख्य धंधों में है। हमारे देहातों में चमड़ा निकालने के लिये, हड्डी रखने के लिये स्थान नहीं है, जिससे वह बेकार हो जाता है। इसके लिये गवर्नमेंट को चाहिये कि जगह एक्वायर कर के दे। देहातों में चमड़े की रंगाई का भी काम होता है। मेरे जिले मुजफ्फरनगर में चमड़े का काम बहुत होता है और दूसरे जिलों में भी होता है। इस तरफ सरकार को अवश्य तवज्जह देनी चाहिये ताकि लोग इस धंधे को करते रहें।

दूसरा उद्योग मुजफ्फरनगर (मीरापुर) में ऊन का होता है। कम्बल वहां अच्छे बनाये जाते हैं। सहारनपुर में लकड़ी के गोदने का काम अच्छा होता है। मेरा मतलब यह है कि इन कारीगरों के बनाये हुये माल की अच्छी निकासी का प्रबन्ध भी होना चाहिये ताकि इन उद्योग धंधों को तरक्की मिले। जिससे हमारे उन छोटे-छोटे उद्योग धंधे का काम करने वालों को सहायता मिलेगी जो इस समय बेकार हैं। और उन लोगों को भी जो इस समय खेती बाड़ी में लगे हुये हैं वह इधर आजायेंगे और उनको एक रोजी मिलेगी। पढ़े लिखे लोग

[श्री रामदास आर्य]

भी इधर लग जायेंगे तो इससे बड़ी भारी बेकारी दूर होगी। यहां बख्शी के तालाब की ट्रेनिंग पास करके जो लोग जाते हैं वह अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई उद्योग-धंधा जारी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उनको ऐसी सहायता दी जाय जिससे कि वह जाकर अपने घर पर कार्य कर सकें। सरकार को उनके कार्य की देखभाल का प्रबन्ध करना चाहिये ताकि उनको दस्तकारी में कम परेशानी हो। इसका सूपरवीजन होना चाहिये कि उनकी दस्तकारी की बिक्री होती है या नहीं। इसी तरीके से मैं आपके सामने रंगाई छपाई के काम की चर्चा करूंगा कि यह काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन उसके लिये लोगों को सहायता मिलनी चाहिये। इस चमड़े के काम का जो लाइसेंस दिया जाता है वह गांव सभा या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में नहीं होना चाहिये। इस प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है, ताकि उद्योग धंधे वहां पर कुछ पनप सकें। इससे गांव में चमड़े का काम करने वालों की बड़ी सहायता होगी।

†श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने उद्योग मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पूरी कोशिश की कि कुटीर उद्योग को सब से ज्यादा महत्व दिया जाय। वैसे तो प्लानिंग के काम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्लानिंग का अंग माना है। यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है कि इस काम में सेन्ट्रल गवर्नमेंट से सहायता मिलेगी। ११६ करोड़ खासतौर से इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के लिये जो रुपया रखा गया है वह बड़े महत्व की चीज होगी। उससे हमारे यहां जो इंडस्ट्री बन्द हो रही है उनको सहायता मिलेगी। मेरे पास कुछ प्वाइन्टस् हैं जो इंडस्ट्री के संबंध में कुछ सूझाव के रूप में हैं उनसे कुछ मदद मिलेगी अब २, ४ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह है कि सेल्स टैक्स जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज पर लगा हुआ है उसके लिये हमारे वित्त मंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा था और मैं भी निवेदन करता हूं कि छोटी छोटी इंडस्ट्री का काम करने वाले लोग हैं उनके उद्योग धंधों की दशा बहुत कमजोर है और उन लोगों से सेल्स टैक्स की आमदनी बहुत भारी भी नहीं है। अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाय तो उनके लिये अपनी आमदनी बढाने का अवसर हो सकता है और वे लोग अपनी आमदनी बढा सकते हैं। जैसे चूड़ी, ताले, बर्तन, पीतल के बरतन और तांबे के बरतन आदि इस तरह की चीजें हैं जिनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात छोटी-छोटी फ़ैक्ट्रीज है उन पर फैक्ट्रीज ला लागू होता है। जिस प्रकार से आपने छोटी इंडस्ट्रीज की तरफ तवज्जह कीं है उसी तरह से इस तरफ भी तवज्जह कीजिये और इस ला को इंडस्ट्रीज जो छोटी-छोटी हैं, उन पर से हटाने की कृपा करें।

तीसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूट कंसीलियेशन आफिसर जो आता है वह स्टेट डिपार्टमेंट को भेज देता है। उन छोटी फैक्ट्रीज के झगड़े मामूली होते हैं और उनका फैसला वहीं पर हो सकता है तो यहां पर उनके भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे छोटी इंडस्ट्री में रुकावट पड़ती है।

चौथी बात माल बुकिंग के विषय में है। लोग माल भेजना चाहते हैं, लेकिन माल बुकिंग के लिये वैगन नहीं मिलते हैं। एक सप्ताह में मुश्किल से एक वैगन मिलता है। फ़िरोजाबाद में भी यही कठिनाई है कि माल पड़ा हुआ है लेकिन वैगन नहीं मिलते हैं। इससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और माल खराब होता है। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि बुकिंग के बारे में वहां पर लोगों को सुविधा दी जाय और कुछ ज्यादा वैगन मिलने की कोशिश की जाय।

---

†वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक और बात यह है कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज जो हैं वे छोटे उद्योग धंधों की तरफ कम तवज्जह देते हैं। जहां पर मोटर आसानी से जा सकती है वहीं पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। इन्सपेक्शन भी ज्यादा वहीं पर होता है और इन्सपेक्टर भी वहीं पर ज्यादा जाते हैं। लेकिन जो छोटे-छोटे काम करने वाले हैं और कुछ दूरी पर रहते हैं उनके काम को देखने के लिये उनको फुरसत नहीं मिलती है। उनके काम को देखने की फुरसत अगर डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को मिले तो उन लोगों को कामयाबी प्राप्त हो सकती है। कच्चा माल भी छोटे छोटे कामों के लिये नहीं मिलता है। बड़ी फर्म को मिलता है, जिनके कोटे होते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। जनसाधारण का ध्यान नहीं रखा जाता। हाथरस में कपड़े की ३ मिलें हैं, और २ बन्द पड़ी हैं सिर्फइसलिये कि उनके माल को बाहर खपाने की कोशिश नहीं है। जिस तरह से मद्रास में राजगोपालाचारी जी ने डिमार्केशन किया कि साड़ियां मिलें न बनावें, लेकिन यू० पी० में तो वह लागू नहीं हो सकता। मगर यह हो सकता है कि २५ नम्बर से कम का कपड़ा कोई मिल न बनावे। इससे करघे को सहायता मिलेगी। मैं तो कहता हूं कि हाथरस की बन्द मिलों को सरकार लेले और चलावे। इस तरह से आप २०,२५ हजार मजदूरों का सेंटर वैस्ट में बना सकते हैं। जो माल हिन्दोस्तान में तैयार होता है वह विलायत से न आने दिया जाय। छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। वौलंटरी प्राइवेट आर्गेनिजेशन को गवर्नमेंट की ओर से कम प्रोत्साहन है हालांकि वह अपने इंस्टीट्यूशन्स तो खोलती जा रही है, जैसे साइकिल और मोटर के पार्टस, खेती के औजार और पम्प इत्यादि। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग के लिये एक कामन प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया है जिसके लिये हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि कुटीर उद्योग को प्राथमिकता दी जाय और उसके लिये सेंटर से कुछ फंड्स भी मांगे जावें तो काफी अच्छा हो सकता है। खादी के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि अफसरान बन्द कोट पहन कर आवें, तो मैं कहता हूं कि २०० रुपये से ज्यादा की तनख्वाह वालों के लिये खादी कम्पलसरी करदी जाय। पंत जी ने अपने भाषण में इसके लिये कहा भी था। हर जिले में इंडस्ट्रियल कमेटीज बनाई जावें और एक अफसर इसके लिये नियत किया जाना चाहिये जो कि एक्सपर्ट हो।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे उत्थान वाला बजट रखा है। लेकिन कुछ बातों की ओर उनका ध्यान दिलाना आवश्यक है। आपने उन बुनियादी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया है, जिनसे इस प्रदेश की सम्पत्ति बढाने में खास तौर से मदद मिलती है। उदाहरण के लिये मैं कहूंगा कि मिर्जापुर जिले में ३,४ व्यवसाय ऐसे हैं जो वहां के बुनियादी व्यवसाय हैं। मिर्जापुर ही एक ऐसा जिला है जो कालीन बनाने का एक मात्र केन्द्र है। बनारस जिले का वह भाग जिसमें कालीन बनता है पहले मिर्जापुर में ही था। काशी राज्य के विलयन के पश्चात् वह बनारस जिले में मिला दिया गया। इसलिये सिद्ध है कि मिर्जापुर में ही यह व्यवसाय मुख्यतः होता है और शुरू से होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमें डालर प्राप्त होता है। विदेश से पैसा कालीन की बदौलत यहां आता है। लेकिन आपने बजट में इस कालीन उद्योग की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उसके लिये कोई भी रकम नहीं रखी गयी। इससे ज्ञात होता है कि सरकार का इधर कोई ध्यान ही नहीं है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस रोजगार की वजह से हमारे सूबे की सारे संसार में विशेषता है। अतः यदि इसकी रक्षा न की गई तो यह विनष्ट हो जायगा। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे यहां एक दूसरी वस्तु लाख होती है जिसकी रंग, वार्निश रेकर्ड आदि बनती हैं। यह भी मिर्जापुर की विशेषता है। वहां के पीतल के बर्तन पचासों वर्ष चलते हैं। एक कहावत है बाबा ले पोता बरते। धीरे धीरे वह भी रोजगार नष्ट प्रायः होता जा रहा है। इसकी ओर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके विषय में मैं एक तजवीज करना चाहता हूं कि जेलों में जो बरतन मोल लिये जाते हैं अगर वहां के बरतन मोल लिये जायं

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

तो बहुत अच्छा हो। इससे मिर्जापुर के बर्तनों की खपत बढेगी और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरी चीज वहां पर एक प्रकार की बंगई मास होती है जिसको वहां के लोग मिट्टी के मोल बेंच डालते हैं। उससे कागज बनाया जाता है। सारी बंगई देहरी आन सोन की कागज मिल में भेज दी जाती है। उसके व्यवसाय के लिये सरकार को उपाय करना चाहिये। महुआ भी वहां बहुत काफी तादाद में होता है। देहातियों का यह अंगूर है। वहां के देहाती लोग उसकी शराब चुआ कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका तेल निकाला जाकर साबुन बनाया जा सकता है। चमड़ा, हड्डी व रेशम भी यहां बहुत होता है।

रेहन्द बांध के रूप में हमारे जिले में एक ऐसी मांग हमें मिली जैसी कि एक भक्त को मिली थी। एक ही मांग में सारी बातें आगयी। एक आदमी की मां अंधी थी वह गरीब था, निःसंतान था। उसने एक ही यह बरदान अपने देवता से मांगा कि मेरी मां अपनी आंखों से अपने पोते को पक्के कोठे पर सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुये देखे। इस मांग की तरह हमारी भी सारी मांगें रिहन्द डैम में आ गयीं। एक और बात है वह यह कि रिहन्द डैम का नाम बहुत ही भद्दा नाम है। असल में वह नदी रेणुका नदी है। अंग्रेजी में उसका कर्णकटु नाम रिहन्ड कर दिया गया है और फिर डैम और लगाकर पूरा डैमफूल कर दिया गया है। अतः यह नाम अच्छा नहीं है। इसके बजाय 'रेणुका बांध' उसका नाम रख दिया जाय। सरकारी कागजात में इसी का प्रयोग किया जाय। यह संस्कृत नाम होगा। मैं माननीय मंत्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वे मिर्जापुर की ओर खासतौर से ध्यान दें। मिर्जापुर में ऐसे ऐसे रत्न भरे पड़े हैं कि प्रदेश ही क्या आधे भारत की मांग को बहुत सी चीजों में वह पूरा कर सकता है।

श्री हुकुम सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने भाई श्री जगन्नाथ मल्ल जी का बड़ा भारी आभारी हूं जिन्होंने मुझे कुछ सुझाव देने की चेष्टा की। इसके अतिरिक्त और मित्रों ने भी काफी सुझाव दिये हैं। मैं जरूर सुझावों पर विचार करने की कोशिश करूंगा और जहां तक फायदा उठा सकूंगा उठाने का प्रयत्न करूंगा।

जगन्नाथ मल्ल जी ने इंडस्ट्रीज को नेशनलाईज करने की बात कही। बात बहुत सुन्दर है और सुनने में भी बहुत सुन्दर मालूम होती है और अक्सर उनके द्वारा इस सदन में ऐसी बातों के सुनने का मौका मिला है। उसके पूरा करने में जो दिक्कतें हैं वे भी कई मर्तबा यहां कही जा चुकी हैं। जहां तक इंडस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन का ताल्लुक है, अगर हमारे मित्र कांस्टीट्यूशन की लिस्ट (१) आइटम ५२ को देखेंगे तो मालूम होगा कि इंडस्ट्रीज सेंट्रल सबजेक्ट है। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन ऐक्ट १९५१ जो सन् ५१ में पास होकर लागू हुआ है उसके आधार पर भी इंडस्ट्रीज का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और इंडस्ट्रीज के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नीति भी निर्धारित है। तो इन सब बातों के होते हुये ऐसे सुझाव दे देना, उनको अख्तियार है वे सुझाव दे सकते हैं लेकिन मेरे लिये दिक्कतें हैं। अगर मैं उनसे सहमत भी होऊं तो उसके पूरा करने में कई दिक्कतें और कानूनी अड़चनें हैं। इस वजह से मैं इसी मौके पर यह कह देना चाहता हूं कि जहां तक इस सुझाव का संबंध है उसके पूरा करने में जो दिक्कतें मैंने बतलायी थीं उनके होते हुये मेरे लिये एक मुश्किल काम है। हमारे मित्र ने एक बात और कही थी कि जब मैं उद्योग मंत्री हुआ तो उन्होंने आशा बांध रखी थी कि जमींदारी उन्मूलन के संबंध में जो कानून मैंने इस सदन में पेश करके पास कराया था, आशा उन्होंने यह बांध रखी कि इस उद्योग का भी हम उन्मूलन कर डालेंगे और उसी आशा के आधार पर उन्होंने मुझे यह सुझाव दिया। इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन करना चाहिये, मैं उनके इस हुक्म की तामील करता लेकिन कई दिक्कतें हमारी हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—विदेशी कंट्रोल का उन्मूलन कीजिये।

श्री हुक्म सिंह––मैं आपसे सबक लूंगा तो यही करूंगा। एक बात हमारे मित्र ने और कहीं कि हम कोई ऐसी मशीन बनावें, न बड़ी हों न छोटी हो ताकि उद्योग में पूरी सहायता मिल सके। वाकई मशीनों का युग है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है कि अगर हम मशीन ईजाद करते हैं तो अनएम्पलायमेंट बढ़ता है। मैंने एक बीड़ी बनाने की मशीन देखी जिसके जरिये इतनी जल्दी बीड़ी के पत्ते कट कट कर, तागे में बंध कर अलग होते जाते हैं कि एक मिनट में सैकड़ों बीड़ियां बन जाती है। बीड़ी की उद्योग से काफी लोग अपनी जीविका पैदा करते हैं और अगर वह मशीन जारी कर देते हैं तो वे लोग बेकार होते हैं। तो यह एक ऐसा सवाल है कि इसके हल में दोनों तरफ बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसके पक्ष में और उसके खिलाफ भी बहुत सी बातें कही जाती हैं लिहाजा जिस सहूलियत से हमारे मित्र ने यह सजेशन दिया उतनी सहूलियत इसके हल करने में नहीं है, इसमें काफी दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि उस पर विचार करने की जरूरत है और विचार करूंगा। हमारे मित्र ने एक बात और कही और उसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं। उन्होंने कहा कि इस बजट को और भी बड़ा होना चाहिये। मैं भी चाहता हूं कि अगर दो चार करोड़ रुपया और इसमें आ जाता तो यह मत तो ऐसा है कि इसमें रुपये की भरमार होनी चाहिये। और शुरू शुरू में जब कोई काम लिया जाता है तो उसमें वेस्ट भी होता है। तो रुपये का इजाफा इसमें काफी होना चाहिये लेकिन आवे तो कहां से आवे। उधर हमारे मित्र कहते हैं कि टैक्सेशन खत्म कर दो और इधर कहते हैं कि इसमें रकम बढ़ा दो, तो यह जादूगरी मुझमें है नहीं। आमदनी काटते रहें और अखराजात बढाते रहें। यह यहां नहीं तो निजी हैसियत से उनसे मैं पूछूंगा और उनसे इस बात की सलाह करूंगा कि वे कोई ऐसी तरकीब बतावें कि टैक्सेशन वगैरह हम सब खत्म कर दें और आमदनी हमारी बढ़ती रहे और सरकार के कामों पर खर्च होती रहे।

इसके अलावा हमारे मित्र ने स्टाफ के बारे में कहा वाकई खर्च है। लेकिन स्टाफ के बगैर काम नहीं चलता। वह भी एक जरूरी अंग है अपने सारे काम को पूरा करने के लिये यह नहीं है, कि कोई आराम के लिये स्टाफ ज्यादा कर दिया जाता है। जो जो जरूरी है उन्हीं पर सर्फ किया जाता है और जो जरूरी नहीं हैं उनपर कभी भी सर्फ करने की चेष्टा नहीं की जाती।

हमारे मित्र ने प्रेसीज़न फैक्ट्री के बारे में कहा। उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह एक नया प्रयास था और अपने ढंग का सारे हिन्दुस्तान में एक प्रयास इस सरकार ने किया था, यह जरूरी चीज है। आज हमारे देश में वाटरमीटर की जरूरत है और विदेशों से हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर यह चीज हमारे देश में बनने लगे तो जितना पैसा हम विदेश को भेजते हैं वह हमारे देश में खप जाय और यहां के लोग उससे फायदा उठावें। इस उद्देश्य से यह नया प्रयास किया गया था और इसी लिये बाहर के एक्सपर्ट्स भी बुलाये गये थे। मैं भगवान सहाय जी से इत्तिफाक करता हूं कि वे लोग जो इसमें काम कर रहे थे उनसे हम सन्तुष्ट नहीं हुये और यही वजह थी कि जितनी जल्दी हम उनसे छुटकारा पा सकें पाने की हमने कोशिश की। अपर हाउस में आज एक सवाल मुझसे पूछा गया कि इसमें कुछ मुनाफा हुआ, मैंने कहा नहीं। ऐसा नया काम और उसमें फौरन मुनाफा होने लगे ऐसा सोचना हमारे विचार से ठीक नहीं है। इसमें पहले कुछ नुक्सान करके तभी फायदा हो सकता है। जो काम बिलकुल नया हो जिसको जानने वाले हमारे देश में कम हों उसको हम शुरू करें और मुनाफा होने लगे ऐसा सम्भव नहीं है। ऐसा जो लोग सोचते हैं वे शायद इस विषय की जानकारी नहीं रखते है, हमारी स्थिति अब ऐसी हुई कि फैक्ट्री से हम अब करीब ३० वाटर मीटर रोज पैदा करेंगे और एक साल के बाद हम आशा करते हैं कि हम इसमें बहुत ज्यादा आगे बढकर दिखला देंगे। हमने कुछ नई मशीनों के लिये लिख रखा है और जब वह आ जायेंगी तब हम मास स्केल पर प्रोडेक्शन कर सकेंगे और जब तक वह नहीं करते तब तक मुनाफे की आशा करना हमारी समझ में ठीक बात नहीं है।

[श्री हुकुम सिंह]

जहां तक टेक्नीकल स्कूल के विद्यार्थियों का ताल्लुक है कुछ लोग हैं जिनको फैक्ट्रीज में जगह नहीं मिलती। कुछ ऐसे जरूर हैं जो कि सहायता ले कर के अपना निजी काम करते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं और मैं तो हमेशा इस बात की कोशिश करता हूं कि जब हमारी किसी संस्था से पास शुदा विद्यार्थी माली सहायता के लिये कहे तो उसकी सहायता करने की हम जरूर कोशिश करते हैं। उसको ग्रांट भी देते हैं, लोन भी देते हैं। हमारे बहुत से टेलरिंग स्कूल्स हैं वहां से लड़के निकलते हैं तो हम उनको एक मशीन खरीद करके दे देते हैं या रुपया दे देते हैं कि जाओ मशीन खरीदो और अपना काम करो। कुछ लोग हैं अपना पेशा करते हैं उनको सहायता दी जाती है और आइन्दा भी कोशिश करूंगा कि ऐसे लड़कों को पूरी सहायता दूं ताकि वे इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करके अपने पैरों पर खड़े हों। इससे बेकारी में भी कमी पड़ेगी और अपने देश का उद्योग भी बढेगा। हमारे अवध जी ने तागे के सिलसिले में बात कही। इस मौके पर मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है जिसपर विचार किया जा सकता है। बाहर से जो हमको हैंडलूम के लिये तागा मंगाना पड़ता है वह हमें न मंगाना पड़े और हमारी जरूरियात लोकल फैक्ट्रियों से ही पूरी हो जायं तो बहुत अच्छी बात है। इससे अपने सूबे की फैक्ट्रियों की सहायता भी होगी और हमको कुछ कम कीमत पर तागा भी मिल सकेगा। हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन में भी कमी होगी और हम लोगों के सामने कम्पेटीशन में भी कुछ हद तक खड़े हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मित्रों ने जितने सुझाव दिये हैं उन पर मैं बहुत ही संजीदगी से विचार करने की चेष्टा करूंगा। श्री बालेन्दुशाह जी से भी मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि आइन्दा जो किताब छपेगी उसके करीब करीब हर सफे पर टेहरी का नाम दिखाई पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता कि दन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

*श्री जगन्नाथ मल्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर जो बातें कही गईं वह यही कही गईं कि राष्ट्रीयकरण होना बहुत मुश्किल है और बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने हैं जिनकी वजह से हम राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। यह भी कहा गया कि कांस्टीट्यूशन की वजह से गड़बड़ी है। उसकी किसी धारा में यह दिया हुआ है कि बिना मुआविजा दिये हुये राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता है, यह तो कोई दलील नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, जबकि पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी का बड़ा बहुमत है और उसको अख्तियार भी है कि कांस्टीट्यूशन को चेंजकर सकें तो फिर यह तो कोई मानो नहीं रखता कि कांस्टीट्यूशन के कारण एक बहुत बड़ा काम जो अपने सूबे के लिये करने जा रहे हैं उसको रोका जा सके। मैं आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, कि महज कांस्टीट्यूशन की गड़बड़ी की वजह से जिसमें यह है कि बिना मुआविजा दिये न कोई मिल लिया जा सकता है न किसी की प्रापरटी ली जा सकती है जिसका कि शुरू से ही हम और हमारी पार्टी विरोध करती रही है कि कोई ऐसी चीज रुकावट की नहीं होनी चाहिये, सुप्रीमकोर्ट ने भी जो इंडस्ट्रियल रैगुलेशन ऐन्ड डेवलपमेंट ऐक्ट की जिस धारा के अनुसार सरकार फैक्ट्रियों को अपने कब्जे में लिया करती थी उसे अवैध डिक्लेयर कर दिया। तो इसको आपको देखना होगा और बदलना होगा। इसको बगैर बदले हुये मसला हल नहीं हो सकता है। इतने बड़े सवाल को जिस पर कि हमारे देश की सारी बुनियाद पड़ी हुई है आप टाल नहीं सकते।

उद्योग मंत्री जी ने कहा कि हमारी तरफ से कहा गया कि आप बहुत बड़ा बजट पेश कीजिये और टैक्स भी न लगाइये, यह तो मैंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कर दिया था शायद उद्योग मंत्री जी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। मेरे कहने का मतलब यह था कि आप

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितने भी बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं उनका समाजीकरण कीजिये और उन्हें अपने हाथ में लीजिये फिर उससे जो मुनाफा होगा वह मुनाफा सरकार का होगा और वह मुनाफा इतना होगा जिससे आपके डिपार्टमेंट का खर्चा तो निकल ही जायगा, बल्कि मेरा तो यहां तक ख्याल है कि आप यू० पी० भर में फ्री एजूकेशन उस आमदनी से कर सकेंगे। उसका यह तरीका है लेकिन हमेशा यह कह दिया जाता है कि रुपया कहां से लायें। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप कर नहीं सकते हैं तो फिर विधान सभा में दो-दो दफे यह प्रस्ताव क्यों पास किया कि सूबे में जितने भी बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। अगर्चे यही है कि खाली प्रस्ताव पास करना है और कुछ होना जाना नहीं है, तो इस तरह से सदन का समय नष्ट नहीं होना चाहिये था। जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अख्तियार में है उसके लिये यह सदन रेजोल्यूशन पास करे, प्रार्थना करे कि कांस्टिट्यूशन में यह चेंज कर दिया जाय। हम चाहते हैं कि उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण हो और यह सारी चीजें हो सकती हैं। मशीनों के बारे में उद्योग मंत्री जी ने यह बतलाया कि अगर हम मशीनें बनायेंगे तो कुछ लोगों की रोजी चली जायगी। मैं कहता हूं कि हमारा बीच का रास्ता है। हमारा काम बड़ी मशीनों से भी नहीं चल सकता है जिस तरह से अमेरिका या बड़े-बड़े औद्योगिक मुल्क अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उन मशीनों के खड़ा करने से जैसा उद्योग मंत्री जी ने बतलाया कम आदमी लगेंगे और ज्यादा आदमियों का काम मशीनें करने लगेंगी। इधर यह भी सही है कि इस कलियुग में हम यह सोचें कि हाथ से सामान बनाकर हम अपना काम निकाल सकते हैं या उस कम्पटीशन में आ सकते हैं, तो यह भी असंभव है। इन सारी चीजों को देखते हुये और देश की परिस्थिति को देखते हुये महज एक ही रास्ता हमारे सामने रह जाता है और वह यह है कि हम छोटी-छोटी मशीनें बनायें जोकि कम दाम में मिलें और ज्यादा से ज्यादा काम करें, तब ही हमारा मसला हल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जैसे आंटे की चक्की है, पम्प करने की मशीनें हैं, अगर ऐसी छोटी-छोटी मशीनें हम बनायें और गांवों में लगवायें, तो हमारी समस्या हल हो सकती है। इससे हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों को काम दे कर और ज्यादा से ज्यादा अपने देश में और सूबे में उत्पादन कर सकेंगे। यह थोड़ी सी बातें थीं, जो माननीय मंत्री जी की समझ में नहीं आयी थीं और इनको मैंने समझा दिया। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुये जो कुछ मैंने सुझाव दिये हैं उनपर गम्भीरतापूर्वक सोचकर चलने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७–उद्योग (लेखा शीर्षक ४३–उद्योग) के अन्तर्गत २,७३,०६,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

२ मार्च, १९५४ को सदन की बैठक स्थगित करने का सुझाव

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)––माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो प्रश्न सुबह मैंने आप की आज्ञा से उठाया था कि २ तारीख को बैठक स्थगित कर दी जाय, जहां तक मैं व्यक्तिगत राय सदस्यों की ले सका हूं, सभी इस बात के उत्सुक हैं कि यदि २ तारीख की बैठक किसी प्रकार से स्थगित की जा सके तो सभी को सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष––आप यह चाहते हैं कि ४ और ५ तारीख को यह अनुदान ले लिये जायं?

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---३ तारीख को छुट्टी है। ४ और ५ तारीख को अधिक समय तक बैठकर काम कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप चाहते हैं कि २ तारीख को काट दें?

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---२ तारीख को छुट्टी कर दी जाय और यह आइटम ११ को ले लिये जाय।

श्री अध्यक्ष---२ को अगर छुट्टी होती है तो अनुदान संख्या १६, १७, १८, २८ आदि के लिये २ दिन रहेंगे यद्यपि इनके लिये ३ दिन रखे गये हैं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह---इस संबंध में दो सुझाव हो सकते हैं। या तो ४ और ५ को समय बढ़ा कर इन अनुदानों को ले लिया जाय, या ११ तारीख को, जिस दिन शायद कोई अनुदान नहीं है, उस दिन भी लिया जा सकता है।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सवाल को आखिर में तय किया जाय।

श्री अध्यक्ष---वही तो मैं भी चाहता हूं मैं उद्योग मंत्री जी से यह कहूंगा कि आपके यह ठीक सुझाव सामने रख दिया। अब कृपा करके आप सदन के माननीय उपनेता जी से पूछ लें। इस समय यहां माननीय सदन के उपनेता विरोधी दल उपस्थित नहीं हैं। इसलिये इस पर विचार करके यदि कोई परिवर्तन करना वे चाहें वह मुझे बता दें तो वह परिवर्तन मैं कर दूंगा।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---मेरा सुझाव यह है कि जो २ तारीख को काम होने वाला है वह बजाय २ तारीख के कल हो जाय।

श्री अध्यक्ष---वह तो जानबूझ कर कल नहीं रखा गया और पहली तारीख नहीं रखी गई। उसका एक ही कारण है। विरोधी पक्ष ने इस बात की मांग की थी कि इन तारीखों में कार्य न रखा जाय। इसीलिये ऐसा किया गया।

श्री सुल्तान आलम खां---मैं यह इसलिये कह रहा था कि पहली को काम नहीं होगा, दूसरी को काम होगा और तीसरी को फिर छुट्टी है।

श्री अध्यक्ष---आपको इन बातों का पता नहीं है, यह किसी कारण से किया गया था।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५४---५५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ३७---लेखा शीर्षक ५६---लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि---सरकारी छापाखाना

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७---लेखा शीर्षक ५६---(लेखन सामग्री और छपाई मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि, सरकारी छापाखाना) के अन्तर्गत ८८,२२,२०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

इस संबंध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि बजट का जो लिटरेचर है उसमें बहुत ही विस्तार के साथ सब बातें बतलाई गई हैं। पारसाल ८७,५३,२०० रुपये की माँग थी और इस साल ८८,२२,२०० रुपये की मांग की गई है। करीब ६९,००० रुपया पारसाल से अधिक हैं

और इसमें खास चीजों में इजाफ़ा है। पारसाल इतना ज्यादा काम हो गया था कि सरकारी प्रेस से वह पूरा नहीं हो सका तो बकीया काम प्राइवेट प्रेसेज को दिया गया था। इसलिये इसी तजुर्बे के आधार पर ५०,००० रुपया ज्यादा रखा गया है और स्टेशनरी आफिसेज और स्टोर के लिये ११,००० रुपया रखा गया है और उसके खरीदने के लिये २,५०,००० रुपया रखा गया है। इसके अतिरिक्त और मदें हैं जिनमें पारसाल के मुकाबिले में कमी कर दी गई है। लिहाजा इस कमी और इजाफे का हिसाब जोड़ कर ६९,००० रुपया ज्यादा होता है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करने की कृपा करेगा।

†श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। जहाँ तक लेखन सामग्री और छापेखाने का संबंध है इस विधान सभा के सदस्यों के लिये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि २० फरवरी को ११ बजे बजट पेश होने वाला था लेकिन शाम को ४ बजे पेश किया गया। यह सब से बड़ा नमूना इस विभाग का है। जितने माननीय सदस्य उस दिन होंगे वह सब इससे परिचित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कर्मचारियों ने ठीक वक्त पर बजट बना दिया तो फिर क्या वजह थी कि वह यहाँ पर ठीक समय पर नहीं आ सका। यह कोई मामूली चीज नहीं है। यह देश की बजट समस्या का सवाल है जिसमें एक मिनट की देर होने से सारी समस्या में परिवर्तन हो सकता है। इसके लिये जो गैर जिम्मेदारी की गई उसके लिये कौन दोषी है यह जानने की चीज है।

मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बतलायें कि इस विभाग पर टोटल कैपीटल इन्वेस्ट किया गया वह कितना है और इसके कितने रिटर्न्स आये हैं। इससे हालत जानी जा सकती है। लेकिन यह चीज नहीं है और जो लेखा रखा गया है उससे भी मालूम नहीं हो सकता है। इसलिये चन्द बातें जो डेली यूज की मैं देखता हूं उनको मैं कहना चाहता हूं।

जहाँ तक स्टेशनरी की चीज है जैसे पैंसिल है, पैड्स हैं, फाइल्स हैं और इंक है, मैं नहीं समझता कि यहाँ मंत्री जी राग अलापते हैं कि हमें बीडी बनाने वाली मशीन नहीं लाना चाहिये। अगर आ जायगी तो सैकड़ों आदमी जो बीड़ी बनाते हैं उनका धंधा ही खत्म हो जायगा। मुझे आश्चर्य होता है कि मंत्री जी का जवाब बीड़ी तक ही जाता है। बाहर जब अखबारों में यह चीज छपेगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं तो समझता था कि मंत्री जी इस बात को रखेंगे यह बीड़ी के लिये नहीं बल्कि सिग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड मारकेट में जो करोड़ों रुपये हमारे देश से बाहर चला जाता है उसको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे मंत्री जी बीड़ी तक ही रह गये। इस के आगे नहीं बढ़ पाये। साथ ही साथ एक चीज और मैंने देखी इस सदन के सामने उपाध्यक्ष महोदय, कि जब माननीय मल्ल जी बोले तो न माननीय मंत्री, मल्ल जी की बात को समझ सके और न मल्ल जी माननीय मंत्री जी की। माननीय मंत्री जी ने जमींदारी उन्मूलन के मुताल्लिक यह कहा कि इससे हम दुखों का अन्त करने जा रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह––मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या पहले अनुदान के सिलसिले में जो डिबेट हुई उसका जवाब आप दे रहे हैं या इस की क्रिटिसाइज कर रहे हैं?

श्री कमला सिंह––सदन में एक समस्या थी, जो माननीय मंत्री जी ने कहा था उस चीज को बतलाने के लिये मैंने कहा।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)––अनुदान पर बोलिये।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमला सिंह---अनुदान पर ही मैं आ रहा हूं।

अभी मैं जिक्र कर रहा था कि अगर हम इन चीजों को देखें, जो निब और पेंसिलें हम को सप्लाई की जाती हैं वह इतनी वर्स्ट क्वालिटी की होती हैं कि क्या कहा जाय। पहले जमाने की जो पेंसिलें हमारे विभागों में बाँटी जा रही थीं वह इतनी अच्छी थीं कि जिसको हद नहीं, लेकिन जो माल आज दिया जा रहा है वह वर्स्ट क्वालिटी का है। पिन वगैरह जो हर विभाग में दी जाती हैं वह सब इग्लैंड वगैरह की बनी आती हैं। मैं तो चाहता था कि माननीय मंत्री इस बात को मुनासिब समझेंगे कि जिस तरह से की वह गुप्तू की बनी हुई है पेंसिलें लेते हैं, निब वगैरह भी यहीं के लेने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा, बल्कि मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि पेंसिलें और निबों की छोटी छोटी मशीनें अगर बनवा लें और एक नया रोजगार हमारे यू० पी० में पैदा हो तो बहुत सुन्दर होता और इससे बाहर से जो चीजें आती हैं उसके कम्पेटीशन में भी सफलता मिलती और हम अपने देश की चीजों का ज्यादा से ज्यादा वितरण कर सकते और लोग उसका फायदा उठाते और ज्यादा अच्छी क्वालिटी भी होती। और भी चीजें हैं। अगर हम विधान सभा के पुस्तकालय में जायं और विभागों में जायं तो हमें यह देखने को मिलता है कि कानून का पुस्तकें वहाँ होती है। गवर्नमेंट प्रेस की और और जगह की। अगर हम उनकी तरफ जायं तो पहले जमाने में जब अंग्रेज यहाँ थे तो गवर्नमेंट प्रेस की जो हमें कापियाँ मिलती थीं वह बहुत ही सस्ती और उनका कागज इतना अच्छा होता था कि सब लोग उसी को खरीदने के लिये प्रिफरेंस करते थे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे कि सरकारी विभाग की छपी हुई पुस्तकें लें। लेकिन मैं अब एक नमूने के लिये कुछ बताना चाहता हूं। यू० पी० लोकल ऐक्ट्स की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् १९४३ में यह लेटेस्ट एडीशन हमारे गवर्नमेंट प्रेस का हुआ है और उस के बाद आज सन् ५४ की जब हमें जरूरत होती है तो हम खास कर ईस्टर्न बुक कम्पनी से खरीदते हैं। मैंने देखा है कि लीगल रिमेंम्बरेंस डिपार्टमेंट में ईस्टर्न बुक कम्पनी की चीजें खरीदी जाती हैं।

आज जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्रेस की किताबें हैं, जैसे यू० पी० लोकल ऐक्ट्स उसकी एक कापी का दर सवा दो रुपये है और चार का आठ रुपये, बारह आने, इसी तरह से है। और जो प्राइवेट कम्पनीज हैं उनके एक वाल्यूम का दाम साढे बारह रुपया है और इस तरीके पर ४ वाल्यूम का ५० रुपया होता है और जब सप्लीमेंटरी चीजों को लेते हैं तो ५ रुपया उसका अलग देना पड़ता है। इस तरह से प्राइवेट कम्पनीज को हमें ४ वाल्यूम का मूल्य ५५ और ६० रुपया तक देना पड़ता है, और गवर्नमेंट प्रेस की हो तो १० रुपया मुश्किल से मुश्किल होता है। कितना बड़ा रोजगार है? आज हम तरसते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जितने ऐक्ट्स आपकी विधान सभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बनते हैं, अगर उन्हीं की छपाई करें तो काफी से काफी रुपया हमारे देश को आ सकता है और मोनोपोली मारकेट की चीजों पर भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोत्साहन अगर लोगों को दे दें, थोड़ी सी कमेंटरीज भी दे दें और गवर्नमेंट प्रेस छापने की कोशिश करे तो बहुत अच्छी चीजें निकल सकती हैं। इतना ही नहीं, हमारा कार्यक्रम, जो यहाँ की कार्यवाही होती है, अगर उनको हम देखें अपनी लाइब्रेरी के अन्दर तो उनमें भी बहुत सी गल्तियाँ नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि एक जिल्द मेरे सामने पड़ी। मैं उसको देखने लगा। उसके ऊपर छपा हुआ था "अनुक्रमणिका" और उस जगह पर छपना चाहिये था "कार्यवाही विधान सभा"। उल्टी चीज है कोई मेरे जैसा अनजान आदमी अगर उस किताब को उठा ले कितनी गलतफहमी में पड़ेगा। मैं तो समझता हूं कि प्रेस में जो ऐसी गल्तियाँ होती हैं उनके ऊपर बहुत ही सख्ती की जरूरत है और कभी भी ऐसी गलतियाँ को बरदाश्त नहीं करना चाहिये। यह भी देखा जाता है कि इंडेक्स वगैरह जो छपने को दिया जाता है उसमें कभी तो लाइन वगैरह इतनी टेढी होती है कि वह जब इस्तेमाल के लिये जाता है उसका इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। इस तरह की बहुत सी चीजें नुक्सानदेह होती हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी

जो विधान सभा की कार्यवाही है उपाध्यक्ष महोदय, वह यहाँ से छपने के लिये इलाहाबाद जाती है और इलाहाबाद से छपकर फिर यहाँ आती है और लाइब्रेरी में भी वह चीज भेजी जाती है। उसके बाद थोड़े ही दिनों के बाद छांटकर फिर भेजी जाती है बाइंडिंग के लिये और बाइंडिंग होकर फिर वापस आती है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह दुगुना खर्च क्यों किया जाता है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दीजिये कि इतनी कापियाँ सजिल्द आनी चाहिये। यह ज्यादा अच्छा होता और इस तरह से बचत भी हमारी होती।

अब एक चीज यह भी है कि हमें इस डिपार्टमेंट में रिआर्गेनाइजेशन करने की जरूरत है। हर साल कमेटियाँ बैठती हैं परन्तु उनसे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो यह समझता हूं कि इसकी खास वजह यह है कि जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट में यह हुआ कि एक सिपाही से एस० पी० और एस० पी० से डी० आई० जी० और आई० जी० बना दिये गये उसी तरह से इस डिपार्टमेंट की भी हालत है। अगर थोड़े से अच्छे अच्छे लोग जो कि इसमें एक्सपर्ट हों, उन्हें अच्छी तनख्वाहों पर रख लिया जाय तो इस डिपार्टमेंट का रिआर्गेनाइजेशन हो जाय। तब यह जो दिक्कतें हमारे सामने आती हैं वह न रहेंगी। इन छापेखानों से लाखों आदमी करोड़पति हो गये, प्राइवेट संस्थायें चला चला कर, आज हमें अफसोस होता है यह देखकर कि हमारे प्रदेश में इतना बड़ा छापाखाना है कि तीन तीन ब्रांचें खोली गयी हैं, लेकिन फिर भी हम अवनति की दिशा में जा रहे हैं और जितना फायदा होना चाहिये उतना फायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी यह कोशिश करें कि इस डिपार्टमेंट को ओवरहाल करें और इसका रिआर्गेनाइजेशन किया जाय तो यह डिपार्टमेंट इतना सुन्दर हो जायगा कि उससे हमारे सारे हिन्दुस्तान की जितनी चीजें हैं उनको हम पुस्तकों के रूप में छाप सकेंगे और उनको हम अच्छे रूप में सस्ते दामों पर दे सकेंगे और उससे उत्तर प्रदेश का भी नाम होगा तथा साथ ही माननीय मंत्री जी को भी इतना यश प्राप्त होगा कि मैं समझता हूं कि उनका मुकाबिला करने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)––श्रीमन्, लेखन सामग्री तथा छापे खाने का यह अनुदान माननीय मंत्री जी ने इस सदन भवन के सामने प्रस्तुत करते हुये जहाँ अन्य बातों का विवेचन किया वहाँ कुछ बातें जो छोड़ दीं मैं उनपर प्रकाश डालना चाहता हूं क्योंकि कुछ कार्य अपने मंत्रिमंडल के समय में माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार के किये हैं जिनके लिये इस विभाग के श्रमिक की ओर से उनको धन्यवाद देना जरूरी समझता हूं। श्रमिकों को आज से तीन वर्ष पहले बहुत काफी मात्रा में अस्थायी स्थानों पर काम करना पड़ता था और जिस प्रगत के साथ माननीय मंत्री जी ने इन अस्थायी स्थानों को स्थायी कर दिया, टेम्पोरेरी पोस्ट्स को परमानेंट पोस्ट्स में कनवर्ट किया उसके लिये माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमन्, इस विभाग के संबंध में मैं ऐसा समझता हूं कि अब समय आ गया है हमें दूसरे दृष्टिकोण से भी इस छापेखाने और इसके कार्य को देखने की आवश्यकता है। इस विभाग के लिये दस लाख रुपये माननीय मंत्री जी ने नयी मशीनें खरीदने के लिये भी लिये हैं। माननीय मंत्री जी हमेशा से इस प्रयास में हैं कि सरकार का कुल काम सरकार के छापेखाने द्वारा हो। यह प्रशंसा की बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जैसा पहले भी कहा था कि सरकार को अपने भिन्न भिन्न विभागों के कार्यों को केन्द्रित करना चाहिये इस छापेखाने में। उस दिन भी कहा था और आपकी आज्ञा से आज फिर दुहराऊंगा और बराबर दुहराता रहूंगा जब तक उस नीति पर अमल करने के लिये यह सरकार न सोचे कि अलग अलग विभाग अलग अलग छापेखाने खोलकर न देश की पूंजी बढाने की क्रिया को मदद दे रहे हैं न वह कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे देश की माली हालत सुधरे क्योंकि भिन्न भिन्न छापेखाने जो विभागों में खुल रहे हैं उनके लिये नये नये एक्सपर्ट्स न रखे गये तो उन छापेखानों की

[हेमवती नन्दन बहुगुना]

देखभाल न ठीक होगी और अगर वहाँ एक्सपर्ट रखे गये तो ओवरहेड एक्सपेंडीचर जो गवर्नमेंट प्रेस के अन्दर मौजूद है जिसके अन्दर वह सभी कार्य हो सकते थे उनपर डुप्लीकेट खर्च होता है उन दूसरे विभागों के द्वारा और सरकार का पैसा खराब होता है। इसलिये आज हम इस विभाग के अनुदान की मांग भवन के सामने प्रस्तुत देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का एक ओर उसका एक्सपर्ट विभाग है और उसके लिये अनुदान माँगती है और दूसरी ओर अपने अपने विभोगों द्वारा नये छापेखानों को खोलकर काम को मुश्किल, पैसे को खराब और कम जानकारी वाले लोगों से राजकीय धन द्वारा चलाई हुई एक इंडस्ट्री को खराब करने की बात करती है। चाहे इरादा कितना अच्छा हो लेकिन नतीजा जज करेंगे तो बुरा ही निकलेगा। केन फडरेशन ने एक छापाखाना खोला है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक छापाखाना खोला है। शायद मंत्री जी कहें कि केन फेडरेशन के मुताल्लिक मैं क्या कर सकता हूं। वह मेरे अधीन नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि केन कमिश्नर उस फेडरेशन का सभापति होता है। वह उसकी मीटिंगों में सभापतित्व करता है। उनको चाहिये कि अपनी राय उसके खिलाफ रख दें और उसको न होने दें। सरकारी छापेखाने में मैं मानता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि अभी इस बात की आवश्यकता है कि बाहरी छापेखाने में भी काम किया जाय। यही वजह है कि निजी छापेखानों के लिये सरकारी काम छपवाने के लिये माननीय मंत्री जी ने एक लाख की पूंजी इस वित्तीय वर्ष के लिये इस अनुदान द्वारा उपस्थित की है। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निश्चय कहना चाहता हूं कि ऐशबाग के अन्दर जो एक विशाल भवन खड़ा किया गया है और विशाल भवन में जब मशीनों से काम होने लगेगा, जब वह सेट काम करने लगेगा जिसके लिये लाखों रुपया माँगा गया है तो निश्चय ही उसकी काम करने की शक्ति इतनी अधिक हो जायगी कि दूसरे विभागों के कार्यों को यह छापाखाना पूर्ण रूप से कर सकेगा। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी छापेखाने पर पूंजी की लागत को छापने के कार्य के लिये बढाने के बजाय समय आगया है कि सरकार दूसरी तरफ भी ध्यान दे। प्रिंटिंग ऐक्सेसरीज, रोलर कम्पोजीशन टाइप के बनाने के लिये और फेसेज को डेवलप करने के लिये एक्सपेरिमेंट्ल फाउंड्री और दूसरे कार्य हैं अगर उनको सरकार करे तो इस इंडस्ट्री के लिये वह उक्त चीजों को दे सकती है। फिर भी श्रीमन्, मैं यह निवेदन मंत्री जी से जरूर करूंगा कि जहाँ उनको गवर्नमेंट प्रेस के सिलसिले में मशीनों को लगाने की ओर ध्यान देना है वहाँ उनको यह भी ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि वह इतनी ही मशीनें लगायें जितनी नितान्त आवश्यक हों ऐसा न हो कि अधिक मशीनें लगा दी जायं जैसे एशबाग में ५, ६ साल से बहुत सी मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। उन पर काम भी नहीं होता है जैसे मोनो वगैरह की मशीन है। इस तरह से आपका रुपया भी फंस जाय और काम भी कोई न हो सकेगा।

इसके अलावा श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ के श्रमिकों की हालत वेतन के संबंध में मुनासिब नहीं है। एक बीमारी तो मंत्री जी ने काट दी और वह थी स्थायी स्थानों पर काम करने वाले श्रमिकों की। लेकिन कई वर्ष हुये जब प्रथम बार इंडस्ट्री का बजट पेश हुआ था तो मैंने निवेदन किया था मंत्री जी से कि यहाँ के श्रमिकों के वेतन क्रम और ग्रेड्स निहायत नामुनासिब हैं। उससे सरकार को क्या नुकसान होगा यह भी मैंने बतलाया था। उससे सरकार को निश्चित नुकसान तो यह है कि आज गवर्नमेंट प्रेस के अन्दर होशियार काम करने वाले लोग चाहे इलाहाबाद में हों या ऐशबाग में हों दोनों स्थानों पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इसके अतिरिक्त स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जाब पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके वेतन क्रम में कोई अन्तर ही नहीं है अतः उनमें कोई ऐसी भावना इसके कारण प्रेरित नहीं होता कि हम ज्यादा अच्छा काम करें। उनकी यूनियन की ओर से इस बात को लिख कर भी दिया गया है। बहुत से डिजिगनेशंस को तो पे कमेटी ने नजरअन्दाज ही कर दिया था। पे कमेटी के समय जब ग्रेड बने तो उस समय उसके सामने डाय स्टैम्पर का नाम तो आया ही नहीं। डाय स्टैम्पर जैसा आदमी जो बेहद अक्ल का काम करता है उसको बाइंडर के साथ मिला कर इस गवर्नमेंट के लिये शायद अक्ल की बात हो सकती है लेकिन दुनिया के लिए नहीं

हो सकती। इन बातों पर ध्यान रख कर मंत्री जी अगर मजदूरों की माँग की मान लेंगे तो मैं समझता हूं कि इस विभाग में कार्य और भी अधिक सुचारू रूप से होने लगेगा।

माननीय उद्योग मंत्री जी से एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट प्रेस और उसके मजदूरों ने पिछले बजट के समय जितना तेजी से काम किया, फैक्ट्री ऐक्ट के रूल्स के खिलाफ का काम किया, रात रात जाग कर काम किया, २४, २४ घन्टे काम किया और समय पर बजट बन गया, अब वह यहां वक्त पर आ नहीं सका, मोटर बीच में खराब हो गई यह सब बातें डिटेल्स की हैं। लेकिन लोगों ने बड़ी तत्परता से कार्य किया। लेकिन गवर्नमेंट प्रेस की एक शिकायत यह है कि केबिनेट देर में बैठती है, बजट देर में पास होता है, गवर्नमेंट प्रेस में देर से आता है और इसी से देर में छप कर आता है। छापने में भी गल्तियाँ हो जाती हैं। पिछली मर्तबा मैं देख कर आया हूं कि एक श्रमिक को इसी बात पर चार्ज शीट दे दी गई कि उसने कागज पर ४, ६ लाइन उल्टी छाप दीं। मजदूर कहता है कि दो घंटे के काम को ४५ मिनट में आप लेना चाहते हैं, इसलिये क्या करें, उनकी लाचारी है। इसलिये काम ठीक लिया जाय इसके लिये मुनासिब वक्त उनको दिया जाय। इसके लिये मशीनें अधिक लगाई जा रही हैं यह ठीक है कि लेकिन एक साथ इसमें इतना रुपया भी न लगा दिया जाय जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को धक्का लग जाय जिससे एक्नामिक एक्टिविटी आगे जाने के बजाय पीछे मुड़ जाय। इन शब्दों के साथमें माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

†**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा वक्त गवर्नमेंट प्रेस के सिलसिले में लूंगा। मैं जो कुछ अर्ज करना चाहता हूं उसका बड़ा हिस्सा मेरे भाई श्री बहुगुना जी ने इजहार कर दिया। हमारा प्रेस जो काफी तेजी से काम करता है उसकी दो सुरतें हैं। एक तो काम की जिम्मेदारी है और दयानतदारी से करने का होता है। साथ ही साथ उसके अन्दर हजारों की तादाद में खानदान पलते हैं। ऐसा भी होता है कि बाज काम जो पोशीदा रखने के नहीं होते उनको बाहर की प्रेसों को दे दिया जाता है, इससे बाहर की प्रेसों की उन्नति होती है और उनको भी सहायता मिलती है। जनाब वाला, मैं यह अर्ज करूं कि काम को देखते हुये काम बहुत काफी है लेकिन अगर गलती जरा सी हो गयी तो पहाड़ बना दिया कि बजट देर से पहुंचा। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बहुत मेहनत के साथ इलाहाबाद गवर्नमेंट प्रेस और लखनऊ गवर्नमेंट प्रेस के मजदूर काम करते हैं। वे भी इन्सान हैं अगर वे जिम्मेदारी के साथ कोई काम नहीं करते हैं और उनसे कोई गलती रह जाय तो उस वक्त भी आप उनको टोकते हैं। मैं अपने भाई से सहमत हूं कि उनको काफी वक्त मिलना चाहिये, क्योंकि बजट का बहुत अहम मामला है उसको दुरुस्त करने के लिये काफी वक्त मिलना जरूरी है। अगर उनको गलती देखने के लिये कम वक्त मिलता है तो इसमें उनके लिये परेशानी है।

एक अहम बात है जिसकी तरफ मैं अपने आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि आप अपने दूसरे महकमों को देखे जहां पर बड़ी बड़ी तनख्वाह देकर जो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर बेंत तोड़ते हैं कितनी तनख्वाह आप देते हैं और जिनके लिये दूसरे जरिये भी खुले हुये हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है मैं आपसे अर्ज करूं कि गवर्नमेंट प्रेस के मजदूर सब से ज्यादा तवज्जह के मुस्तहक हैं। आप अपने वहां के मजदूरों को कम से कम तनख्वाह देते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम उनसे लेना चाहते हैं। यह बेइन्साफी गवर्नमेंट प्रेस के मजदूरों के साथ आज भी हो रही है। एक बड़ी तादाद इन मजदरों की है। उनमें से बहुतों ने अपनी आंखें भी खो दी हैं और सेहत भी बहुत खराब कर रहे हैं। दूसरे कारखानों

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी]

के लिये और फैक्टरीज के लिये हमारे मिनिस्टर साहब बहुत से कानून बनाते हैं लेकिन जब वहां के गवर्नमेंट प्रेस के मुलाजिमों की बात है जो ७ बजे सुबह से लेकर ९ बजे रात तक काम करते हैं उनके लिये कोई कानून नहीं है। उनके लिये न कोई अस्पताल है, न कोई दवा का इन्तजाम है और न कोई और उनके लिये सहूलियत का इन्तजाम है और न और किसी तरह से उनके लिये सहायता का सामान है। हो सकता है कि मिनिस्टर साहब कुछ चीजें बतलायेंगे जो उनके लिये हों लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि वह न होने के बराबर है।

जहां तक बजट का ताल्लुक है उसके लिये उनको काफी सहूलियत देने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट प्रेस के मजदूर वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट वहां के मजदूर और फोरमैन की तरफ और ज्यादा तवज्जह देकर अपना काम करें तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप उनकी तरफ अपनी तवज्जह कीजिये और उनके लिये कुछ थोड़ी बहुत सहूलियत पैदा हो जाय ऐसा इन्तजाम कीजिये। सच मानिये कि आप इतनी तनख्वाह भी नहीं देते हैं वे घर आकर तसल्ली के साथ रह सकें। काम करने के बाद मजदूर जब अपने घर आता है तो उनके लिये खाने का भी पूरा सामान उस तनख्वाह से उनको नहीं मिलता है जो आप उनको देते हैं। मैं अपना ६० साल का तजुर्बा आपके सामने बतलाना चाहता हूं कि उनको इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती है कि जिसको वे अच्छी तरह से खा सकें और पहन सकें और अगर बीमार हो जायं तो उसका इलाज भी कर सकें और बच्चों तो तालीम भी दे सकें। हमारी गवर्नमेंट सारी चीजों को दोनों आंखों से देखती है लेकिन गवर्नमेंट प्रेस के मजदूरों को वह एक आंख से देखती है और फिर फौरन ही देखकर आंख बन्द कर लेती है और दूसरे महकमों की तरफ अपनी आंखें खोले रहती है। मैं अपने लायक मिनिस्टर साहब से यह उम्मीद करूंगा कि वे वहां पर मेरे साथ तशरीफ ले जायें और देखें कि उनकी क्या क्या तकलीफें हैं और उनको दूर करने की कोशिश की जाय और अगर उसके बाद गवर्नमेंट प्रेस के काम में कोई कमी रह जाय तो मैं यकीन के साथ इस बात को कहता हूं कि आप उनको तब सजा दे सकते हैं।

एक बात और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अंग्रेजों के जमाने में गवर्नमेंट प्रेस के सिलसिले में यह चीज मशहूर थी कि कोई भी काम करने वाला मजदूर ४० साल तक काम करने पर भी मुस्तकिल नहीं होता था, लेकिन आज भी वहां पर ऐसे लोग हैं कि जो लम्बे अर्से तक प्रेसमें काम करने के बाद अभी तक मुस्तकिल नहीं हो सके हैं और बहुत से काम करते-करते मर गये और उनके बच्चे आज मुहताज पड़े हुये हैं, लेकिन ४० साल तक काम करने के बाद भी उनके लिये किसी तरह की मदद का सहारा नहीं किया गया। वहां पर हरएक तबके के लोग मौजूद हैं। शहर के भी रहने वाले हैं और देहात के भी रहने वाले हैं। अगर इन तमाम अखराजात को देखते हुये उनके लिये कोई फौरी तवज्जह इस बजट में की गयी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गवर्नमेंट प्रेस के मजदूर तमाम मजदूरों से बेहतर साबित होंगे और काम करने वाले साबित होंगे। जनाबवाला, मैं आपके जरिये से एक बात और अर्ज कर दूं कि एक मर्तबा एक कमेटी बनायी गयी थी, जिसने वहां की हालत पर गौर किया और तनख्वाह पर गौर किया और जिसमानी हालत पर भी गौर किया। लेकिन जहां तक अमल का ताल्लुक है उस पर कुछ नहीं हुआ। ८० फीसदी लोग ऐसे हैं जिनकी सेहत काम करने से खराब हो जाती है। उसके बाद इतना भी नहीं देते कि वह खाकर अपने बदन में ताकत पैदा करें। उनकी आंखों को नुक्सान होता है और फेफड़े खराब होते हैं। गर्मियों में वे लोग दफ्तियां लगाकर थोड़ी हवा लेते हैं वर्ना वह ां इतनी गर्मी होती है कि मजदूर काम नहीं कर सकते। मैं इस यकीन के साथ अर्ज कर रहा हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर जो हमारे साथ के पुराने काम करने वाले हैं, जिन्होंने खुद तकलीफें उठाकर दूसरों की तकलीफों का अहसास किया है। वह यहां

बैठ कर उन गरीबों को नहीं भूल सकते जिनकी जिन्दगी का सहारा खुदा के बाद आप ही हैं। अगर आप उनका ख्याल नहीं करेंगे तो वहां के मजदूर ठीक से काम नहीं करेंगे और उस समय आपकी कोई ताईद नहीं करेगा।

श्री हुकुम सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्रों की बातें बड़े गौर से सुनीं और मैं शुरू ही में कह देना चाहता हूं कि प्रिंटिंग प्रेस का काम करने वाले हमारे हैं और हम उनके हैं। मैंने भी उन्हें काम करते हुये देखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी दिलजोई और मेहनत के साथ वह काम करते हैं उसमें किसी को शिकायत की गुन्जाइश नहीं हो सकती। हां जैसा हमारे भाई कमला सिंह जी ने फरमाया कि उनके प्रिंटिंग मिसटेक्स बजट में दिखलाई पड़ीं, तो कम से कम प्रिंटिंग प्रेस के काम करने वालों को खुदाई दावा नहीं हो सकता। उनसे भी हर इंनसान की तरह गल्तियां हो सकती हैं। जो शख्श तमाम दिन काम करता रहे तो उससे ऐसी गलतियां होनी सम्भव है। मौजूदा जमाने में मैं तो यह कभी नहीं कह सका कि उन काम करने वालों की तनख्वाहें ज्यादा या लम्बी हैं। मैंने कुछ इजाफा करने की भी कोशिश की है और जो अंग्रेजी जमाने में बहुत से लोग टैम्पोरेरी थे उनको मुस्तकिल करने की भी मैंने चेष्टा की पारसाल और इमसाल भी और आयन्दा भी करता रहूंगा। मेरे दोस्त कमलासिंह को एक यह शिकायत हुई कि यह बजट देर से क्यों पहुंचा। मैं समझता हूं, और मेरा ख्याल सही है, कि गाजीपुर से जो गाड़ी बनारस को आती है वह अकसर लेट आया करती है और ऐसा भी कभी हुआ होगा कि हमारे भाई को उसमें देर से पहुंचने का मौका पड़ा हो। लेकिन उसकी शिकायत मैंने उनसे कभी नहीं सुनी। सामान छपा इन टाइप और ट्रक से सामान आ रहा था जो रास्ते में बिगड़ गयी और इस कारण देर हुयी। तो इसमें सरकार का या प्रेस का कोई कसूर नहीं। और मैं तो कहता हूं कि ट्रक वाले का भी कोई कसूर नहीं क्योंकि अच्छे-अच्छे मोटर भी बिगड़ जाया करते हैं। अगर ट्रक ने बीच में यह सोचा कि हम दममार लें तो इसका इलजाम आयद किया जाता है प्रेस के काम करने वालों पर। ये ऐसी बातें हैं जिन पर हमारा और आपका कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। हां, यह देखना चाहिये कि दीदादानिश्ता तो कहीं बजट देर से नहीं पहुंचाया गया। अगर ऐसा होता तो वाकई काबिले एतराज होता। अगर वाकई ऐसी घटना हो गयी तो उसके लिये आपको चेरीटेबिल व्यू लेना चाहिये और ऐसे इल्जामात आयद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

हमारे मित्र ने एक बात और फरमाई कि छापे की क्वालिटी बहुत खराब है और पहली गवर्नमेंट के जमाने में जो छपाई होती थी वह बहुत अच्छी होती थी। हमारी उनकी ऐनक में कुछ फर्क मालूम होता है। उन्हें अंग्रेजी जमाने की चीजें पसंद हैं तो मुझे इस जमाने की। इसमें हम अपने मित्र से एक राय नहीं हो सकते। छापे का काम हमने भी देखा है हमको तो वह अच्छा मालूम हुआ, हां हमारे मित्र ने किसी दूसरे नुक्तेख्याल से देखा होगा। लेकिन जितनी जानकारी मुझे है ऐसी कोई खराबी नहीं मालूम हुई। ताहम मैं कोशिश करूंगा कि काम और अच्छा हो, स्टैन्डर्ड का हो और ऐसा हो जो हमारे मित्र को पसन्द आये। हां, एक बात मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं वह चीज नहीं ला सकता जो विदेशियों के जमाने में थी।

हमारे बहुगुना जी ने मुझे बधाई दी जिसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो प्रेस खुले हैं उनके बारे में भी कहा गया, उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा याद दिलाते रहेंगे, मैं भूल तो नहीं सकता हां, इतना जरूर कहूंगा कि इसका ख्याल रखा जायगा।

जहां तक फाखरी साहब का ताल्लुक है उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिये जिनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो हमदर्दी उन्होंने वहां छापेखाने में काम करने वालों की तरफ जाहिर की वैसी हमदर्दी मुझे भी है। एक बात मेरे मित्र ने और कही वह यह कि वहां ७ बजे से रात भर काम किया करते हैं। इसके लिये हम उनकी तारीफ करते हैं।

[श्री हुकुम सिंह]

क्योंकि इस देश के नागरिक होने के नाते वे अपना फर्ज मंसबी अदा करते हैं, और किसी भी तरीके से सही वे देश के लिये अपना कंट्रीव्यूशन देते हैं। ओवर टाइम काम करने के लिये उन्हें मजदूरी भी दी जाती है। बहुगुना जी इसमें मेरी ताईद करेंगे। उनको मजदूरी कम मिलती है या ज्यादा यह बात दूसरी है जितने रेट्स फिक्स हैं वह मजदूरी उनको मिलती है।

मैं भी उस छापेखाने में गया हूं। मैंने भी वहां देखा कि वे लोग वहां बड़ी मशक्कत और मेहनत से काम करते हैं तथा वहां गरमी भी बहुत रहती है। मुझे और फाखरी साहब को तो वहां और भी ज्यादा गरमी मालूम देगी क्योंकि जो जितना ज्यादा मोटा होता है उसको उतनी ही ज्यादा गरमी मालूम होती है। हमारे कारकुनान इसके आदी हैं। वहां बहुत से शहर और बाहर के लोग काम कर रहे हैं जिससे वे अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। सरकार के सामने इस समय यह चीज है कि हम उसको रिआर्गेनाइज करें और उसे ऐसे ढंग पर लायें जिससे हमारा पूरा काम हो सके और साथ ही ऐफीशियेन्सी भी न घटे और क्वालिटी भी उसकी ऐसी हो जाय जिसके लिये कोई शिकायत न हो और माननीय कमला सिंह जी को भी पूरी तरह से तसकीन हो जाय। इस सिलसिले में एक कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लाखों रुपया उन मशीनों के लिये रक्खा गया है जिनके द्वारा इसको तरक्की देने का विचार है। कुछ मशीनें हमारी अभी हैं जो कि चलायी नहीं गयी हैं उस मसले पर हम विचार कर रहे हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोग (खास आदमी) हैं जो कि उन मशीनों पर काम कर सकते हैं, उनकी हमें आवश्यकता है और उनकी तलाश करके हम उनको अपने यहां मुकर्रर करके उन मशीनों से भी काम ले सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—उस काम की भी तनख्वाह देनी पड़ेगी।

श्री हुकुम सिंह—मैं मुफ्त में काम नहीं लेना चाहता हूं। सरकार हमेशा तनख्वाह देती है चाहे कम दे या ज्यादा जिह तनख्वाह पर अच्छे आदमी मिलेंगे हमको लेना पड़ेगा। सरकार की तो यह चेष्टा है कि हम आर्गनाइज करके एक अच्छे ढंग में कर दें। यहां यह भी कहा गया कि नेशनलाइजेशन कर दिया जाय। बात बहुत अच्छी है और इसमें मैं क्या राय दूं। लेकिन फिर भी लोग अक्सर कहा करते हैं अगर प्राइवेट प्रेस को खतम कर दीजियेगा तो सैकड़ों की तादाद में लोग बेकार हो जायेंगे तथा प्राइवेट प्रेस खत्म हो जायेंगे। इस प्रकार एक तरफ तो बेकारी और बेरोजगारी बढ़ने की और दूसरी तरफ से नेशनलाइजेशन की बात कही जाती है इसलिये ऐसी बातों पर जल्दी राय दे देना आसान नहीं है। हमें इस पर बहुत गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये। हम प्राइवेट प्रेसों को ऐसे काम देते हैं जिसको कि यह प्रेस नहीं कर सकता या बाहर के प्रेसों को देने में कोई दिक्कत और नुकसान नहीं होता, या दूसरी कोई अड़चन नहीं होती। इसके लिये डेढ़ लाख रुपया सरकार ने उसमें रखा है ऐसा तो मजबूरी की हालत में प्राइवेट प्रेसों को जिन्दा रखने के लिये करना है, उनको काम देना पड़ता है ताकि वे बेरोजगार न हो जायं बेरोजगारी को कम करना है। न कि इसमें इजाफा करना है। इस दृष्टिकोण से भी हमको देखना है। इसलिये प्राइवेट प्रेसों के लिये इस साल ज्यादा रुपया रखा गया है। इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे। हमारे मित्र कमला सिंह जी भी हमारी दिक्कतों का एहसास करेंगे और जो उन्होंने सजेशंस दिये हैं उन पर मैं विचार करूंगा और जहां तक उनकी ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूं, पूरी करने की कोशिश करूंगा। आशा है कि वे भी इस अनुदान को स्वीकार करेंगे और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

†श्री कमला सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी की बात बड़े गौर से सुनी और जो उन्होंने मजदूरी के प्रति सहानुभूति दिखलाई वह भी बड़ी खुशी की की चीज है और फाखरी साहब ने जो उनके लिये दवादारू की बात कही वह भी आवश्यक चीज है। लेकिन माननीय मंत्री जी से मुझे यह कहना है कि एक शासक की नीति से उन्हें इन चीजों को देखना चाहिये। जहां तक बजट के सवाल पर उन्होंने रेलगाड़ी की मिसाल दी उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी थी। एक दिन पहले अगर बजट की कापीज यहां आ जातीं तो कोई गलती नहीं होती। कोई इम्तहान का पेपर नहीं था कि आउट हो जाता। मैं तो कहता हूं कि इसके ऊपर पूरी सख्ती होनी चाहिये। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि उस दिन ११ बजे से ४ बजे तक जो इस सदन का समय नष्ट हुआ उससे हमारे प्रदेश का कितना नुक्सान हुआ। यह भी सोचने की बात है। जहां तक इस डिपार्टमेंट का सवाल है कि यह रोजगार है तो जैसे माननीय त्रिपाठी जी ने कल रोजगार की भावना को इस सदन के सामने रखा उसी भावना को हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी को भी रखना चाहिये था कि इस तरह से यह डिपार्टमेंट बहुत आगे बढ़ेगा। और उस भावना के साथ कोई भी आदमी ऐसा न होगा जो कोआपरेट न करे। जहाँ तक छपाई के बारे में उन्होंने कहा है मैंने यहां की बहुत सी छपी हुयी किताबें देखीं लेकिन वे इतनी अच्छी नहीं होतीं जितनी अच्छी कि इंगलैन्ड और अमेरिका में छपी हुयी किताबें होती हैं। यह मैं नहीं चाहता हूं कि पुराने जमाने की या अंग्रेजी के जमाने की चीज अपनाई जाय, जबकि हम गुलाम थे। आज तो हम स्वतंत्र हैं इसलिये मैं समझता हूं कि जिस तरह से इंगलैन्ड व अमेरिका आदि में किताबों की छपाई अच्छी होती है उसी तरह से यहाँ भी हो। तो इस देश का बड़ा ही लाभ हो। मैं तो इस चीज को दावे के साथ रखना चाहता हूं और इस चीज को प्रोत्साहन देना चाहता हूं और उसी भाव से मैंने कहा था न कि यह बात थी कि किसी के प्रति में सहानुभूति नहीं रखना। बहुगुना जी ने तनख्वाह के बारे में कहा। मैं भी चाहता हूं कि उनको अच्छी से अच्छी तनख्वाह दी जाय लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है काम को सख्ती से लेना चाहिये। अगर कोई काम वक्त न करे तो उसके खिलाफ सख्ती होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ चूंकि माननीय मंत्री जी ने वादा किया है कि जितने सुझाव दिये गये हैं उनका ख्याल करेंगे मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७–लेखन–सामग्री और छपाई (लेखा शीर्षक ५६) लेखन सामग्री और छपाई मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि–सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत ८८,२२,२०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८––लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८–लेखा शीर्षक ५७––विविध व्यय के अन्तर्गत ७,९४,३४,२०० रुपय की माँग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मद ऐसी है जिसमें वह रकमें शामिल की गयी हैं जो किसी ग्रान्ट के मातहत नहीं आ सकें। जितने सिविल डिपार्टमेंट हैं उनके सबके मुताल्लिक इसमें रकम

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह]

दी गयी है । यह इतनी लम्बी चौड़ी ग्रांट्स हैं कि अगर हर एक आइटम के बारे में कहूं तो जितना वक्त इस इस ग्रांट के लिये मुकर्रर है वह मैं ही सब खत्म कर दूंगा। लिहाजा और कुछ न कह कर सिर्फ माननीय सदस्यों का ध्यान इस लिटरेचर की तरफ दिलाकर जिसमें सब कुछ विस्तार के साथ पूरा-पूरा विवरण दिया हुआ है अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा और यह प्रार्थना करूंगा कि सदन इस अनुदान को स्वीकार कर ले।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय उद्योग मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें मदें हैं कि उनपर विचार करना पूरी तरह से असम्भव है। मैंने जब इन मदों को पढ़ा तो मेरे मस्तिष्क में यह बात आयी कि पाँच विभागों में इस मद की रकमें हैं। सबसे पहले समाज सेवा शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा उत्पादन, हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लिये औद्योगिक शिक्षा, स्कालर शिप, जमींदारी विनाश कोष संक्रमण और कुछ विकास वगैर के काम लिखे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने सबसे पहले इसको पढ़ा और देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुयी थी विधवाश्रम के सम्बन्ध में हमारी सरकार कुछ अधिक काम करेगी। यह मुझे मालूम है कि बहुत पहले कुछ वर्ष बीत गये जबकि हमारे कुमायूं डिवीजन के वयोवृद्ध नेता बद्रीप्रसाद जी पाँडेय के सभापतित्व में विधवाश्रमों के सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी गयी थी और उस कमेटी के सम्बन्ध में इसमें जो लिखा गया है उसको अगर पढ़ूं तो शायद समय अधिक लगेगा लेकिन उसका योग पढ़ा जाना बहुत ही आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने जो पुस्तक बतायी जोकि समिति की रिपोर्ट है उसका सुझाव है कि प्रत्येक जिले में इस प्रयोजन के लिये एक बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये और ऐसे बोर्डों के सदस्य सरकार द्वारा नामांकित किये जायं और इसके अलावा सरकार के हेडक्वार्टर में एक केंद्रित बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये। उक्त समिति ने यह भी सिफारिश की कि सरकार अपने नियन्त्रण के अधीन कुछ आदर्श संस्थायें भी कायम करे। तो जब यह मानते हैं कि इस ओर सरकार का ध्यान था एक कमेटी बैठायी गयी जिसकी रिपोर्ट सरकार के सामने आयी है, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था जिस प्रकार कि सरकार और भी बहुत सी कमेटियां बिठाती है और यह कोशिश करती है कि यह समस्या जानी जाय लेकिन जब उसको कार्यान्वित करने का प्रश्न आता है तो वहाँ पर सरकार पीछे हट जाती है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर जहाँ तक विधवा-आश्रम का सम्बन्ध है उसी के साथ-साथ जो एक महिला सहायक संघ है जिसके सम्बन्ध में भी ५० हजार रुपये की ग्रांट है और इस विधवा आश्रम के सम्बन्ध में भी ५० हजार रुपये की ग्रांट है उस महिला सहायक संघ जिसकी अध्यक्षा हमारे माननीय राज्यपाल महोदय की धर्मपत्नी हैं—अगर महिला सहायक संघ आदि समस्याओं और विधवा आश्रम दोनों को यूनीफाइ कर दिया जाय और अगर आवश्यकता हो किसी लेजिस्लेशन या विधेयक लाने की तो उसकी भी व्यवस्था हो जाय तो मैं समझता हूं कि उसके द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बहुत सी विधवायें हैं उनमें संगठन हो जायगा और उनके अतिरिक्त जो बहुत सी महिलायें आपत्ति में रहती हैं उनके लिये सुविधा हो जायगी ।

एक दूसरी ग्रांट पाकिस्तान से आई हुयी विस्थापित स्त्रियों के लिये भी है। इस ग्रांट को देखने से मालूम होता है कि सरकार को इस ओर ध्यान है परन्तु जिस गति से इस ओर काम किया जा रहा है उसको देखते हुये यह मालूम होता है कि सरकार पूर्ण रूप से समस्या का हल नहीं करना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा यह भी निवेदन करना है कि जिस प्रकार से विधवा आश्रम और महिला सहायक संघ के लिये अनुदान दिया गया है इसी प्रकार

से हमारे देश के अन्दर बहुत से गरीब भीख माँगने वाली स्त्रियाँ और पुरुष हैं। चाहे आप बाजार में जाइये या कहीं भी जाइये खासकर हमारे इस उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ और पुरुष मिलेंगे। अगर हम उनसे काम लें तो हमारे उत्पादन में भी बृद्धि हो सकती है और हमारे कुटीर उद्योगों में भी एक आवश्यक सुधार हो सकता है। अगर सरकार को कोई आवश्यकता मालूम हो तो एक विधेयक भी ले आये और केन्द्र में एक बोर्ड बना दे जैसे कि और बहुत से बोर्ड बने हैं जिनमें सरकारी और असरकारी सदस्यों का सहयोग होता है। तो मैं समझता हूं ऐसी बहुत सी स्त्रियाँ और पुरुष जो कि हमारे ऊपर एक बोझ से बने हुये हैं उनकी बहुत कुछ समस्या हल हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के अतिरिक्त में एक बात और सरकार को बतला देना चाहता हूं कि पहाड़ी जिलों में अलमोड़ा और गढ़वाल जिला बोर्ड के लिये डेढ़ लाख और नैनीताल और देहरादून जिला बोर्ड के लिये एक लाख रुपये की ग्रांट दी गयी है। उन बोर्डों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें जबकि उन बोर्डों का काम प्राइमरी शिक्षा देना है और इसी तरह की बहुत सी जिम्मेदारियाँ उनके साथ हैं। उन जिलों के अन्दर लोगों ने प्राइमरी शिक्षा के लिये अपनी ओर से बिल्डिंग बनवायीं। वहाँ सरकार को रुपया देना चाहिये। इसलिये हम समझते हैं कि जब तक समस्या को पूर्ण रूप से हल नहीं किया जायगा तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। वरना जैसे किसी बीमार की हालत होती है कि यदि उसे होम्योपैथिक की दवा या कोई इंजक्शन दे दिया जाय तो उसकी जिन्दगी दो चार घंटे या एक दो दिन के लिये बढ़ जाय, उसी प्रकार की व्यवस्था इन सब समस्याओं के साथ सरकार की मालूम होती है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इन विस्थापितों के लिये, गरीबों के लिये, विधवाओं, के लिये ऐसी स्त्रियों के लिये जो समाज की कुरीतियों के कारण बुरे-बुरे पेशों में चली जाती हैं जैसे प्रास्टिट्यूट्स आदि कोई कदम उनके सुधार के लिये उठाये, तो इससे देश का उत्पादन बढ़ सकता है। अनुदान में मैं अपने जिले के सम्बन्ध में बताऊं। इसमें प्रायः सभी विषय आते हैं जैसे अंग्रेजी में कहा गया कि 'चाइना टु पेरू'। तो सभी विषयों पर कहा जा सकता है। गढ़वाल में काफी रेशम का काम हो सकता है। यदि वहाँ विधवाश्रम खोल दिये जायें, तो वहाँ पर ऐसे स्थान हैं जहाँ रेशम का काम हो सकता है। हमने प्रयोग करके देखा है कि वहाँ यह काम भली प्रकार हो सकता है। यदि वहाँ विधवाओं और अन्य गरीब स्त्रियों के द्वारा रेशम का काम करवाया जाय तो काफी लाभ हो सकता है और उनका भी सुधार हो सकता है। मुझे अपने यहाँ का थोड़ा अनुभव है कि गढ़वाल कुमायूं वूलेन स्कीम के द्वारा २ हजार ८ सौ ६५ आदमियों को शिक्षा दी गयी है, लेकिन जितने व्यक्तिगत लोगों को मैं जानता हूं शिक्षा पाने के बाद वे उस काम को नहीं कर रहे हैं जिसके लिये उन्हें शिक्षा दी गयी है, इसलिये उनको शिक्षा देने में जो हमारा रुपया खर्च हुआ, वह बेकार गया और बेकारी की समस्या भी आगे बढ़ी। इस तरीके से माननीय उद्योग मंत्री ने यह बतलाया है कि उद्योग शिक्षा के सम्बन्ध में जो सार्टिफिकेट मिलेंगे वे इंटरमीडियट और हाई स्कूल के मिलेंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि उसका रिएक्शन क्या होगा। जिन लोगों को इंटरमीडियट और हाई स्कूल का सार्टिफिकेट मिलेगा वे यह समझेंगे कि हम कुछ ऊंचे दर्जे के लोग हो गये हैं और इसलिये वे स्किल्ड लेबर कुटीर उद्योग की तरफ नहीं जायेंगे। हो सकता है कि माननीय उद्योग मंत्री जी मेरे सुझावों को पसन्द न करें लेकिन मैं देखता हूं कि इन विविध व्ययों के अन्दर गरीबों की पूर्णरूप से सहायता नहीं की गयी है और न उन समस्याओं को हल करने के उपाय निकाले गये हैं जो समस्यायें आज हमारे देश के सामने हैं। जो विधवायें हैं या समाज में गिरी हुई स्त्रियाँ हैं वे भी हमारे देश की नागरिक हैं और हमारे संविधान के अन्दर उनको फ्रेंचाइज का हक़ है। यदि सरकार उनके प्रति अपना कुछ उत्तरादायित्व नहीं समझती है, तो सरकार उनको डिस्फ्रेंचाइज कर दे। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह इस समस्या को हल करे और उत्पादन केन्द्र खोले। इन केन्द्रों में सरकार

[श्री गंगाधर मैठाणी]

को थोड़े दिनों के लिये रुपया लगाना पड़ेगा और फिर जब प्रोडक्शन होने लगेगा तब यह प्राफिट पर चलेंगे । अगर सरकार सब सोच समझ कर आफिशल, नान आफिशल और सभी पार्टियों का सहयोग लेकर काम करे, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा होगा और इससे हमारे देश का कलंक दूर होगा । इतनी बातें कहते हुये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री जी को, जिन्होंने विधवाश्रमों और महिला सहायक संघ के लिये यह धनराशि रखी है, बधाई देती हूं । उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो देखने में यह रकम बहुत मालूम होती है कि ५० हजार की यह दोनों रकमें करीब एक लाख की हो जाती हैं, लेकिन इतने बड़े प्रांत के लिये और खासकर विधवाश्रमों और अनाथ बहिनों के लिये यह आइटम नहीं के बराबर है। मैं आपके माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगी कि यह अनुदान महिला संघ या अनाथालयों के लिये बहुत ही कम है । मैं समझती हूं कि बनारस जैसी नगरी में जहाँ १२-१३ अनाथालय हैं उन अनाथालयों की ऐसी दयनीय अवस्था है कि वह वर्णन करना मेरे लिये मुश्किल हो जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन अनाथालयों का निरीक्षण किया है । उनकी इतनी बुरी दशा है कि दिन दहाड़े वहाँ महिलाओं के ऊपर पाशविक अत्याचार होता है । इससे ज्यादा और क्या कहा जाय । मैंने उनका निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज कर उनका भी ध्यान आकर्षित कराया था । एक अनाथालय में मैं गयी, वहाँ मैंने देखा कि इतना गन्दा मकान था कि हवा तक जाने की जगह नहीं थी और पशु भी उस मकान में नहीं रखे जा सकते थे लेकिन वहाँ ८ महिलायें रखी गयी थीं । मैंने उनके रजिस्टरों को देखा तो केवल ८ महिलाओं का व्यापार केन्द्र चलाने में उनको ढाई, तीन हजार रुपये की आमदनी होती है । कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक हालत है । ऐसी हालत में यह धनराशि हमारे अनाथालयों के लिये बहुत ही कम होगी । एक दूसरा अनाथालय मैंने देखा जहा एक भी महिला अनाथ या विधवा नहीं है और न कोई बच्चा है, केवल साइनबोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है यतीमखाना । मैंने वहाँ जाकर देखा तो छोटी सी खिड़की के अन्दर मुझको घुसना पड़ा और उसी के अन्दर सीढ़ी पर चढ़ना पड़ा । मालूम होता था कि कोई तहखाना इसके अन्दर होगा । लेकिन जाने से मुझे मालूम पड़ा कि यह सीढ़ी तो ऊपर चढ़ती है । एक पुरुष जो मेरे साथ गये थे उन्होंने बताया कि यह तो मेरी बहन है, यह बेटी है और यह मेरी रिश्तेदार है, यहाँ पर अनाथ बहनें एक भी नहीं हैं । तो बताइये कि जिसकी रजिस्ट्री सन् २८ में हो चुकी हो तो क्या रजिस्ट्री विभाग का यह कर्त्तव्य नहीं था कि जब वह अनाथालय रह ही नहीं गया है तो वह साइनबोर्ड लगा कर अपना खर्चा चलायें यह कहाँ तक उचित है । यह तो बहुत बुरी बात है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये अपने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी और अनुरोध करूंगी कि एक इस धनराशि को अधिक संख्या में बढ़ा दें । इतने बड़े प्रांत के लिये यह ५० हजार की रकम बहुत ही कम होगी । वैसे तो हमारी सरकार ने बहुत बड़े बड़े और सराहनीय कार्य शरणार्थियों के लिये किये हैं । बनारस में भी बंगाल की महिलाओं के लिये एक केन्द्र चल रहा है । उसमें गरीब १५० बहनें रहती हैं और अच्छी तरह से रहती हैं और वह सुचारूरूप से चल भी रहा है । लेकिन वहाँ पर अगर उन बहनों के लिये कोई उद्योग का साधन कर दिया जाय तो जो १५ रुपये महीना खर्च उनको मिलता है वह ज्यादा बढ़ सकता है जिससे उनके बुढ़ापे के खर्च के लिये उनके पास कुछ धन भी हो जायेगा । तो इसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जो विडो होम और शरणार्थियों का केन्द्र बनारस में चल रहा है उसकी धनराशि की ओर भी ध्यान दें । वैसे तो हमारे यहाँ चुनार में भी बहुत अच्छा केन्द्र चल रहा है, देहरादून में भी चल रहा है । इलाहाबाद में जो शिशु गृह चल रहा है

वह तो बहुत ही सराहनीय है । छोटे छोटे बच्चों का वहाँ पालन पोषण होता है। इसके लिये हमारे शरणार्थी विभाग ने बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य किया है। इसके लिये वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा बात तो कहनी नहीं थी । इन तीन बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना था और मैं पुनः उनको एक बार धन्यवाद देकर अपने शब्द समाप्त करती हूं ।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रांट इस वक्त हमारे पास है और जिस पर हमारे दोस्त उस तरफ से कटौती का मोशन पेश किया है उसके मुताल्लिक मुझे भी चन्द बातें अर्ज करनी हैं । यह ग्रांट जो ग्रांट नं० ३८ है और जिसका हेडिंग मेसिलेनियस है, जैसा कि मन्त्री महोदय, ने फर्माया कि बहुत से मुख्तलिफ किस्म के इखराजात इसमें आ जाते हैं। इसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो लोकल बाडीज के ऊपर गवर्नमेंट करती है, कुछ डिस्पैलैस्ड परसन्स पर किये जाते हैं, कुछ खैराती किस्म के इंस्टीट्यशन्स, पर होते हैं, कुछ कमेटियां बनती हैं उनके खर्चे आते हैं। मुझे इन खर्चों के मुतलिक ज्यादा नहीं कहना है। जो खर्चा डिस्प्लैस्ड परसन्स पर किया जाता है, जाहिर है कि मुल्क की तक्सीम के के बाद वह यहां आये हैं और उनको हमारी ज्यादा से ज्यादा हमदर्दी दरकार है। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट उनकी दिक्कतों और मुसीबतों पर अहसास करती है। जैसा कि इस ग्रांट से पता चलता है कि उनकी तालीम के लिये, उनके इलाज के लिये, और उनको मकान फराहम कराने के लिये और उनको हर तरह से सुविधा देने के लिये बहुत सी मदें इसमें मौजूद हैं और उनको आराम पहुंचाने की कोशिश की गई है।

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह इस सिलसिले में है कि जो मुख्तलिफ किस्म की ग्रांट लोकल बौड़ीज को दी जाती है उनमें से कुछ रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसपैलिटीज और पंचायतों को दिया जाता है। जनाबवाला, इसके अलावा भी इस बजट के अन्दर तीन ग्रान्ट्स ऐसी हैं जिनके मातहत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज को इम्दाद दी जाती है। लेकिन इस ग्रांट से पता चलता है कि बावजूद हमारी सरकार के पूरी सहायता देने के इस सूबे के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसपैलिटीज अपने फरायज को पूरे तौर से अंजाम नहीं दे सकते हैं। उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां आई हैं, वह अपने मुदर्रिसों को तनख्वाह वक्त पर नहीं दे सकते और दूसरी वजहों से उनकी माली हालत खराब हो गई है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मुख्तलिफ वक्त में काफी रकम मुदर्रिसों को तनख्वाह अदा करने और दूसरे कामों के लिये देनी पड़ी है ।

हुजूरवाला, यह सिलसिला अर्से से जारी है और गवर्नमेंट इनके इखराजात अपने सिर पर ले रही है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की वक्तन फवक्तन जरूरत पूरी होती रहती है । लेकिन मैं निहायत ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि आखिर यह सिलसिला कब तक जारी रखा जा सकता है। जब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युनिसपैलिटीज और दूसरी लोकल बोडीज के लिये कांस्टीटयूशन में इस किस्म की हमदर्दी न करें वह हमारी इस तरह की इम्दाद के हमेशा जरूरत मंद रहेंगे ।

अब इस बात की निहायत ही जरूरत है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और पंचायतों के जो अख्तियारात हैं वह अलग-अलग डिफाइन हो जांय। इस लिये कि डिस्ट्रिक बोर्ड्स और पंचायतें दोनों लोकल बौडीज है जो देहाती रकबे में काम करती है और जो पंचायत एक्ट है और जिसे चालू हुये चार वर्ष हो गये हैं उसके मातहत हमने बहुत से अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से निकालकर पंचायतों के सुपुर्द कर दिये हैं। लेकिन अब भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स उसी हालत में चल रहे हैं जिस हालत में कि पंचायतों के कायम होने के पहले चलते थे। जाहिर है कि उनके अख्तियारात ले लेने के बावजूद उनकी मौजूदगी अब भी वैसी ही है। इसका नतीजा यह है कि बहुत से

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुल्तान आलम खाँ]

लोगों पर डबल टैक्सेशन पड़ता है। गवर्नमेंट इस बात को जानती है और गवर्नमेंट ने महसूस किया है कि यह चीज गैर जरूरी है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में एक बिल आयेगा और इस बात की कोशिश की जायगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपैलिटीज के अख्तियारात अलहदा-अलहदा डिफाइन कर दिये जांय। लेकिन मुझे इस सिलसिले में अर्ज करना है कि अब मौका है कि यह भवन गौर करले कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की इस सूबे के अंदर जरूरत बाकी है या नहीं। मुझे जहां तक इल्म है मद्रास और उड़ीसा दो सूबे ऐसे हैं जिन्होंने इस बात का फैसला कर दिया है कि अब मौजूदा परिस्थित में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जरूरत बाकी नहीं है और जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जरूरत बाकी नहीं रही तो सवाल यह पैदा होता है कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो इस वक्त है वह किस सूरत में कायम रहे। या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इंस्टीट्यूशन बिलकुल ही उड़ा दिया जाय या फिर उनको इस तरीके पर बदला जाय कि उनको एक एडवाइजरी बाडी में मुन्तकिल करदें या एल्डर्स की कौंसिल हो जो जिले में बैठ कर पंचायतों के काम को सुपरवाइज करती रहे। उसके सिलसिले में फिर एक सवाल यह भी पैदा होगा और सामने आयेगा कि डिस्ट्रिक बोर्ड का इन्तजाम किस तरीके से किया जाय। इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इन्तखाब जो हमारे यहां होता है वह इस तरीके से है जैसा कि असेम्बली का है और वह एडल्ट फ्रैंचाइज पर होता है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रिक बोर्ड की सूरत बदलने के लिये तैयार हों तो फिर सवाल पैदा होता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इन्तखाब हो या इंडायरेक्ट हो, या पंचायतों के जरिये से मेम्बर मुन्तखिब हो कर आये। मैं समझता हूँ कि यह मसायल हमारे सामने हैं और हमें शायद इसी सेशन के अन्दर या ज्यादा से ज्यादा अगले सेशन में इस बात को तय करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पंचायतों की पोजीशन क्या रखें। मुझे जहां तक ख्याल पड़ता है, मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मियाद बढ़ाई गयी है, वह दिसम्बर २४ को खत्म हो जायगी और शायद इससे भी हमें इस बात की जरूरत होगी कि हम एक बिल अपने सामने लायें और इस बात का फैसला करें कि आइन्दा इन्तखाबात किस तरीके पर होंगे।

जनाबवाला, इस सेशन में हमें यह भी फैसला करना पड़ेगा कि म्युनिसिपैलिटियों का इन्तजाम में क्या दखल हो। दो साल पहले गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमीशन बैठाया था, जो इस बात की जांच करने के लिये टैक्सेशन का किस सूरत से इन्तजाम किया जाय और लोकल बाडीज को टैक्सेशन के क्या-क्या अख्तियारात दिये जायं। उसी मौके पर हमारे इस सूबे की गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बैठाई थी जिसने बहुत से सिफारिशात पेश कर दिये हैं और जिसमें उन्होंने इस बात के भी सुझाव दिये हैं कि म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को किस-किस चीज के टैक्सेज लगाने का मौका हो। जनाबवाला, यह चीज भी हमारे सामने है। इस बात का भी हमें फैसला करना पड़ेगा और शायद जल्दी ही इसका फैसला करना पड़ेगा कि लोकल बाडीज को क्या-क्या अख्तियारात हम टैक्सेशन के दें। मैं इस सिलसिले में अपनी राय पेश करना चाहता हूँ जिससे हम आइन्दा अपने सोच विचार के बाद कोई राय कायम कर सकें और वह यह है कि जहां तक मुमकिन और मुनासिब हो यह सूरत बेहतर हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटियों को कोई टैक्सेशन मजीद न करना पड़े, बल्कि हम लोग अगर पसन्द करें और गवर्नमेंट भी पसन्द करे कि टैक्सेशन का एक ऐसा तरीका हो कि एक पूल हो टैक्सेशन का। एक टैक्स हुआ करे और कुछ हिस्सा उसमें स्टेट के एक्सचेंडीचर के लिये रहे और कुछ हिस्सा ऐसा हो जो लोकल बाडीज को ट्रांस्फर किया जा सके। मैं इन ख्यालात को इसलिये यहां रखना चाहता हूं कि लोग और मेरे दोस्त इस मामले में अपने ख्यालात का इजहार करें और इस बात की कोशिश करें कि हम किसी मुत्तफिकां नतीजे पर पहुंच सकें कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटियों का कांस्टिट्यूशन आइन्दा किस तरीके का रखना चाहते हैं। जाहिर है कि मुल्क के अन्दर एक स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं और यह इदारा भी इतना ही जरूरी है जितना कि किसी स्टेट के अन्दर एक स्टेट गवर्नमेंट। इसलिये मुझे उम्मीद है कि इस मसले के मुताल्लिक गवर्नमेंट भी तवज्जह फरमायेगी और जल्द से जल्द ऐसा बिल हाउस के सामने आयेगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष उन्होंने बजट में विधवा आश्रमों और अनाथाश्रमों के लिये प्रावीजन रखा है। क्योंकि हमारे विरोधी भाई हमेशा यह कहा करते थे कि देश को स्वतंत्रता तो मिल गयी लेकिन हमारे यहां जो अनाज बच्चे हैं, विधवायें हैं उनके लिये कुछ नहीं किया गया। यद्यपि करना तो चाहिये था करोड़ों रुपया, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम उस ओर थोड़ा सा प्रारम्भ तो कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी निवेदन करना है कि जहां तक इंडस्ट्रीज का जो ग्रामोद्योग हैं, उनको मदद करने की बात है, माननीय मंत्री जी के कमरे में उत्तर प्रदेश का जो नकशा टंगा हुआ है उसमें या तो हमीरपुर जिला बना नहीं है या अगर बना भी है तो संभवत: उनकी दयादृष्टि उस पर नहीं पड़ती है क्योंकि जहां तक मैंने देखा न तो गत वर्ष और न इस वर्ष वहां किसी भी इंडस्ट्री को कोई मदद देने का उसमें प्राविजन है। इसलिये मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वह जिला सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने कल कहा था कि यू० पी० भर में मैंने दौरा किया लेकिन बुन्देलखंड को जितना गरीब पाया उतना इस प्रांत का कोई इलाका नहीं है। इसलिये मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि उस जिले की ओर भी दयादृष्टि करें। वहां भी महोबा में एक अनाथालय है और कई और वहां उद्योग धंधे हैं लेकिन उनको कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)––श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान को देख कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपने मंत्री जी को बधाई दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि सर्व-प्रथम बात यह है कि हमारे प्रदेश में अनेकों झगड़े बढ़ रहे थे और उन झगड़ों के कुछ मुख्य कारण थे जिसकी रोकथाम के लिये हमारी पुलिस ने भी काफी कार्य किया, विशेषतया मुजफ्फर-नगर जिले में बहुत से डाकुओं को पकड़ा और उनको दंड दिया गया। इस मद में जो ५५ हजार रुपया माननीय मंत्री जी ने रखा है यह हमारे प्रदेश की उन्नति के लिये एक मुख्य कार्य है। दूसरी मद में साढ़े बीस लाख रुपया कांजीहाउस के लिये है। यह भी बड़ी प्रशन्नता की बात है। कांजीहाउस में आवारा जानवर बन्द कर दिये जाते हैं, प्राय: देखने में आता है कि वहां के क्लर्क या मुंशी लोग उनको चारा इत्यादि नहीं डालते है और वह भूखे रहते हैं। यदि कोई चौपाया कुछ दिनों तक कांजी हाउस में रह जाय तो वह अत्यन्त कमजोर हो जाता है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात की कृपा करें कि उनकी देखभाल की जाय और चारा या आवश्यक चीज खाने पीने की उनके लिये होती है वह वहां उनको दी जाय। एक बात और मैं आपसे निवेदन कर दूं। अभी कुछ दिन हुये एक बिल संशोधित हुआ था यहीं इसी सदन में––कैटिल ट्रेस पास ऐक्ट। उसमें यह संशोधन हुआ है कि जो आवारा चौपाये कहीं पकड़े जायं और उनका कोई रखवाला हो, अटेंडेंट शब्द के लिये रखवाला रखा गया है, तो उसके लिये १० रु० से २५० रुपये तक दंड रखा है। मैं यह समझता हूं कि इस पर हमारे अधिकारियों ने पूर्णतया ध्यान दिया तो यह साढ़े बीस लाख रुपये जो हमारे व्यय होते हैं यह भी बच जायेंगे। जिस समय मवेशियों को पौंड से निकाला जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि वैसे ही किसी को दे दिया जाय बल्कि इसकी एक चांच होनी चाहिये और जांच होने पर यह साबित हो कि उस आदमी की कोई साजिश है कि जिसके कारण यह आवारा छोड़ा गया था तो इस "कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट" के अनुसार उसको खास सजा मिलनी चाहिये। इस प्रकार से यदि इस पर अमल किया गया तो हमारी साढ़े बीस लाख रुपये की जो इतनी बड़ी संख्या है वह बच सकती है। इसके पश्चात् एक बड़ी प्रसन्नता मुझे यह है कि शरणार्थी महिलाओं और लड़कियों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है और उसमें उन्हें वह धंधे सिखलायेजाते हैं जिससे कि वह कमाकर अपनी गुजर कर सकें और इधर उधर उनका जीवन नष्ट न हो। यह एक अच्छी बात

[श्री श्रीचन्द]

हमारी सरकार ने की है। इसी प्रकार से जितने पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थी थे उनके बच्चों को शिक्षा देने का भी बड़ा भारी प्रबन्ध किया गया है। एक बात मुझे जरा दुख से कहनी पड़ती है कि विधवाश्रम और अनाथालयों के लिये इसमें बहुत कम रुपया दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय आगामी बजट में इस रकम को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। अन्त में मैं आपसे बताऊं कि स्वातन्त्र्य दिवस पर हमें प्रायः यह देखने में आता है कि झंडियों और इसी प्रकार की चीजों में यह सब रुपया नष्ट हो जाता है। मैं झंडियों और बत्तियों में इस प्रकार से रुपया नष्ट करने में सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूँ कि यह रुपया किसी और औद्योगिक काम में लाय जाय तो अच्छा है क्योंकि यह एक लाख रुपया बेकार नष्ट हो जाता है।

स्पेशल कमीशन आफ इन्क्वायरी जिसके लिये ३३ लाख रुपया रखा गया है, इसके संबंध में मैं कुछ निवेदन कर दूं। प्रायः यह देखने में आता है कि इस प्रकार के कमीशनों पर व्यर्थ धन नष्ट किया जाता है। सी प्रकार का एक कमीशन तीसरे वर्ष अमेरिका गया था और लाखों रुपया उस पर नष्ट हुआ और रिपोर्ट उसमें यह दी कि हम को ट्रैक्टर इत्यादि के अनुसार खेती करना चाहिये। ऐसे कमीशनों की रिपोर्ट किसी प्रकार हमारे वर्तमान समय के वातावरण के अनुसार नहीं होती। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी हमारी स्थिति है उसी के अनुसार यह सब चीजें होनी चाहिये। यदि इसके विरुद्ध कोई बात होती है जैसा कि मैंने अभी एक कमीशन का जिक्र किया तो वह हमारे लिये हानिकर सिद्ध होगी। एक तो हमारी जनता का व्यर्थ में रुपया नष्ट होता है और दूसरे गलत बातें जो हमारे प्रदेश की परिस्थिति के विपरीत हैं उनको उनकी रिपोर्टों द्वारा लादने का प्रयत्न किया जाता है और इसमें हमारे विभागों को भी बड़ी कठिनाई होती है। वह भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम अपने देश के वातावरण के अनुसार चलें या रिपोर्ट के अनुसार चलें। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में कुछ ऐसे नियम बनाये जायं जिसे अपने देश की परिस्थित देख कर रिपोर्ट करें और कुछ आदेश पहले से देने चाहिये जिससे हमारा बेकार रुपया नष्ट न हो।

एक बात और मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सामने रख देना चाहता हूं। और भी कई मदें इसमें हैं जिससे उनको कार्यान्वित करने पर जनता को उत्साह मिलेगा। सड़कों के बारे में भी कुछ रुपया है। सड़कों की उन्नति प्रायः दिन पर दिन होती जा रही है। लेकिन ऐसी सड़कों पर रुपया लगाना चाहिये जो देहात में हैं। ६० लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया गया है। मैं निवेदन कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह रुपया प्राइमरी स्कलों के लिये रखना चाहिये और यदि वेतन के संबंध में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यह रुपया व्यय करें तो पहले उनको मिलना चाहिये जिनका वेतन रुका हुआ है। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे खेद है कि इस अनुदान का समय लगभग समाप्त होने को है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—दूसरे में मौका दे दीजियेगा जो लोग रह गये हैं।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष जी, श्रीमन्, अभी मेरे भाई श्री श्रीचन्द जी ने एक नयी बात बतलाई। एक लाख रुपया जो केवल कुछ ही समय के लिये पाम्प ऐंड शो पर खर्च किया जाता है वह इस अनुदान में रखा गया है। उनका जो सुझाव है वह मुझको बहुत पसन्द आया है। और मैं उनका समर्थन करती हूं। अगर हम दो घड़ी के बनाव टीप टल्लो को हटाकर इस धन को किसी दूसरे कार्य में खर्च कर सकें तो मैं सोचती हूं कि ज्यादा उपयोगी होगा।

मेरी समझ में यहाँ पर यही आता कि एक तरफ तो कुछ घड़ी के बनाव और चटक मटक में एक लाख रुपया खर्च किया जाता है लेकिन दूसरी ओर ऐसी अनुदान जो महत्वपूर्ण कही जा सकती है जैसे महिला सहायक संघ के लिये गत वर्ष रक्खी गई थी और इस वर्ष वह काट दी गई तो यह कटौती किस प्रकार महत्वपूर्ण कही जा सकती है। अब इसके लिये आपसे आगामी वर्ष के लिये मैं प्रार्थना करूंगी कि महिलाओं का प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझ कर, जिनकी जनसंख्या आधे से अधिक है, अधिक से अधिक अनुदान में रुपया उनके उत्थान के लिये रक्खा जाय। उनके उत्थान का प्रश्न आप देश का उत्थान समझें। अगर ऐसा किया जायगा तो यह चीज हमारे प्रदेश के लिये और इस राज्य संघ के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं यहाँ पर एक सुझाव "काटेज इंडस्ट्रीज" के संबंध में भी देना चाहती हूं। बजट में विधवा आश्रम के लिये जो ५० हजार की रकम रक्खी गई है वह बहुत ही कम है। इससे अधिक रुपया उसके लिये रक्खा जाना चाहिये था।

दूसरा सुझाव यह है कि विधवा आश्रम और यतीम बच्चे एक जगह रक्खे जायं और दोनों को मिला दिया जाय। इससे काटेज इंडस्ट्री में बहुत उपयोगी कार्य हो सकता है। उन बच्चों की शक्ति को एक उपयुक्त मात्रा में खर्च किया जा सकता है। जो विधवायें घरों से असंतुष्ट हो कर, जीवन से निराश हो कर घर से निकल आती हैं वहाँ पर वह बच्चों के संसर्ग में आकर, उनके सेवा कार्य से उनकी मनोभावना और मनोवृत्ति में तब्दीली कर सकती हैं और उनमें संतोष उत्पन्न हो सकता है और बच्चे भी जो माता पिता से बिछड़ जाते हैं वे भी उन विधवाओं से माँ का सा प्रेम और ममता प्राप्त कर सकेंगे। वहाँ पर तारकशी का कार्य जो बनारस का मशहूर कार्य है उसको प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरे कढ़ाई, बुनाई का कार्य भी वहाँ चालू किया जा सकता है। इसके करने से रुपये की भी प्राप्ति हो सकेगी और कार्य का भी संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा। मैं उद्योग मंत्री जी के सामने अपने यह सुझाव उपस्थित करती हूं। जय हिन्द।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन अनुदान के संबंध में कई सुझाव दिये गये हैं। इस वक्त तक मैंने जितनी बातें सुनीं उनमें कुछ तो ऐसी हैं जो विचारणीय हैं और उन पर गौर करने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर गौर करने में दिक्कत है। जैसे महिला सहायक संघ और विदूर कोम का अमलगमेशन। अगर एक में ही होता और एक ही अनुदान होता तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे जरा भी ऐतराज नहीं होता लेकिन इन दोनों के इन्स्टीट्यूशन अलग-अलग हैं। तो इनके आपस में तय करने की बात है। हम तो यह समझते हैं कि अगर अलग-अलग हैं और अलग-अलग वह इन्तजाम करना चाहते हैं तो हमको रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर वह दोनों आपस में मिलना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको महिला सहायक संघ के कार्यकर्ता जरूर सोचेंगे और यह उनके विचार करने की बात है। विचार करने के बाद वह तय करें तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

लोकल बाडीज को सहायता देने के संबंध में प्राइमरी एजूकेशन की काफी बात हमारे मित्र ने की। जो मौजूदा तरीका है कंट्रीब्यूशन आफ ग्रांट का वह तो उसी तरह से अभी चलेगा। मैंने सुल्तान आलम साहब की बात सुनी और मैं उनका बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने खुद ही सवाल उठाया और खुद ही उसका जवाब भी दे दिया और उन्होंने हमारे बोझ को हलका कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत की अलग-अलग क्या क्या पावर होनी चाहिये इस प्रश्न के संबंध में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमारे भाई गौतम जी ने हाल ही में कुछ बातों की बाबत बताया था कि यह प्रश्न अभी जेरे गौर है और विचार करने के बाद जो सरकार निर्णय करेगी उसके मुताबिक अमल किया जायगा। तो जब तक यह ठीक फैसला इस पर न हो जाय तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सहायता करना लाजिमी है क्योंकि उनका काम चलता नहीं है और माली दिक्कत हो जाने से सारा काम सफर

[श्री हुकुम सिंह]

करता हूं। इसका नतीजा यह होता है कि जनता को तकलीफ पहुंचती है। इस ख्याल से इसमें काफी रकम रखी गयी है उस वक्त तक उसी तरह से इमदाद करनी जरूरी है।

मैठाणी जी ने रिपयूजी वोमेन के बारे में कहा। मैंने इसमें इसका प्राविजन रखा है। मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि कि सदन का वक्त जाया होगा। हमारे मित्र इसको खुद पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां रिपयूजी वीमेन के लिये काफी काम किया जा रहा है। देहरादून में होम खुला हुआ है, चुनार में भी एक होम खुला हुआ है जहां पर उनको उद्योग धंधे का काम सिखाया जाता है। देहरादून का होम तो ऐसा है कि जो देखने से ताल्लुक रखता है। प्रदर्शनी में भी वहां से लड़किया आयी थीं और यहां पर काम भी उनका दिखाया गया था।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैंने देहरादून में जाकर देखा है कि उन्होंने काफी तरक्की की है। हां, वैसे यह मद ऐसी है कि उसमें जितना दिया जाय उतना कम है। लेकिन फिर भी इस बात की शिकायत नहीं हो सकती कि उनके बारे में कोई उद्योग नहीं किया गया है और कोई उद्योग नहीं किया जाता है।

वूलेन स्कीम के बारे में गढ़वाल में स्कीम चल रही है जिसको कि हमारे मित्र जानते हैं कि वहां पर कपड़ा बने और हम उनको तरक्की दें। जो लड़के वहां से सीखकर निकलते हैं उनके लिये हम चाहते है कि वह अपना उद्योग धंधा शुरू करें लेकिन दिक्कत यह है कि उनका दिमाग कैसे बदला जाय। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको तो नौकरी ही मिल जाय। वे अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मैठाणी साहब इसमें हमारी मदद करेगें और वहां से निकलने वाले लड़कों का संगठन बनावेंगें। फिर मुझे हुकुम दें और मैं उनकी सहायता करूंगा। उनको पूंजी भी ग्रांट और लोन के रूप में दूंगा हर माननीय सदस्य अपने अपने इलाके में कोशिश करें तो बहुत कुछ काम हो सकता है। पहाड़ पर तो हम नहीं जा सकते सांस के कारण लेकिन मैठाणी जी हमारी मदद करेगें तो हम उनके कृतज्ञ होंगे। हमारे मित्र को कुछ संस्थाओं में जो जनरल एजूकेशन की स्कीम रखी गयी है वह नहीं पसन्द आयी। उन्होंने यह समझा कि अगर उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमिडियेट का सार्टीफिकेट मिलेगा तो वे लड़के अपने को बहुत बड़ा समझेगे और उनका जी काम में नहीं लगेगा। ऐसा मेरा ख्याल नहीं है। उन लड़कों के दिल में एक उत्साह पैदा होगा और वे हमारे समाज के लिये उपयोगी साबित होंगे।

हमीरपुर के लिये मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आइन्दा मैं ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा कि मेरे मित्र वर्मा जी को कोई शिकायत रह जाय।

१ लाख जो इंडिपेडेंस डे के लिये रखा गया है उसके बारे में कुछ शिकायतें हुई। वह भी एक जरूरी खर्च है। वह गाँधी जयन्ती रिपबलिक डे और इंडिपेडेंस डे पर खर्च होता है। तो उत्साह मनाना भी जरूरी है। लिहाजा उस खर्च का गृज नहीं करना चाहिये।

इसलिये इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा और मैठाणी जी से भी कहूंगा कि वह अपना कटमोशन वापस लें। जो उनके सजेशन्स काबिले गौर है उन पर अवश्य गौर किया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्री जी जिन भावनाओं से इन सब बातों पर गौर किया है हम उनकी भावनाओं को कद्र करते हैं और यह भी आशा करते है कि वे हमारी बातों पर गौर करेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने विशेष कही थी उसके विषय

में कुछ नहीं कहा। हमारे बहुत से गरीब भाई होटलों और स्टेशनों मांगते फिरते हैं अगर उनको रिसैटिल करने की भी कोई स्कीम बना दी जाती तो बहुत अच्छा होता। विदेशियों और अमरीका वालों को बहुत सी बातें कही जाती हैं कि वे हमारी तारीफ करते हैं। पर इस विषय में क्या कहते हैं? इस काम को बहुत थोड़े खर्च में किया जा सकता है। अगर उनको एक जगह स्थापित करके छोटे-छोटे उद्योग शुरू कर दिये जायं तो उनका काम चल सकता है। यह मैंने नहीं कहा कि महिला सहायक संघ को और उन्हें मिला दिया जाय। मैंने यह कहा था कि अगर वह भी इस काम को लें जो कि बहुत सी विधवायें हैं तो बहुत अच्छा हो। जहाँ तक कोआपरेटिव वगैरह का सवाल है ऐसी बातें हो सकती हैं जैसे कि मिल प्राडक्स और इन उद्योग धन्धों में उत्पन्न चीजों का कंपेटीशन नहीं हो सकता। इसी कारण से कुटीर उद्योगों का उत्पादन आगे नहीं बढ़ पाता। जैसा कि पंच वर्षीय योजना में गवर्नमेंट की तरफ से यह लिखा हुआ है कि ऐसा करने की इच्छा भी है। देश को बहुत सी समस्यायें हैं। स्वायत्त शासन को जो रुपया दिया गया है यह समस्या अगर जल्दी हल कर दी जाय तो बहुत सी समस्यायें हल हो जायंगी। अगर उनके ऊपर जल्द ध्यान दिया जाय तो बहुत सी चीजें बहुत थोड़े खर्च में लोगों के सहयोग से पूरी हो जायेंगी। हमारे ख्याल से ऐसी बातों में देर लगाने की जरूरत नहीं है जो कि थोड़े ध्यान देने से पूरी हो सकती हैं। आज उद्योग मन्त्री महोदय, ने जिस भावना को प्रदर्शित किया है उनके प्रकाश को मैं केवल इतनी बातें कह कर अपने कटमोशन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटमोशन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८ लेखा शीर्षक ५७–विविध व्यय के अन्तर्गत ७,९४,३४,२०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४––लेखा शीर्षक ७२––औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष––इस ग्रांट के लिये कुछ समय कम रह गया है इसलिये कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले के लिये ७ मिनट तथा बाकी सदस्यों के लिये ५ मिनट का समय रहेगा।

श्री हुकुम सिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४––लेखा शीर्षक ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,१६,१०,००० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

इस अनुदान में ३ मदे हैं। एक तो यह कि सीमेंट फैक्टरी में जो काम आजकल हो रहा है और जिसे तीन चार महीनों में ही पूरा होना है उसके लिये ९० लाख रुपये की जरूरत है जिसकी तफसील इस लिटरेचर में दी हुई है। श्रीमन् की आज्ञा से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। ३६५० हजार रुपया प्लान्ट और मशीनरी के खरीदने के लिये रखा गया है। १९१० हजार रुपया मशीनरी के इरेक्शन और साइडिंग के लिये रखा गया है, बिल्डिंग रोड्स वगैरह के लिये २३३० हजार रुपया रखा गया है रोडवेज और मिकेनाइजेशन आफ क्वेरीज के लिये ५ लाख रुपया तथा सुपरवाइजरी स्टाफ के खर्चे के लिये १७० हजार रुपया और इलेक्ट्रोफिकेशन ड्रेनेज वगैरह के लिये ४,४०,००० रुपया रखा गया है।

इसके अलावा दूसरी मद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की है। उसके लिये ११० हजार रुपया पिछले वर्ष जिन मशीनों का आर्डर दिया गया था उनके पेमेन्ट के लिये रखा गया है।

तीसरी मद इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन की है। उसके लिये २५ लाख रुपया रखा गया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट १५ लाख रुपया देगी तथा १० लाख के अन्य लोगों के शेयर होंगे।

[श्री हुकुम सिंह]

अगर उन शेयरों की पूर्ति मे कसर रही तो सरकार उनको पूरा कर लेगी। इस के लिये १० लाख, कुल मिलाकर २५ लाख रुपया रखा गया है ।

इस अनुदान में यही तीन रकमें हैं, आशा है कि आप इसको मंजूर करेंगे ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोंदय, मैं अनुदान संख्या ४४ के मातहत एक रुपया कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ४४ के अन्तर्गत, १,१६,१०,००० रु० की मांग की गयी है और इस १,१६,१०,००० रु० की जो मांग की गयी है उसके अन्तर्गत मिर्जापुर में चलने वाला सीमेंट का कारखाना, सूक्ष्म यंत्र बनाने का काम और इंडस्ट्रिअल फाइनेंस कार्पोरेशन बनाना, ये तीन काम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के शब्दों में यह रुपया इसलिये मांगा गया है कि इस सूबे को एक चमन बनाया जाय। मझे डर है कि माननीय उद्योग मंत्री जी यह रुपया चमन बनाने के लिये मांग कर कहीं यह रुपया इसलिये न रखें कि इस चमन में अधिक तर बड़े लोग जैसे चमन में टहलने फिरने, और घूमने के लिये जाते हैं और छोटे आदमियों को जो कि वहीं पर पेट में तौलिया बांधे पड़े रहते हैं, पड़े रहें, और वे उनको देखते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त अनुदान पंचवर्षीय योजना के मातहत है और पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक है कि उसको चालू रखने के लिये , उसकी सफलता के लिये आवश्यक है कि देश में अन्न की कमी न होने पावे। देश में अन्न की कमी न हो इसके लिये आवश्यक है कि सरकार का ध्यान अन्न पैदा करने वाली तरकीबों की तरफ जाय और सरकार छोटे-छोटे सिंचाई के साधन, नहरें, और खाद वगैरह के कारखाने खोल कर देश के अन्न उत्पादन को बढ़ावें। अपना देश और अपने देश में क्रास कर अपना प्रान्त मानसून पर ज्यादा भरोसा करता है। यदि मानसून ने धोखा दे दिया तो अपने देश को अन्न संकट से गुजरना आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये किसी भी सरकार को यह चाहिये कि अन्न संकट से देश को न गुजरने दे और वह देश के बजट को देश में अधिक उत्पादन के लिये, पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये , खेती के कामों में अधिक सुरक्षा करे। अध्यक्ष महोदय आज अपने देश की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें छोटे-छोटे उद्योग धंधों, कुटीर उद्योगों को विशेषता दी गयी है। इसका ध्यान इस अनुदान में जो माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने स्वीकृति के लिये रखा है, नहीं रखा गया है। सीमेंट का कारखाना मिर्जापुर में खोलने की बात की गयी है। सन् ५१ में माननीय केशवदेव मालवीय जी ने कहा था कि सन् ५२ में यह कारखाना तैयार हो जायगा, पारसाल बजट के अवसर पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सन् ५३ तक बन जायगा और इस बजट के औसर पर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह सन् ५४ जुलाई तक तैयार हो जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम ध्यान से देखें, सीमेंट के कारबार की तरफ अगर हमारा ध्यान जाय और देश में सीमेंट उत्पादन की तरफ ख्याल करें तो सन् ४८ में १५.५ लाख टन सीमेंट अपने देश में बना, सन् ५२ में ३५.४ लाख टन अपने देश में सीमेंट का उत्पादन हुआ और सन् ५३ में सितम्बर माह तक २७.४६ लाख टन सीमेंट का उत्पादन हमारे देश में हुआ। जब हम सीमेंट का उत्पादन जो कि इस वक्त हमारे देश में है तो हमको यह मानना पड़ेगा कि अपने देश में यह उद्योग विकास पर है और इस उद्योग के विकास को देखते हुये अपने प्रान्त के लिये आवश्यक नहीं था, बल्कि अपने देश की प्रगति के लिये भी आवश्यक नहीं था कि हमारा वह रुपया सीमेंट के लिये खर्च कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो उद्योग मंत्री जी को इस चीज की थी कि वे मिर्जापुर के बगल में ही पड़े हुए आजमगढ़ जिले में देखते, गाजीपुर जिले को देखते। कल एक माननीय सदस्य ने इस सदन का ध्यान आजमगढ़ में पड़े हुये रेत और ऊसर जमीन की तरफ लिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां ऊसर जमीन है उससे रेह मिलती है और रेह से नाइटर बन सकता है और उससे सोडियम कार-बोनेट वगैरह रसायनिक पदार्थ तैयार हो सकते हैं । सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होग कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को फारेन कंट्रीज के मुकाबले में जो घाटा उठाना पड़ रहा है और उससे बहुत

ही पीछे है उसका प्रमुख कारण यही है कि रासायनिक तत्व जो इसमें प्रयोग करने के लिये आवश्यक हैं उन्हें उपलब्ध नहीं होते। इसलिये आवश्यकता इस बात की थी कि छोटे-छोटे गृह-उद्योग खोले जायं और नाइटर के बनाने से देश में जो रासायनिक पदार्थों की कमी है और जो नये उद्योगों के लिये आवश्यक है और जिनको बाहर से मंगाना पड़ता था हम उनको पूरा कर सकते हैं और छोटे-छोटे उद्योग धंधे इस तरह से पनपा सकते हैं। लेकिन उसको न करके सीमेंट के कारखाने का काम पहले उठाया गया जिसकी अभी बिलकुल आवश्यकता नहीं थी।

इसके अतिरिक्त इसमें इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन बनाने की बात कही गयी है। उसका लक्ष्य यह रखा गया है कि उससे छोटे गृहो उद्योगों को मदद दी जायगी। इसमें ५० लाख रुपये का धन रखा गया है। इसमें से १५ लाख अपनी सरकार देगी, २५ लाख बैंक्स देंगे और ५ लाख अन्य व्यक्ति देंगे। अन्य व्यक्ति से मतलब साफ है। कौन होंगे ? पूंजीपति। बैंक्स किनके अधिकार में है? पूंजीपतियों के। दुनियां में अधिकतर बैंकों के मालिक उद्योगों पर अपना प्रभाव रखना चाहते हैं और आज वही हालत हिन्दुस्तान में भी है। हिन्दुस्तान में बैंकों के मालिक अधिकतर पूंजीपति हैं। इस प्रकार से पूंजीपति ३० लाख रुपये इस कार्पोरेशन में लगायेंगे। जब वे ३० लाख रुपया लगायेंगे तो वे उस पर डामिनेट भी करेंगे और डामिनेट करेंगे किसलिये? जिससे कि वे इन छोटे-छोटे उद्योगों पर प्रभाव रख सकें। बड़े उद्योगों को विशृंखलित करने के लिये वे कभी काटेज इंडस्ट्रीज की तरफ हाथ नहीं बढ़ायेगा। हां, मैं मानता हूं कि काटेज इंडस्ट्रीज में साबुन इंडस्ट्री भी है और यह भी काटेज इंडस्ट्री का अंग है। मैं मानता हूं कि फारेन पूंजी आधी सप्लाई साबुन की करता है। तो यह हो सकता है कि यह कार्पोरेशन बनेगा और उसके मालिक उसके पूंजीपति साबुन के उद्योगों को तरजीह दे सकें लेकिन इसकी सम्भावना नहीं है कि काटेज इंडस्ट्रीज में कम्बल उद्योग या और छोटे–छोटे उद्योग जो चलते हैं उनको वे तरजीह दें। इस लिये मैं इन शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान है और इस पर जो सरकार खर्च कर रही है हमारे यहां के उद्योग के काम को बढ़ाने के लिये वह बहुत बढ़िया है और उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसमें जो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन रखा गया है वह खास तौर से इस वास्ते रखा गया है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों को मदद करें। हमारे देश में जितनी बेकारी है उसके लिये सब से जरूरी बात है कि उद्योग धंधे बढ़ें। हमारे यहां जो मामूली बेकारी के अलावा पढ़े लिखे लोगों की बेकारी है उसमें हमारे यहां जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनसे काम नहीं चलेगा। मेरा यह विचार है और मैं यह समझता हूं कि छोटे उद्योग धंधों के चलाने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार कुछ कमीशन दूसरे देशों, जैसे इटली जापान स्विटजर लैंड, आदि जहाँ उद्योग धंधे छोटे–छोटे पैमाने पर चल रहे हैं और वे वहां पर बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं, वहां पर यह काटेज इन्डस्ट्रीज के नाम से हैं। तो कमीशन वहां जायं और जांचें कि कौन से ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनको हम अपने देश में चला सकते हैं और फिर उन उद्योग धंधों को अपने देश में चलावें। फिर इसके साथ ही साथ एक बड़ी भारी आवश्यकता यह है कि अगर छोटी छोटी चीजें तैयार भी हो जाती हैं तो उसकी बिक्री बड़ी परेशान करती है। बहुत से कारोबार इस वास्ते बैठ जाते हैं कि उनका माल बिकने नहीं पाता। इसलिये मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि एक अर्ध सरकारी कार्पोरेशन के तौर पर चाहे उसको कार्पोरेशन कहें या कोआपरेटिव के तौर पर हो, यहां एक संस्था कायम की जाय और उद्योग धंधों से जो माल तैयार होता है उस तैयार शुदा माल को वह बेचे। साथ ही वह यह भी नियन्त्रण कर दे कि जो माल बनाने वाले हों वह स्टैंडर्ड माल बनावें। अगर ऐसा किया जायगा तो उद्योग धंधे हमारे यहां पनपेंगे वर्ना नहीं पनप सकते हैं। यह इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन इसी वास्ते बनायी गयी हैं कि जो छोटे–छोटे उद्योग धंधे हैं वह फूले फलें। उनके फलने फलने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार का एक अर्ध-सरकारी चाहे कोई कार्पोरेशन हो या कोआपरेटिव तौर पर हो जो उनके माल को ले ले और फिर इस देश में या अन्य देशों में उनके लिये बाजार को ढूंढे और बेचें। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि माल स्टैंडर्ड हो। ऐसा न हो

[श्री रतनलाल जैन]

कि हमारे यहां माल ख़राब जावे और दूसरे देशों में बदनामी हो जैसा कि पिछले दिनों में हुआ है।

इसलिये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था कार्पोरेशन के तौर पर या जो भी उसका नाम हो, कायम करे और उससे हमारे यहां जो उद्योग धंधों का माल तैयार हो उसको ले और बेचे।

पहली बात जो मैंने कही थी वह भी बहुत जरूरी है कि एक योग्य कमीशन बनाया जाय और वह अन्य देशों में जा कर देखे कि कौन कौन से ऐसे उद्योग धंधे हैं जो हमारे इस देश में चलाये जा सकते हैं। वह उद्योग धंधे बड़े न हों बल्कि वह काटेज इन्डस्ट्रीज के तौर पर हों जिसमें कि दो चार हजार की छोटी छोटी मशीनें लगा कर एक दो आदमी मिल कर दो चार सौ रुपया मासिक कमाँ सकें। अगर यह हो गया तो हमारे यहां के पढ़े लिखों में जो इस क़िस्म की बेकारी है और जो निराशावादिता है वह जाती रहेगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक पढ़े लिखे आदमियों को रोजगार नहीं मिल सकता क्योंकि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जैसे खादी चमड़ा ये सब उन्हीं भाइयों के लिये हैं जो आज तक उन कामों में लगे हुये थे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग़रीब हैं उनके लिये यह सूट नहीं करता है। अगर आप जबरदस्ती लादना चाहेंगे तो वह नहीं लदेगा। मेरा आप से यही कहना है कि इस तरह से आप यहां अपने देश में उद्योग धंधों को राइज कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं जो आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया है उसके लिये बधाई देता हूं और बाद में अपने माननीय उद्योग मंत्री जी को जिन्होंने इतनी उपयोगी ग्रान्ट यहां प्रस्तुत की है उनको बधाई देता हूं। यह ग्रान्ट जो उन्होंने पेश की है उससे इस प्रदेश की एक मुख्य समस्या पूरी होगी। इसमें हमारे प्रदेश की इज्जत का भी सवाल है। सीमेंट की आज हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जब गांवों में घूमते हैं तो देखते हैं कि वहां किसान अन्न की बात नहीं करते हैं, कपड़े की बात नहीं करते हैं, बल्कि सीमेंट ही की बात करते हैं। आज कल हमारे गांवों में और शहरों में सबसे आवश्यक चीज जिसकी मांग की जाती है वह सीमेंट है। मुझे आशा है कि इस सीमेंट फैक्टरी के पूरी हो जाने के बाद हमारे गांवों और शहरों की जनता को बेचैनी सीमेंट की वजह से है, वह दूर हो जायगी और यही नहीं बल्कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे और खेती और किसानों के तमाम कार्य, कुएं आदि बनाने के जो होंगे, उनसे हमारा प्रदेश समृद्धशाली बनेगा। मैं अपने माननीय उद्योग मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं और यह कहता हूं कि एक उपयोगी ग्रांट जो आज सदन में उपस्थित हुआ है वह इस प्रदेश की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा करता है। आज प्रदेश की तमाम जनता इस तरफ मुंह बाये देख रही है।

जो कार्पोरेशन बनाया गया है उससे भी छोटे-छोटे उद्योग धंधे पनपेंगे। और फिर जो नयी-नयी योजनायें बनेंगी वे देश के लिये बहुत कल्याणकारी सिद्ध होंगी। इस प्रकार यह कार्पोरेशन इस प्रदेश की इज्जत बढ़ाने वाला होगा। मैं अपने माननीय मंत्री जी को बार-बार धन्यवाद इसलिये देता हूं कि अगर बहुत ही उपयोगी ग्रांट इस सदन में आया है तो मैं इसी को समझता हूं और यह बहुत ही आवश्यक है। यह कह कर मैं मंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उद्योग मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं इस अनुदान के लिये जो कि उद्योग-विकास की योजनाओं के लिये हमारी सरकार ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। वैसे तो जिस दिन से हमारे प्रान्त में हमारी सरकार की स्थापना हुई, उसी दिन से हमको यह पूर्ण विश्वास था कि हमारे देश में जो ग़रीबी है उसका मुख्य कारण एक यह है कि हमारे देश से शिल्पकारी का विनाश हो चुका है। हमारे विचार

थे कि स्वराज्य होने पर हमारी शिल्पकारी को प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु आज देखने में यह आता है कि जो छोटे-छोटे उद्योगधंधे काश्तकार और मजदूर मिल कर अपने ग्रामों में कर सकते थे उन छोटे-छोटे उद्योग धंधों को नाम मात्र के लिये भी प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और जो बड़े-बड़े मिल हैं, जो बड़े-बड़े कारखाने हैं और जो नये-नये कारखाने और मशीनें लगायी जा रही हैं उनमें सरमायादारों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस से देश की बेकारी कदापि नहीं दूर हो सकती। हमारे बापू ने सन् १९३४ में ग्राम उद्योग योजना के द्वारा एक पाठ पढ़ाया था कि अगर इस देश को समृद्धिशाली बनाना चाहते हो, तो अपने हाथ का कता कपड़ा पहनो, स्वयं खेत में परिश्रम करो ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। परन्तु आज हम देखते हैं कि यदि हम एक खादी के व्यवसाय को लें, जिसके लिये सभी पार्टियों ने अपनी जान की बाजी लगायी थी, और इस उद्योग को अधिक से अधिक उठाने के लिये समय समय पर यत्न किया था, आज उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं है। मैं आज अपने उद्योग मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रांत की पुलिस की वर्दी, जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है, वह खादी की नहीं बन सकती है ? यदि इस वर्दी के लिये या सरकारी कर्मचारियों के लिये एक अधिनियम बना दिया जाय और उन्हें वाध्य किया जाय कि हाथ की बनी हुई चीजों का ही हर एक सरकारी कर्मचारी को प्रयोग करना पड़ेगा, तो इस प्रान्त में जितने अनपढ़ लोग बेकार हैं कम से कम उन्हें रोजी मिल जायगी, और उस खादी को धारण करने वाला हमें इसमें अपना स्वाभिमान समझेगा कि मैं अपने भाइयों के हाथ का बना हुआ कपड़ा पहनता हूं। इससे उसके अन्दर स्वाभिमान आयेगा और देश की लाज रखने के लिये वे हर समय तैयार रहेंगे। परन्तु आज हम देखते हैं कि सारा उल्टा नक्शा होता जा रहा है। ऐसे उद्योग से होता क्या है ? इससे देश की बेकारी कदापि नहीं दूर होगी। मैं आज अपनी सरकार से मांग करूंगा कि देश की बेकारी दूर करने के लिये जिस अनुदान में २० करोड़ रुपया होना चाहिये था उसमें आज केवल २ करोड़ रुपया मांगा जा रहा है। उसमें से कुछ मिलों को गया, कुछ बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरियों को गया मगर छोटे-छोटे उद्योग धंधों की ओर किसी का ध्यान है ही नहीं। मैं अपने माननीय उद्योग मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामों में ग़रीब मजदूर रहते हैं, जो किसान ६ महीने काम करते हैं और उसके बाद वे बेकार रहते हैं, उन लोगों में छोटे-छोटे धंधे फैलायें ताकि उनकी बेकारी दूर हो। सन् १९३७ की कांग्रेस मिनिस्ट्री में एक कागज का उद्योग चला था कि हाथ के द्वारा बनाया जाय। वह अब समाप्त कर दिया गया। वह काग़ज़ हाथ का क्यों नहीं बनाया जाता ? आज आप खादी को नाम मात्र के लिये भी प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। कहीं आप मिल का सत लाते हैं, कहीं खड्डी लाते हैं। क्या हाथ के कते हुये सूत से काम नहीं चल सकता ? लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष--अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं मगर साथ ही साथ कुछ सुझाव के रूप में औद्योगिक विकास के विषय पर इस सदन के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं और आप के द्वारा माननीय मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं। आशा है मंत्री महोदय उन बातों पर ध्यान देंगे।

पहला सुझाव जो मुझे प्रस्तुत करना है वह यह है कि जो डेवलपमेंट हमारे देश में उद्योगों में हो रहा है वह बजाय लापसाइडेड होने के यूनिफार्म होना चाहिये। कहने का मेरा मतलब यह है कि जितना भी विकास हो रहा है वह बड़े-बड़े शहरों में ही हुआ करता है। सारे देश की मिसाल लें तो कलकत्ता, बम्बई या देहली में और अगर हमारे प्रान्त में देखें तो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद ऐसे बड़े-बड़े शहरों में ही हुआ करता है। मेरी मंशा यह है कि सारे प्रान्त में हर एक जगहों में इसका विकास होना चाहिये, यूनिफार्म डेवलपमेंट होना चाहिये। इस बारे में एक योजना जो हमारे डाक्टर राधाकमल मुकर्जी, एकोनामिस्ट, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, अब अवकाश प्राप्त कर लिया है, उनकी थी। उसको रर्बराइजेशन कहते हैं जिसका

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

मतलब यह था कि ग्रामों और नगरों की जनता का एक समन्वय ऐसा किया जाय कि शहरों के अन्दर गांव हों और गांवों के अन्दर शहर हों। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वे सारे इलाके में फैली हुई होनी चाहिये न कि एक ही जगह में। जैसे कि लखनऊ में ही सारी युनिवर्सिटियां, सारे अस्पताल व सारे फैक्ट्री के होने की क्या जरुरत है ? इनको दूर-दूर तक फैलाना चाहिये ताकि सारे इलाके का उत्थान हो। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर न करे कि कभी कोई लड़ाई हो जाय तो उससे हमारे देश के लिये एक बड़ी आपत्तिजनक कठिनाई उपस्थित हो सकती हैं। अगर कलकत्ता, बम्बई और देहली पैरेलाइज हो जाय तो सारा हिन्दुस्तान पैरेलाइज हो सकता है। अगर हमारे देश में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज सारे इलाक़े में फैली हुई हों तो यह ख़तरा नहीं रहेगा। मैं आप का ध्यान लन्दन की ओर आकर्षित करूंगा। लन्दन के उन इलाकों में जहां बम्बार्डमेंट हुआ था वहां की सरकार भी अब यह पालिसी ख़त्म कर रही है कि सब इंडस्ट्रीज एक ही जगह हों। वह यह कह रही है कि जहां बम्बार्डमेंट हुआ था वहां की फैक्टरियों और लेबर को हटा कर दूर-दूर इलाकों में भेज रही है। रूस में भी इंडस्ट्रीज के बारे में ररबराइजेशन की स्कीम है और असल में यह स्कीम रूस से ही ली गई है। रूस का जितना भी उद्योग विकास हुआ उन्होंने इंडस्ट्रीज को उसी जगह खोला जहां-जहां उनके लिये मैटिरियल पैदा होता था और जहां लेबर ज्यादा होती थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि बजाय लखनऊ के हम गोरखपुर या बस्ती में, जहां से लेबर हट कर इन शहरों में आती है, अगर इंडस्ट्री का विकास करें तो उन जगहों का भी विकास हो सकता है और स्लम्प एरिया, इन्फ़ैन्ट मार्टेलिटी, टी० बी० या और इसी तरह की कई प्रकार की तकलीफ़ों की जो प्राब्लम लेबर के एक जगह एकट्ठा हो जाने से होती है और जो ट्रेड यूनियन वग़ैरह बनते हैं, कैपिटिस्ट सोसायटी एक तरफ और मजदूरों का तबका एक तरफ हो जाता है, ये कई मुसीबतें जो हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और साथ ही शहरों में आ कर मजदूर अगर अनइम्पलायड रहता है तो उसके दिमाग़ में टेंशन कहीं ज्यादा रहता है बजाय इसके कि अगर वह ग्राम में रहे। अगर गांव में है तो उसके दिमाग़ अनइम्पलायमेंट की तकलीफ महसूस नहीं होती है और वह दूसरे जरिये से अपनी रोज़ी कमा लेता है। मेरा सबसे पहला सजेशन तो यह है कि हमारे यहां जितना विकास हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं वह शहरों में ही नहीं रहें बल्कि दूर-दूर इलाक़ों में और गांवों में भी ले जाई जाय जिससे सारे प्रदेश की उन्नति होगी न कि थोड़े से शहरों की जो कि आलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हैं उनको ही और भी क्राउडेड बनाया जाय।

इसके अलावा काटेज इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में डिमार्केशन होना चाहिये। जब तक आप काटेज इंडस्ट्रीज को मिल के कम्पटीशन में रखेंगे तब तक आपकी काटेज इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती हैं। डिमार्केशन से मेरा मतलब यह है कि जो काटेज इंडस्ट्रीज चीजें बनाती हैं वह मिल न बनायें और मिल बनाती हैं वह काटेज इंडस्ट्रीज न बनायें। जैसे मोटा कपड़ा है वह काटेज इंडस्ट्रीज ही बनायें या जैसे बारीक कपडा है वह मिल ही बनायें। इसके लिये एक कमेटी बना दी जाय जो तय करे कि कौन कौन सी चीजें काटेज इंडस्ट्रीज बनायेंगी और कौन कौन सी चीजें मिल्स बनायेंगी। तभी काटेज इंडस्ट्रीज चल सकती हैं। यह चीज जो पैदा होगी इसमें अगर सैंट्रल गवर्नमेंट की मदद ली जाने की जरूरत हो तो ली जाय। तभी हमारी टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज , लेदर इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह चल सकती हैं।

श्री महीलाल (ज़िला मुरादाबाद)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ५ दिन तक लगातार उठने बैठने के बाद आपने प्रथम बार बोलने का अवसर प्रदान किया और आप के द्वारा मैं मंत्री महोदय को भी इस अनुदान को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। वह इसलिये कि इस अनुदान में खासतौर से मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी का ज़िक्र है और इसके लिये एक विशेष धनराशि की व्यवस्था है । इसमें

कोई सन्देह नहीं है कि हमारी सरकार के लगातार प्रयत्नों का कारण देहातों में कुछ थोड़ा बहुत सुधार हुआ है जिसके कारण देहात के रहने वालों की आर्थिक दशा भी कुछ अच्छी हुई है और वे आज अपनी कृषि की उन्नति के लिये सिंचाई के कुंए बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्राम में सीमेंट की विशेषरूप से आवश्यकता हो गई है। जैसा कि मेरे भाई विकल जी ने कहा कि जब हम देहात में पहुंचते हैं तो हमारे सामने सीमेंट का प्रश्न आता है।

मैं समझता हूं कि मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी जो जुलाई में पूरी होने जा रही है अब से वर्षों पहले पूरी हो जानी चाहिये थी। लेकिन खैर, सरकार अपने इरादे में जब भी सफल हो सके तभी अच्छा है जिससे प्रान्त निवासी लाभ उठा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता समझता हूँ कि सरकार ने सन् ४६ के बाद उत्तरोत्तर अपने प्रान्त में उन्नति के कार्य किये हैं। जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कि हमारे गांवों में कुछ चेतना मालूम होती है और कुछ आर्थिक सुधार भी मालूम होता है परन्तु फिर भी जनता में , चाहे शहर में जाइये, चाहे गांव में जाइये, एक असंतोष मालूम होता है और सभी वर्ग असंतोष प्रकट करते हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि आज समाज चाहता है कि आर्थिक विषमता शीघ्र मिट जाय और इसके मिटाने के लिये, जैसा कि और लोगों ने कहा है कि घरेलू उद्योग धंधों को विशेष रूप से उन्नति देनी होगी और हमें मशीनरी जो दूसरे देशों की तरह हमारे यहां बढ़ती चली जा रही है उनको घरेलू उद्योग धंधों के मुकाबले में पीछे रखना होगा। मंत्री महोदय ने कारपोरेशन का जिक्र किया जिसके जरिये विकास किया जायगा उसके लिये हमारी सरकार और विशेषरूप से हमारे मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। सम्भव है कि इस प्रकार से हम आर्थिक विषमता को दूर कर सकें। आज समाज आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये बैचेन हो रहा है। आज हमें अपने देश के बुनकरों की समस्या को हल करना है। अपने देश के छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना है और बड़े कारखानों को पीछे छोड़ना है। हमें गृह उद्योग को संरक्षण देना चाहिये। जैसा कि मद्रास गवर्नमेंट ने करघा उद्योग के लिये, साड़ियों के लिये संरक्षण दे रखा है, इसी तरह से हमारी सरकार को भी करघों की उन्नति करने के लिये कुछ संरक्षण देना पड़ेगा, तभी हमारे प्रान्त के रहने वाले बुनकरों की समस्या हल हो सकेगी। पुनः मैं इसी तरह की दूसरी जो घरेलू दस्तकारियां हैं उन सब के लिये माननीय उद्योग मंत्री से यह आशा करता हूं कि उनसे सम्बन्धित कार्य में और सरकार के कार्य में लगातार उन्नति होती रहेगी और हमारी सरकार का कार्य विशेष रूप से मशीनों की तरफ से हट कर गृह उद्योग की तरफ लगेगा।

श्री हुकुम सिंह —माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपने मित्र रामेश्वर प्रसाद जी की बातें बड़े ध्यान से सूनीं। मैं उनसे जरूर इस बात से सहमत हूं कि अन्न की उपज के बढ़ाने में सब से पहले कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि खाद्य-पदार्थों की सब से बड़ी जरूरत होती है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कल इरिगेशन विभाग की अनदान, जिसमें करोड़ों रुपया मांगा गया था इस सदन ने सहर्ष स्वीकार की थी। हमारे मित्र का यह ख़याल है कि 'ग्रो मोर फूड' को छोड़ कर बक़िया सब चीजें ख़त्म कर दी जायं और जितनी रक़म हो सके सब उसी पर लगा दी जाय। मैं इस ख़याल से इत्तफाक नहीं करता, यह मेरी बदक़िस्मती है। जहां तक 'ग्रो मोर फूड' के लिये करोड़ों रुपया इस सदन ने मंजर किया है उसके साथ-साथ सीमेंट की भी बहुत जरूरत है। हमारे मित्र भले ही यहां कबूल न करें, लेकिन जिलों से हम भी परिचित हैं और उनके साथी बहुत से इस सदन में हैं, कमला सिंह और मैथानी साहब मेरी जरूर मदद करेंगे कि क्या वह नहीं समझते कि जिले में सीमेंट की दिक्क़त है ? वह सर हिलाते हैं कि है। तो मैं यह कहता हूं कि जब जिलों में सीमेंट की दिक्क़त और परेशानी है तो सीमेंट का प्रबन्ध न किया जाय, तब उस वक्त रामेश्वर लाल जी कहेंगे कि यह सरकार बड़ी निकम्मी है। ग़रीबों की जरूरियात को पूरा करने की कभी चेष्टा नहीं करती। मैं ऐसा मौक़ा अपने मित्र को देना नहीं चाहता। सीमेंट इतना आवश्यक है कि भले ही वह खाद्य-पदार्थों के दो दर्जे बाद हो, लेकिन जरूरत उसकी है। इस वक्त हमारे

[श्री हुकुम सिंह]

सूबे में इसकी बड़ी कमी है। हमारे सूबे में कोई फैक्टरी भी सीमेंट की नहीं है। हमारे मित्र का यह भी ख़याल है कि सिंचाई के छोटे-छोटे साधन बढ़ाये जायं, यानी कुयें खोदे जायं। वह भी बिना सीमेंट के तैयार नहीं हो सकते। अगर कच्चे कुयें खोदे जायं तो वह काम नहीं देंगे, लिहाजा कुवों के लिये भी सीमेंट की जरूरत होगी। तब भी सीमेंट वहां से आयेगा। इसलिये यह मांग की गयी है कि सीमेंट फ़ैक्टरी काफी तादाद में सीमेंट बनायेगी और वहां से जो सीमेंट तैयार होगा उससे रिहेंड डैम बनेगा और उससे सिंचाई होगी। सिंचाई में देवरिया को सब से पहले पानी मिलेगा। मेरे मित्र कहते हैं, इसे बन्द कर दो। मैं समझा नहीं कि उनका क्या मंशा है। कई करोड़ रुपया हम उस पर खर्च कर चुके हैं, ३ करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो चुका है और यह आखिरी क़िस्त ९० लाख रुपये की है। इसको अगर बन्द कर दें तो वह रुपया सब बेकार हो जायगा जो अब तक उसमें लग चुका है। अगर यह उनकी मंशा है तो मैं मजबूर हूं कि मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता।

मैं सदन से यह दरख्वास्त करूंगा कि इस राय को जो श्री रामेश्वर प्रसाद ने जाहिर की है आप कबूल न करें, बल्कि मेरी दरख्वास्त को सदन. कबूल करे।

फाइनेंस कारपोरेशन के बारे में भी आप को बड़ी शिकायत है कि पूंजीपति के हाथ में जाता है। उसमें रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट का ५० परसेंट शेयर रहेगा और तजुर्बा यह बताता है कि और जो लोग हिस्सेदार होंगे उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उसमें शरीक नहीं होंगी, वह भी रकम स्टेट सरकार लेगी। बहुमत हमारा होगा। सरकार का बहुमत होगा और पूंजीपति का बोलबाला हो यह बात मेरी समझ में आती नहीं। पूरा कंट्रोल सरकार का उसमें होगा। तो महज , नुक्ताचीनी की गरज से, नुक्ताचीनी करने में न तो सदन को कोई लाभ होता है और न किसी और को कोई लाभ होता है। यह कहा गया है कि यह कारपोरेशन निहायत आवश्यक था, चारों तरफ से अपने देश की पुकार थी, छोटे-छोटे उद्योग धंधों को पूंजी न मिलने के कारण उनके रास्ते में रुकावटें थीं, उनको दिक्कतें थीं और छोटे-छोटे उद्योग धंधों का विकास रुका हुआ था। आम पुकार थी सुबे की और केंद्रीय सरकार ने भी सूझाव दिया तथा तमाम और स्टेट ने भी ऐसे कारपोरेशन खोले हैं, लिहाजा इस सरकार ने भी जरूरी समझ कर इस क़दम को उठाया। इसमें किसी पूंजीवाद को फायदा पहुंचाना सरकार को मंजूर नहीं है,बल्कि आम ग़रीबों को और मध्यम श्रेणी के लोगों को जो कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे करना चाहते थे, पर पूंजी के बिना वह मजबूर थे, नहीं कर सकते थे, उनको सहायता पहुंचाना है। हमारे मित्र विष्ट साहब ने कहा कि बड़ी-बड़ी फैक्टरीज को एक जगह पर कंसेंट्रेट न किया जाय। इसी वजह से मैंने सीमेंट फैक्टरी को मिर्जापुर में रखा, कानपुर और लखनऊ से अलग बहुत दूर, और मिर्जापुर में भी नहीं, वहां से भी ६०-७० मील चल कर एक मुकाम है, पहाड़ और जंगल के बीच में, वहां वह फैक्टरी है। प्रेसीशन फैक्टरी का मामला तो ऐसा है कि यह प्रेसीशन लब्ज ही इतना बारीक है कि इसका यहां लखनऊ में होना बहुत जरूरी था। वहां जो मीटर बनता है वाटर का उसका खर्चा म्युनिसिपैलिटियों में ज्यादा है और अगर एक छोटी-मोटी फैक्टरी लखनऊ में भी कर दी तो कोई ऐसी काबिले एतराज बात नहीं हुई। हमारे भाई हरि सिंह जी ने भी कहा। उनकी बात भी मैंने सूनी और महो लाल जी की भी बात सुनी। उन्हें तो शायद जनरल डिस्कशन में बोलने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने उस कमी को यहां इस अनुदान में पूरा कर दिया और सब जनरल डिस्कशन की बात कह डालीं। २७ नवम्बर, की ग्रान्ट उद्योग धंधे की थी, उस पर हरि सिंह भाई नहीं बोले, आ कर बोलें वह सीमेंट फैक्टरी पर । मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं ? खामोशी अख्तियार करता हूं और मुझे आशा है कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ग़ौर से उद्योग मंत्री जी की बात सूनी और सदन के माननीय सदस्यों की भी। उद्योग मंत्री जी की विशेष कृपा देवरिया जिले की तरफ है । आप ने अपने भाषण के दौरान में यह फरमाया कि मिर्जापुर में सीमेंट का कारखाना

खुलने के बाद देवरिया जिले को विशेष सीमेंट दिया जायगा, उनकी विशेष व्यवस्था दी जायगी। मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान अपने जिले के साथ-साथ आस-पास के जिलों की तरफ भी ले जाना चाहूंगा जहां कि एक दूसरे प्रकार के सीमेंट की आवश्यकता है और हम उसे अपने शब्दों में फूस और घास कहा करते हैं। माननीय उद्योग-मंत्री जी, और माननीय उद्योग मंत्री जी की सरकार उस घास फूस वाली सीमेंट की व्यवस्था उन जिलों के लिये आज तक इतना चिल्लाने के बावजूद भी नहीं कर पायी, तो मुझे विश्वास नहीं है कि मिर्जापुर में फैक्टरी खुलने के बाद सीमेंट का कारखाना जब अगली जुलाई से चलने लगेगा तो हमें सीमेंट देने के लिये माननीय उद्योग मंत्री जी की विशेष कृपा होगी, यह मुझे विश्वास नहीं है। जहां तक माननीय सदस्यों ने यह आवाज लगायी कि जब वह देहातों में जाते हैं तो तो लोग उनसे रोटी कपड़े की मांग नहीं करते हैं, बल्कि सीमेंट मांगते हैं, तो मैं नहीं समझता कि माननीय विकल जी किस जिले के हैं? यह तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि उधर के सारे जिले ऐसे हैं जहां कि देहातों में जाने से असलियत सामने आती है और वह असलियत यह है कि वह भूखे प्यासे हैं उनके पास कपड़ा नहीं है लोग तबाह हैं और खासकर गांवों की अधिकतर जनता जो ७५ फीसदी के क़रीब है, सीमेंट की इच्छा रहती है, बल्कि रोटी की इच्छा रखती है, पानी की इच्छा रखती है। मैं तो समझा हूं और समझने के लिये मजबूर हूं कि चूंकि माननीय सदस्य माननीय मंत्री महोदय के आसपास और जिले के अधिकारियों के पास विशेष पहुंच रखने की क्षमता रखते हैं इसलिये देहात के वह आदमी जो ७५ फीसदी आदमियों में से ऊंचे स्तर के हैं अपनी जरूरत के लिये, सीमेंट के लिये पहुंचते हैं। क्योंकि मैं भी सदन का मेम्बर हूं। कुछ लोग मेरे पास भी सीमेंट के लिये आते हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि कारपोरेशन में ज्यादा हाथ सरकार का रहेगा। सरकार उसको अपने कब्जे में रखेगी और आधे से ज्यादा शेअर सरकार के हैं। अगर आप अनुदान संख्या ४४ देखें तो उसमें साफ है कि "बजट वर्ष में शेअर की पूंजी केवल ५० लाख होगी जिनमें १५ लाख रु० राज्य सरकार देगी और १० लाख रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया तथा २० लाख रुपया अनुसूचित बैंक, इंश्योरेंस कम्पनियां इत्यादि तथा ५ लाख रुपया अन्य पार्टियां देंगी।" मैं और मेरा दिमाग सिर्फ यही कबल करता है कि १५ लाख रुपया इसमें सरकार का है जब कि माननीय मंत्री जी आधे से ज्यादा रुपया सरकार का बतलाते हैं।

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस कारपोरेशन के सम्बन्ध में जो अनुदान है अगर उसको हम पढ़ते हैं तो इसमें दिया है कि १००–१०० रु० का एक-एक शेअर है। आप को याद होगा कि दसगुना वसूल करने के लिये सरकार ने जो व्यवस्था की थी, जो धन देश के किसानों से लेना चाहती थी वह एक डेढ़ अरब से अधिक रुपया था। यह तीन करोड़ रुपया पंचवर्षीय योजना में.....

श्री महीलाल—मैं चाहता हूं कि १० मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह तो खत्म भी हो रहा है।

श्री महीलाल—इसके अलावा और कार्यों के लिये।

श्री अध्यक्ष—कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि एक-एक शेयर सौ-सौ रुपये का है। माननीय उद्योग मंत्री जी ने यह उचित नहीं समझा कि इसको प्रोपैगेट किया जाय। अगर यह शेयर जिलों के अधिकारियों की सहायता से सूबे की जनता द्वारा खरीदे जायं तो अच्छा होता। वह अपनी मर्जी से सरकार के सुझावों पर उसको चला कर इस सुबे का उत्थान कर सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि इसमें अधिकतर शेयर कैपिटलिस्ट क्लास के हैं। इम्पीरियल बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी के अलावा एक पांच लाख के शेयर हैं। मैं नहीं समझता

[श्री रामेश्वर लाल]

कि वह पार्टी कौन सी है । शायद वह पार्टी भी किसी टाटा, बिरला की हों गी। तो इसमें उन्हीं का प्रभुत्व होगा और उन्हीं के प्रभुत्व में स्थापित यह कारपोरेशन देश में छोटे उद्योग धंधों की उन्नति करेगी । इसको मेरे माननीय उद्योग मंत्री ही समझ सकते हैं, मेरी समझ में यह नहीं आता । इस लिए मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को इन बातों के साथ सामर्थन करता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैं मजबूर हूं कि माननीय उद्योग मंत्री के इस आश्वासन पर उसको वापस न लूं । हो सकता है कारपोरेशन बन जाय और बनने के बाद अपने प्रान्त को कुछ लाभ हो, तब सोचा भी जा सकता है। अभी वह गर्भ में है। पता नहीं कब निकलेगा। इसलिये मैं इस पर अडिग हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी के लागत के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,१६,१०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी कार्य-क्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष—अब यह कार्य समाप्त हुआ, लेकिन सबेरे श्री बालेन्दु शाह जी ने एक सूझाव दिया था कि २ तारीख को कार्य न हो। इन अनुदानों के लिये मत लेने का कार्य न हो, इस सम्बन्ध में मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि टाइम लिमिट जो ५ बजे के बाद कराई जाती है, मुझे १५९ दफा के अन्तर्गत अधिकार है वोटिंग आफ डिमांड्स का कार्य समाप्त करने के लिये रूल की परवाह थोड़ी बहुत न करूं । इसलिये ५ बजे के बाद भी विचार करने के लिये थोड़े समय की इजाजत मैं स्वयं दे सकता हूं। इस सम्बन्ध में एक नियम यह भी सूनाये देता हूं। नियम १५३ इस प्रकार है :—

"The voting of demands for grants shall take place on such days (not exceeding twenty) before 10th of May every year as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot for the purpose."

[अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो बीस से अधिक नहीं होंगे) प्रत्येक वर्ष १० मई से पूर्व मत किये जायंगे, जिनका इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सभा के नेता से परामर्श कर के बंटन करें।]

चूंकि यहां दिन का प्रश्न है , समय के बारे में नहीं इसलिये लीडर आफ दि हाउस से सलाह ले कर मुझ तय करना होगा, वोटिंग के ऊपर तय नहीं होगा। मैं तय करूंगा लीडर आफ दि हाउस से सलाह ले कर कि कौन से दिन निश्चित किये जायं। इसलिये मैं माननीय उद्योग मंत्री से पूछूंगा, क्योंकि सबेरे इस तरफ मैंने उनको इशारा भी किया था कि वह बात चीत कर लें, कि उनकी इस सम्बन्ध में क्या राय है ।

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—तारीख २, ४ और ५ के लिये ५ अनुदानें निश्चित हैं। तय यह हुआ है कि पांचों अनुदानें ४, ५ तारीख में कर ली जायं तो २ तारीख को सदन नहीं बैठेगा । सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ४ और ५ को दो-दो घंटे असेम्बली के बढ़ा दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में माननीय उद्योग मंत्री तैयार हैं?

श्री हुकुम सिंह—इसके बारे में गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यही सदन की राय है। तो अब इस प्रकार अनुदान लिये जायंगे। वर्ग संख्या २, जिसमें जेल १६, पुलिस १७, श्रम और संख्या २८, शिक्षा १८ और अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ३९—ये सब अनुदानें ४ और ५ तारीख को ली जायंगी और इन दोनों दिन कार्यक्रम बजाय ५ बजे के ७ बजे तक रहेगा और २ तारीख को सदन की बैठक नहीं होगी।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३ मिनट पर बृहस्पतिवार ४ फरवरी, १९५४, ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ फरवरी, १९५४।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ व ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३१ पर)

सन् १९५३ में इलाहाबाद में पकड़े गये जुओं की सूची

प्रश्न संख्या ५ का उत्तर

पुलिस स्टेशन	नाम मोहल्ला	दिवाली के अवसर पर इलाहाबाद नगर में पकड़े गये जुओं की संख्या
१—कोतवाली ..	१ मोरपुर ..	१
	२ मोहतसिम गंज ..	१
	३ खुलदाबाद ..	१
	४ ऊंचा मंडी ..	१
	५ शाहगंज ..	१
	६ चाहचंद ..	१
	७ खुशाल पर्वत ..	१
२—कर्नलगंज ..	१ कलवारी टोला ..	१
	२ कटरा पसियाना ..	१
	३ सिलाखाना ..	१
	४ नयापुरा ..	१
३—कर्नलगंज ..	१ हेस्टिंग रोड ..	१
४—कीटगंज ..	१ चौखण्डी ..	१
५—मुट्ठीगंज ..	१ हटिया ..	१
	२ बाबूगंज ..	१
६—दारागंज ..	१ कच्ची सड़क ..	१
	२ मोरा गली ..	१
७—कैन्टूनमेन्ट ..	१ सदर बाजार ..	१
८—शुम्सनगंज ..	१ खरिया ..	१
	२ सुलेम सराय ..	१
	३ सूबेदारगंज ..	१
	योग ..	२१

प्रश्न संख्या ६ का उत्तर

क्रम संख्या	पुलिस स्टेशन		नाम मुहल्ला		इलाहाबाद नगर में दिवाली के अवसर पर जिन स्थानों में जुये पकड़े गये, उन स्थानों में सन् १९५३ में पकड़े गये जुओं की संख्या
१—कोतवाली	..	१	मीरपुर	.. २	(एक दिवाली के अवसर पर तथा दूसरा अन्य अवसर पर)
		२	मोहतसिमगंज	.. १	(दिवाली के अवसर पर)
		३	खुलदाबाद	.. १	,, ,,
		४	ऊंचा मन्डी	.. १	,, ,,
		५	शाहगंज	.. २	(एक दिवाली के अवसर पर तथा दूसरा अन्य अवसर पर)
		६	चाह चन्द	.. १	(दिवाली के अवसर पर)
		७	खुशाल पर्वत	.. २	(एक दिवाली के अवसर पर तथा दूसरा अन्य अवसर पर)
२—कर्नलगंज	..	१	कलवारी टोला	.. २	,, ,,
		२	कटरा पसियाना	२	,, ,,
		३	सिलाखाना	.. १	(दिवाली के अवसर पर)
		४	नया पुरा	.. १	,, ,,
३—कर्निगटन	..	१	हेस्टिंग रोड	.. १	,, ,,
४—कीटगंज	..	१	चौखण्डी	.. २	(एक दिवाली के अवसर पर तथा दूसरा अन्य अवसर पर)
५—मुट्ठीगंज	..	१	हटिया	.. १	(दिवाली के अवसर पर)
		२	बाबूगंज	.. १	,, ,,
६—दारागंज	..	१	कच्ची सड़क	.. १	,, ,,
		२	मीरागली	.. १	,, ,,
७—कैन्टूमेन्ट	..	१	सदर बाजार	.. १	,, ,,
८—धुम्मनगंज	..	१	खटिया	.. १	,, ,,
		२	सुलेमसराय	.. १	,, ,,
		३	सुबेदारगंज	.. १	,, ,,
			योग	२७	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

१/२ जूलाई की रात में स्वर्गीय श्री फतेह सिंह अपने मकान के हाते में सो रहे थे। उनके आस-पास उनके पुत्र बिक्रम सिंह, नौकर सूरेन्द्र सिंह तथा किरायेदार सरदार महेन्द्र सिंह सो रहे थे। लगभग २ बजे उनको पिस्तौल की एक गोली लगी जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गयी। गोली मारते ही हत्यारा दीवार फांद कर भाग गया।

२—श्री बिक्रम सिंह का कहना है कि आहट पाते ही उनको आंख खुली। चांदनी और बिजली की रोशनी में उन्होंने देखा कि महेन्द्रपाल ने उनके पिता पर पिस्तौल का फायर किया। उसके साथ लाठी लिये हुए भगवती प्रसाद भी था। गोली मार कर दोनों दीवार फांद कर जंगल में होकर भाग गये। सरदार महेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह का भी यही बयान है। पुलिस ने सूचना पाते ही फौरन जांच शुरू कर दी। ४ जूलाई, सन् १९५३ को महेन्द्रपाल और भगवती प्रसाद अदालत में हाजिर हुए और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिये गये। इन दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भेज दी गयी। मुकदमा इस समय सेशन्स कोर्ट में चल रहा है।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३८ पर।)

सितम्बर, १९५३ के महीने के पहले सप्ताह में हुए चोरी, डकैती, कत्ल, बल्वे तथा अन्य अपराधों के मामलों और उनमें की गयी कार्यवाही का विवरण।

क्रम सं०	थाने का नाम तथा जुर्म	कितने मामलों में रिपोर्ट लिखायी गयी	जांच किये गये मामलों की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	कितने की हानि हुई	कितने लोगों का चालान किया गया	कितने लोगों को सजा मिली	कितने लोग छूट गये	अदालत में विचाराधीन मामलों की संख्या	लापता मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें जांच अभी जारी है
१	कोतवाली—										
	१—चोरी	५	५	२०	रु० १४२९	२०	—	—	३	२	—
	२—डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३—कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	४—बल्वा	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	५—अन्य अपराध ..	१	१	३	एक सोने की चेन	३	—	—	१	—	—
		बफा ३९४ आई० पी० सी०									
२	पडरौना—										
	१—चोरी	१	१	६	७	६	—	—	१	—	—
	२—डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३—कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	४—बल्वा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	५—अन्य अपराध ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क्रम सं०	थाने का नाम तथा जुर्म	कितने मामलों में रिपोर्ट लिखायी गयी	जांच किये गये मामलों की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	कितने की हानि हुई	कितने लोगों का चालान किया गया	कितने लोगों की सजा मिली	कितने लोग छूट गये	अदालत में विचाराधीन मामलों की संख्या	लापता मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें जांच अभी जारी है
३	खुखुन्दु—										
	१—चोरी	१	१	१	—	—	—	—	—	—	१
	२—डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३—कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	४—बल्वा	१	१	२३	—	२३	—	—	१	—	—
	५—अन्य अपराध ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
४	बरहज—										
	१—चोरी	३	३	४	—	४	—	—	१	२	—
	२—डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३—कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	४—बल्वा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	५—अन्य अपराध ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
५	रुद्रपुर—										
	१—चोरी	१	१	३	३१३	—	—	—	—	१	—
	२—डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३—कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	४—बल्वा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	५—अन्य अपराध ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

६	लार—												
	१—चोरी ..	..	१	१	१	—	—	—	—	—	१	—	
	२—डकैती ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३—कत्ल ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	४—बल्वा ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	५—अन्य अपराध	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
७	खास पार—												
	१—चोरी ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	२—डकैती ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३—कत्ल ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	४—बल्वा ..	..	१	१	१०	—	१०	—	—	१	—	—	
	५—अन्य अपराध	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
८	कसिया—												
	१—चोरी ..	..	१	१	—	११४	—	—	—	—	१	—	
	२—डकैती ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३—कत्ल ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	४—बल्वा ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	५—अन्य अपराध	..	१	१	१	—	१	१	—	—	—	—	
		दफा १७०/४२०											
९	कप्टेनगंज—												
	१—चोरी ..	..	१	१	१७	६०	१७	—	—	१	—	—	
		दफा ३७९ में											
	२—डकैती ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३—कत्ल ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	४—बल्वा ..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	५—अन्य अपराध	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

क्रम सं०	थाने का नाम तथा जुर्म	कितने मामलों में रिपोर्ट लिखायी गयी	जाँच किये गये मामलों की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	कितने की हानि हुई	कितने लोगों का चालान किया गया	कितने लोगों को सजा मिली	कितने लोग छूट गये	अदालत में विचाराधीन मामलों की संख्या	लापता मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें जाँच अभी जारी है
१०	खड्डा—										
	१—चोरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	२—डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३—कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	४—बल्वा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	५—अन्य अपराध ..	१	१	१	१००	१	—	—	१	—	—
	दफा ४२६/४३६ में										
११	पथेखा—										
	१—चोरी	१	१	—	१७४	—	—	—	—	१	—
	२—डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	३—कत्ल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	४—बल्वा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	५—अन्य अपराध ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

१२	तरिया सुजान—													
	१—चोरी ..	..	..	१	१	२	बैल की चोरी हुई	२	—	—	१	—	—	
	२—डकैती ..	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३—कत्ल ..	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	४—बल्वा ..	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	५—अन्य अपराध			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
१३	विशुनपुरा, रामकोला, तरकुलवा, गौरी बाजार तथा हाट थाने—													
	१—चोरी ..	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	२—डकैती ..	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	३—कत्ल ..	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	४—बल्वा ..	..	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	५—अन्य अपराध ..		..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

जिला अलीगढ़ के स्कूलों की सूची जो कि तोड़े गये हैं कारण सहित।

किस्म स्कूल	बन्द किये गये स्कूलों की सं०	बन्द किये गये स्कूलों के नाम	बन्द करने का कारण विशेष
लड़कों का जू० हा० स्कूल।	१	१ जू० हा० स्कूल, दभा ..	दभा के पास अकबराबाद और जिरोली हीरा सिंह जू० हा० स्कूल अधिक सन्निकट थे।
लड़कों के प्राइमरी स्कूल	२८	जलालपुर, सराय हरनरायण, मेदांमई, केमारा, नूरपुर, अहबरनपुर, सिकुर्रा, जहराना, रामपुर, सांकरा, बलासावावाद सहरी, मदनगढ़ी, खोरनापालर, जसराना, जीवनपुर, नगला अहवासी, शेखा नगला, इस्माईलपुर, घरवरा, कुवंरपुर छीगवां, तेवथ, रठगवां, पिलवना, चांदपुर मिर्जा, हबीबगंज, घनसारी।	अपर्याप्त छात्र संख्या पाठशाला भवन का न होना तथा डेढ़ मील के भीतर अन्य प्रा० स्कूल का होना। इन पाठशालाओं में स्थानीय जनता कोई रुचि नहीं ले रही थी और बोर्ड के धन का अपव्यय हो रहा था।
लड़कियों के प्राइमरी स्कूल	४१	गडराना, साथा, अगराना, जिरोली हीरा सिंह, पौरा, खेडा, सहजपुरा, गाजीपुर, लोदगढ़, हरनोट, पाली, रजापुर, तालिबनगर, जलाली, जलाली (इस्लामियां), बरोठा, लोधा, जलालपुर, घनीपुर, पिसावा, पुरविलनगर, सहसायन, अकबराबाद, गोलारा, पिलखना अखईपुर, फरोलीकेलोरा, महोलाखुनतीछीगढ़, बेसवां, गभाना, चंडीस, शिवाला बिसारा, टप्पल, काजिमाबाद, बिजोली छलेरर, दतावली, बरला।	इन स्थानों पर लड़कों की प्राइमरी पाठशाला मौजूद है जहां लड़कियां सुविधापूर्वक पढ़ सकती हैं। स्थानीय जनता इनके प्रति कोई रुचि नहीं रखती थी। वस्तुतः बोर्ड के धन का अपव्यय हो रहा था।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

सन् १९५२ तथा सन् १९५३ में सिकन्दरा राऊ (अलीगढ़) में जिन व्यक्तियों को रिवाल्वर के लाइसेंस दिये गये उनके नामों तथा सामाजिक स्थिति का विवरण

	लाइसेंसदार का नाम	सामाजिक स्थिति
		१९५२
१	श्री शिवशंकर शर्मा, सिकन्दरा राऊ।	पंचायत राज इन्स्पेक्टर।
२	शाह महेश चन्द्र, वजीदपुर।	पहिले ८,००० रु० मालगुजारी देते थे। २५० एकड़ सीर हैं, और १,२०० रु० कृषि-आय-कर देते हैं। लगभग ५०,००० रु० की जायदाद है।
		१९५३
३	श्री भूकरनलाल, पौरा	ब्रांच पोस्टमास्टर। सदरय ग्राम सूरक्षा समिति और समाज सेवक।
४	श्रीमती लीला शर्मा, सिकन्दरा राऊ।	प्रधानाध्यक्ष, आर्य कन्या पाठशाला।
५	श्री जय चरन लाल, सिकन्दरा राऊ।	५४३ रु० किराया देते हैं। सराफे की दूकान है।
६	श्री अजब सिंह, सिन्धौली	पहिले २५० रु० मालगुजारी देते थे। सरपंच और समाज सेवक।
७	श्री श्रीमोहन दरगार, पुरदिलनगर। तथा श्री कृष्णनन्द दरगार	प्रधानाध्यक्ष, हायर सेकेण्डरी स्कूल, भूतपूर्व, जमींदार। सदस्य नगरपालिका। भूतपूर्व जमींदार और व्यापारी।
८	श्री ज्वालाप्रसाद विजयगढ़।	कई हजार रुपये आय कर देते हैं। जनहित का काफी काम करते हैं। विजयगढ़ इन्टर कालिज का संचालन कर रहे हैं। रती का नगला से विजयगढ़ तक सड़क का कार्य शुरू किया है।
९	श्री सोयम प्रकाश, विजयगढ़।	प्रतिष्ठित वैद्य। पहिले यह लाइसेंस इनके पिता के नाम से था।
१०	श्री राजीव कुमार जैन, विजयगढ़।	पहिले १,८०० रु० मालगुजारी देते थे। ५५ बीघे खुदकाश्त हैं। विजयगढ़ इन्टर कालिज के सहायक व्यवस्थापक।
११	शिव चरन लाल अग्निहोत्री, बन्द।	पहिले २९७ रु० मालगुजारी देते थे। ५७ बीघे जमीन है और हाथरस तहसील में जायदाद भी है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४७ एल० ए०—१९५४-८५०